सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2021–22

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

वेबसाइट : www.msme.gov.in

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1.	**भूमिका**	**1–21**
	1.1 पृष्ठभूमि	3–4
	1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का अधिदेश	4–5
	1.3 संगठनात्मक संरचना	5–8
	1.4 हाल की पहलें	8–21
2.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का दृश्यावलोकन और कार्यनिष्पादन**	**23–34**
	2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका	25
	2.2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एनएसएस के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015–16) के मुख्य परिणाम	25
	2.3. एनएसएस के 73वें दौर तथा एमएमएमई की अखिल भारतीय गणना के बीच शीर्ष 10 राज्यों का तुलनात्मक विश्लेषण	29–30
	2.4 नए एमएसएमई का पंजीकरण	30–34
3.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय और अन्य संबद्ध कार्यालय**	**35–92**
	3.1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	37–53
	3.2. प्रौद्योगिकी केन्द्र (टीसी)	54–64
	3.3. सूक्ष्म, लघु और उद्यम–विकास संस्थान (एमएसएमई–डीआई) और परीक्षण केन्द्र	65–71
	3.4. कयर बोर्ड (सीबी)	72–79

	3.5.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	80–85
	3.6.	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरी)	86–89
	3.7.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)	90–93
4.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों की प्रमुख स्कीमें**		**93–116**
5.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित गतिविधियां**		**117–133**
	5.1	पूवोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यकलाप (एनईआर)	119–126
	5.2	महिलाओं के कल्याण के लिए लक्षित कार्यकलाप	126–130
	5.3	दिव्यांगजनों के लिए कल्याण (पीडब्ल्यूडी)	130
	5.4	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम	131–133
6	**सामान्य सांविधिक उत्तरदायित्व**		**135–141**
	6.1	राजभाषा (ओएल)	137–139
	6.2	सतर्कता	139–140
	6.3	नागरिक चार्टर	140–141
	6.4	सूचना का अधिकार (आरटीआई)	141
	6.5	यौन उत्पीड़न का निवारण	141
अनुबंध			**143**
1.	वर्ष 2018–19 से 2021–22 के दौरान योजना आबंटन एवं व्यय		145
2.	लेखा परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति		146–147
3.	नोडल केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची (सीपीआईओ)		148–149
4.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं इसके सांविधिक निकायों के अधिकारियों के संपर्क पते		150
5.	सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान एवं शाखा सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थानों की राज्य–वार सूची		151–154
6.	संकेताक्षर		155–157

1
अध्याय

भूमिका

भूमिका

1.1 पृष्ठभूमि

1.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र कृषि के पश्चात तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करके तथा बड़े रोजगार के अवसर सृजित करके देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के अनुपूरक हैं और यह क्षेत्र देश के समग्र औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रसार कर रहे हैं तथा घरेलू और वैश्विक बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। देश के एमएसएमई क्षेत्र के दृश्यावलोकन और कार्यनिष्पादन अध्याय 2 में दिया गया है।

1.1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) विद्यमान उद्यमों को सहायता देने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा नये उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहित करने के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के सहयोग से खादी, ग्राम और कयर उद्योगों सहित क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास को संवर्धित कर प्रगामी एमएसएमई क्षेत्र की परिकल्पना करता है। इस मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुच्छेद 1.3.1 में दिया गया है जबकि मंत्रालय की हाल की पहलों का ब्योरा पैराग्राफ 1.4 में दिया गया है।

1.1.3 एमएसएमई मंत्रालय के तत्वावधान में अनेक सांविधिक और गैर–सांविधिक निकाय कार्य करते हैं। इनमें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) एवं महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) के अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कयर बोर्ड शामिल हैं। इन निकायों के अधिदेश और कार्य–निष्पादन का ब्यौरा अध्याय 3 में दिया गया है।

1.1.4 एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी सहायता और उन्नयन, अवसंरचना विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा विपणन सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीम चलाता है। स्कीमों की विस्तृत सूची अध्याय 4 में दी गई है।

1.1.5 मंत्रालय समावेशी विकास की कार्यसूची के प्रति प्रतिबद्ध है तथा भौगोलिक और जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर वर्गों द्वारा इसके कार्यों से लाभ लेने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलें और उपाय किए हैं। ऐसी पहलों की जानकारी का सारांश अध्याय 5 में दिया गया है।

1.1.6 एमएसएमई मंत्रालय अपने अधीनस्थ सभी संबद्ध कार्यालयों में राजभाषा ''हिंदी'' के प्रगामी प्रयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, सतर्कता, आरटीआई, यौन उत्पीड़न निवारण से संबंधित सतत् उपाय अध्याय 6 में देखे जा सकते हैं।

1.2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिदेश

1.2.1 दिनांक 9 मई, 2007 को पूर्ववर्ती लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को मिलाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) बनाया गया था। मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने के लिए नीतियां तैयार करता है और कार्यक्रमों/परियोजनाओं/स्कीमों का संवर्धन/ सुविधा देता है तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करता है और उन्हें बढ़ाने में सहायता करता है।

1.2.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम वर्ष 2006 में अधिसूचित किया गया था ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के साथ–साथ इस क्षेत्र के लिए कवरेज और निवेश की सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम इन उद्यमों के विकास को सुविधाजनक बनाता है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:–

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जी की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड की भूमिका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना, केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा संवर्धन और विकास को सुसाध्य करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के संबंध में सिफारिश करना है।
- यह ''उद्यम'की संकल्पना, जिसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों आते हैं, को मान्यता प्रदान करने के लिए विधिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। यह पहली बार मध्यम उद्यमों को परिभाषित करता है तथा इन उद्यमों को 3 स्तरों नामतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम रूप में एकीकृत करता है।
- यह केंद्र सरकार को एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित करने के लिए कार्यक्रम बनाने तथा दिशानिर्देश व अनुदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाता है।

1.2.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषाएं:

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(i) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश एक करोड़ रु. से अधिक न हो और टर्नओवर पांच करोड रु. से अधिक न हो;

(ii) ऐसा लघु उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश दस करोड़ रु. से अधिक का न हो और टर्नओवर पचास करोड़ से अधिक न हो; और

(iii) ऐसा मध्यम उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश पचास करोड रु. से अधिक न हो और टर्नओवर दो सौ पचास करोड़ रु. से अधिक न हो।

1.2.3.1 यह नया वर्गीकरण दिनांक 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी हो गया है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एमएसमई का पूर्व मानदंड संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण में निवेश पर आधारित था। यह विनिर्माण और सेवा इकाइयों के लिए भिन्न–भिन्न था। यह वित्तीय नियमों के अनुसार भी बहुत कम था। तदोपरांत, अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण बदलावों से गुज़री है। दिनांक 13 मई, 2020 को की गई घोषणा में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई के वर्गीकरण के मानदंड में संशोधन किया गया। समय के अनुसार व्यावहारिकता अपनाने और वर्गीकरण की सापेक्ष प्रणाली की सुस्थापना करने और व्यवसाय करने की आसानी के लिए ऐसा किया गया है।

1.2.3.2 इसके परिणामस्वरूप मौजूदा और भावी उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 26.06.2020 को विनिर्माण और सेवा इकाइयों के लिए नए कंपोज़िट वर्गीकरण को अधिसूचित किया गया। अब विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच कोई अंतर नहीं है। साथ ही, टर्नओवर का नया मानदंड वर्गीकरण के पुराने मानदंड में जोड़ा गया है जो केवल संयंत्र और मशीनरी में निवेश पर आधारित है। इस नए मानदंड से उम्मीद की जाती है कि इनसे एमएसएमई को अपने आकार में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्यात के संबंध में टर्नओवर को एमएसएमई इकाइयों की किसी श्रेणी अर्थात् सूक्ष्म, लघु और मध्यम के लिए टर्नओवर की सीमाओं में जोड़ कर नहीं देखा जाएगा। व्यवसाय करने में आसानी की दिशा में यह अभी एक और कदम है। इससे एमएसएमई क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और ज्यादा रोज़गारों का सृजन करने में मदद मिलेगी। एमएसएमई के वर्गीकरण के मानदंड में बदलाव से निर्यातकों को बड़ी राहत मिलना सुनिश्चित है।

1.2.4 एमएसएमई के संवर्धन और विकास का प्रारंभिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठनों की भूमिका उद्यमिता, रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाने में राज्यों के प्रयासों में सहायता करना है।

1.3 संगठनात्मक संरचना

1.3.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में विकास आयुक्त (डीसीएमएसएमई) कार्यालय तथा अन्य अधीनस्थ संगठनों के अलावा, लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) प्रभाग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (एआरआई) प्रभाग, प्रशासनिक एवं वित्तीय संस्थान (एएफआई), एकीकृत वित्त स्कन्ध (आईएफडब्ल्यू) और डाटा एनालिटिक्स एंड टेक्नीकल कोऑर्डिनेशन (डीएटीसी) विंग तथा प्रशासन और वित्तीय संस्थान (एएफआई) शामिल हैं। मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना को निम्नलिखित ओरगेनोग्राम में प्रदर्शित किया गया है:

1.3.2 **एसएमई प्रभाग** – एसएमई प्रभाग अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड–जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है तथा राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)–जो एक राष्ट्रीय स्तर का स्वायत्तशासी उद्यमिता विकास/प्रशिक्षण संगठन है, के प्रशासनिक पर्यवेक्षण का कार्य देखता है। यह प्रभाग अन्य के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब स्कीम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम तथा प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अतिरक्त, एसएमई प्रभाग स्कीमों के संवर्धन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के मीडिया अभियान की तैयारी संबंधी कार्य भी देखता है।

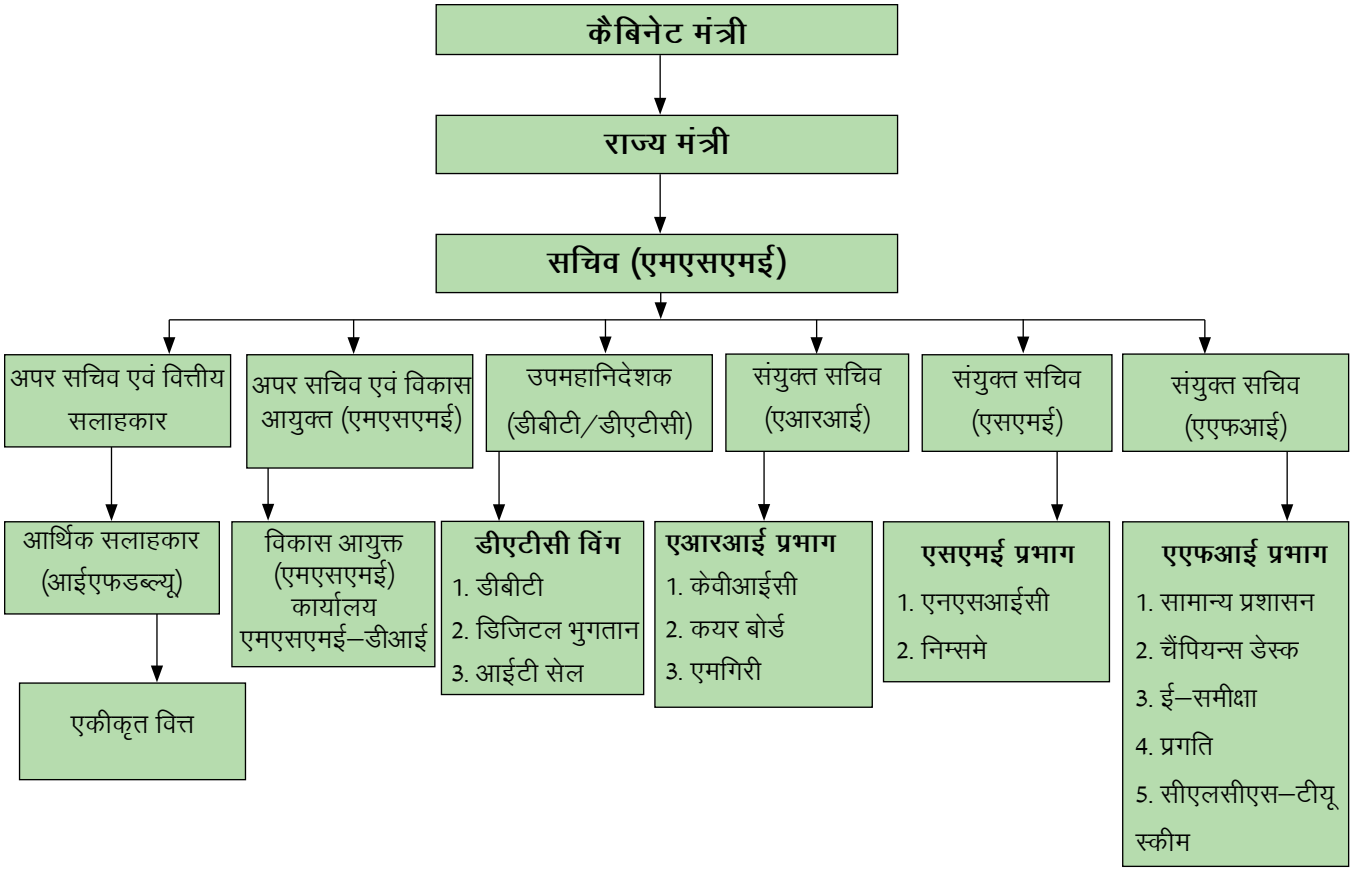

1.3.3 **एआरआई प्रभाग**– एआरआई प्रभाग दो सांविधिक निकायों–खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कॅयर बोर्ड तथा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) के प्रशासन का कार्य देखता है। यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) तथा नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) के कार्यान्वयन का भी पर्यवेक्षण करता है।

1.3.4 **एएफआई प्रभाग**– एएफआई प्रभाग को अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रालय के प्रशासन एवं सर्तकता संबंधी कार्य आबंटित हैं। यह प्रभाग चैंपियनस डेस्क, लोक शिकायत, सीपीग्राम, ¼कृञ्द्दश्ञ्ड्झ्, प्रगति का प्रशासनिक पर्यवेक्षण और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सीएलसीएस–टीयू स्कीम सहित एमएसएमई की शिकायतों का अनुवर्ती कार्य देखता है।

1.3.5 **आईएफ विंग**– आईएफडब्ल्यू मंत्रालय और विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के कार्यक्रम प्रभागों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की जांच करता है: जिनमें (i) विभिन्न स्कीमों के तहत निधियों को जारी करने के लिए सहमति, (ii) स्कीमों को जारी रखने और ईएफसी/एसएफसी बैठकों के आयोजन हेतु ईएफसी/ एसएफसी पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना है। यह कार्यक्रम विंग द्वारा मांगी गई वित्तीय विवक्षाओं वाले विभिन्न मुद्दों पर अपेक्षित सलाह देता है। यह विंग समझौता ज्ञापन/अन्य समझौतों/संविदा, आदि के हस्ताक्षर से संबंधित अन्य विविध मामलों की भी जांच करता है।

1.3.6 **डीएटीसी एवं डीबीटी प्रभाग** – यह स्कन्ध एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित आंकड़ें/सांख्यिकी का विश्लेषण करता है और यह एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए तकनीकी सूचनाएं (इनपुट)प्रदान करता है।

एमएसएमई डाटाबेस के विकास और रखरखाव के लिए सभी स्टेकहोल्डरों के साथ तकनीकी समन्वय, मंत्रालय की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीमों के लिए निर्देशों का पूर्ण अनुपालन का समन्वय; मंत्रालय में डिजिटल भुगतान के संवर्धन हेतु कार्यान्वयन और मंत्रालय की आईटी सेल का प्रबंध इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों में हैं।

1.3.7 विकास आयुक्त कार्यालय

1.3.7.1 विकास आयुक्त कार्यालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अवसंरचना एवं सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और विभिन्न कार्यक्रम/स्कीम को कार्यान्वित करता है। विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है जिसकी अध्यक्षता अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) द्वारा की जाती है। यह एमएसएमई विकास संस्थानों (डीआई), क्षेत्रीय परीक्षण केंद्रों, उत्पादन केंद्रों, फील्ड टेस्टिंग स्टेशनों तथा विशेषज्ञ संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। यह निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:–

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को टेक्नों–इकॉनॉमिक एवं प्रबंधकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएं तथा विस्तार सेवाएं प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और अवसंरचना के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
- प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना।
- आर्थिक सूचना सेवाएं प्रदान करना।

1.3.8 **राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई)** सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अध्याय–II की धारा 3 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्थापित किया गया था। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की जांच करता है, विद्यमान नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करता है तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में सरकार को सिफारिश करता है।

माननीय केन्द्रीय मंत्री, सूलमउ मंत्रालय एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के पदेन अध्यक्ष और राज्य मंत्री सूलमउ पदेन उपाध्यक्ष हैं।

एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के मुख्य कार्य हैं:–

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना और संवर्धन एवं विकास को सरल बनाने के विषय में केन्द्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों और ऐसे उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और ऐसे उद्यमों पर इसके प्रभाव की समीक्षा करना ।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट मामलों पर या केन्द्र सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर टिप्पणी करना, जो उस सरकार की राय में,सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं विकास को सुविधाजनक बनाने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक या व्यवहारिक है; और

(ग) धारा 12 के अंतर्गत सृजित निधि या निधि के उपयोग पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।

अब तक, एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की 16 बैठकें आयोजित की गई है। एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की मौजूदा संरचना को दिनांक 02.02.2021 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और बाद में दिनांक 22.07.2021 को संशोधित किया गया।

1.4 हाल की पहलें

1.4.1 उद्यम पंजीकरण: इस मंत्रालय ने दिनांक 26.06.2020 की अधिसूचना सं. सा.आ. 2119 (ई) के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण में निवेश और एमएसएमई के टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण का एक कंपोसिट मानदंड अधिसूचित किया है। एमएसएमई के वर्गीकरण के कंपोजिट मानदंड से संबंधित दिशानिदेश वेबसाईट लिंकः https://msme.gov.in/sites/default/files/IndianGazzate.pdf पर उपलब्ध हैं।

एमएसएमई के वर्गीकरण के कंपोजिट मानदंड के आधार पर, इस मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल पर 'उद्यम' पंजीकरण के माध्यम से उद्योग आधार ज्ञापन की पूर्ववर्ती प्रक्रिया को प्रतिस्थापित किया है। अब मौजूदा ओर भावी उद्यमी पोर्टलः https://udyamregistration.gov.in पर अपना ऑनलाईन 'उद्यम' पंजीकरण फाईल कर सकते हैं।

दिनांक 10.01.2021 तक कुल 65,23,067 को वर्गीकृत किया गया था, जिसमें विनिर्माण श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत 21,13,233 उद्यम और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत 44,09,834 उद्यम शामिल थे।

- जीएसटीआईएन रखने की आवश्यकता से छूटः इस मंत्रालय ने दिनांक 05.03.2021 को अधिसूचना संख्या एसओ, 1055 (ई) के माध्यम से अधिसूचित किया है कि जीएसटीआईएन रखने की आवश्यकता से छूट केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) के प्रावधानों के अनुसार होगी, जिससे उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण में वृद्धि होगी।
- खुदरा एवं थोक व्यापार का समावेशः दिनांक 2 जुलाई, 2021 से सरकार ने खुदरा एवं थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल किया है। उन्हें उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत होने की अनुमति है। उन्हें लाभ केवल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने तक ही सीमित है।
- एमएसएमई में शहरी स्ट्रीट वेंडर्स का समावेशः दिनांक 2 अगस्त, 2021 से,सरकार ने खुदरा व्यापार के रूप में स्ट्रीट वेंडर्स को एमएसएमई के रूप में शामिल किया है। उन्हें उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत होने की अनुमति है। उन्हें लाभ केवल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने तक ही सीमित है।
- पंजीकरण के शीर्ष पांच औद्योगिक सेक्टर –खाद्य उत्पाद, वस्त्र, परिधान, निर्माण क्रियाकलाप और भवन का निर्माण है।

  उद्यम पंजीकरण पर एमएसएमई का विश्लेषण अध्याय 2 के पैरा 2.4 के अंतर्गत दिया है।

1.4.2 माइ एमएसएमई

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय ने विभिन्न स्कीमों का लाभ लेने के लिए उद्यमों की सुविधा 'माई एमएसएमई' नामक एक वेब आधारित एप्लीकेशन मॉड्यूल शुरु किया है। इस पर मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। उद्यमी अपने मोबाइल पर स्वयं अपनी ऐप्लीकेशनों को देख पायेंगे तथा उन्हें ट्रैक कर सकेंगे ।

1.4.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण

भारत सरकार की सभी कल्याणकारी और सब्सिडीयुक्त स्कीमों की डिलीवरी के सिस्टम में सुधार लाने के उद्देश्य से मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार लाकर प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) प्रणाली के तहत लाया गया है। इसका उद्देश्य निधियों का सरल और सहज प्रवाह सुनिश्चित करना, लाभार्थियों के सही लक्ष्य सुनिश्चित करना, पुनरावृत्ति को दूर करना और जालसाजी को समाप्त करना है। डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय में डीबीटी मिशन नोडल बिन्दु के रूप में डीबीटी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

लाभार्थियों के भिन्न–भिन्न प्रकार के लाभ अर्थात् नकद, अन्य रूप में, अथवा मिश्रित (अर्थात् नकद एवं अन्य रूप में) के आधार पर स्कीमों को श्रेणीबद्ध किया गया है। नीचे दी गई तालिका में लाभ के प्रकार, लाभार्थियों की संख्या और कुल अंतरित निधियाँ/हुए व्यय के साथ मंत्रालय की मुख्य डीबीटी स्कीम दर्शाई गई है।

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लाभ के प्रकार	लाभार्थियों की कुल सं. (2021–22) (दिनांक 31.12.2021 तक)	कुल व्यय (रु. करोड़ में) (2021–22) (दिनांक 31.12.2021 तक)
1	एटीआई स्कीम (प्रशिक्षण घटक)	अन्य रूप में	170	0.625
2	खादी संस्थानों को एमपीडीए अनुदान	नकद	127328	54.03
3	कयर विकास योजना	नकद	168	0.598
4	स्फूर्ति–एसआई	अन्य रूप में	1821990	8.01
5	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	नकद	52002	1601.92
6	उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	अन्य रूप में	15599	1.83
7	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम	नकद	18	1.98

सीएलसीएस–टीयू स्कीम (पांच घटक वाले आईपीआर, लीन, डिजाइन क्लीनिक, इनक्यूबेश और जेड) के परिचालन दिशानिर्देश को फिर से डिजाइन किया गया है और इस प्रकार यह स्कीम अंतिम रूप देने तक निष्क्रिय मोड में है।

1.4.4 डिजिटल भुगतान

1.4.4.1 भारत सरकार कैशलैश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सुविधाजनक रूप से भारत के सभी नागरिकों को निर्बाध डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। ''भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल भुगतान सेवाओं के औपचारिक फोल्ड के अंतर्गत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसका विजन, भारत के सभी नागरिकों को सहज, आसान, सस्ती, त्वरित और सुरक्षित रूप से निर्बाध डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना है।

1.4.4.2 पहल में भागीदार के रूप में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने संपूर्ण एमएसएमई पारिस्थितिकी को पूरी तरह डिजिटल समर्थ करने के लिए कई पहलें की हैं। सचिवों की समिति (सीओएस) की सिफारिशों और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों को डिजिधन मिशन के सफल कार्यान्वयन को पूरा कराने के लिए सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता में इस मंत्रालय में डिजिटल भुगतान से संबंधित एक समिति गठित की गई है।

- अपने सभी संबद्ध कार्यालयों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सभी कार्यालय डिजिटल रूप से सक्षम किए गए हैं।
- उद्योग आधार ज्ञापन के तहत पंजीकृत एमएसएमई के लिए भुगतान के विभिन्न तरीकों जैसे भीम, यूपीआई और भारत क्यूआर कोड की सरलता और लाभों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं।
- मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों (केवीआईसी, कयर बोर्ड, एनएसआईसी, एमगिरी, निम्समे और विकास आयुक्त (एमएसएमई कार्यालय) के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं इसके सभी संबद्ध कार्यालयों द्वारा वर्ष 2021–22 (माह दिसम्बर 2021 तक) के दौरान डिजिटल लेनदेनों के मूल्य के संदर्भ में 87.32 प्रतिशत तक और डिजिटल लेनदेनों की संख्या 98.53 प्रतिशत है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं इसके संबद्ध कार्यालयों के लिए डिजिटल लेनदेन (2021–22)माह दिसंबर 2021 तक)

क्र. सं.	*संगठन का नाम*	*लेनदेनों की संख्या*					
		कुल		*डिजिटल संसाधनों से*		*प्रतिशत*	
		लेनदेनों की संख्या	*मूल्य रुपयों में (करोड़ में)*	*लेनदेनों की संख्या*	*मूल्य रुपयों में (करोड़ में)*	*डिजिटल लेनदेनों की संख्या (प्रतिशत में)*	*डिजिटल लेनदेनों का मूल्य (प्रतिशत में)*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	**केवीआईसी**	3921840	4414.86	3412686	4343.45	**87.02**	**98.38**
2	**एनएसआईसी**	93392	13818.01	88640	13512.74	**94.91**	**97.79**
3	**विकास आयुक्त कार्यालय (टूल रूम + डीआई कार्यालय + मुख्यालय)**	98892	8842.301	89483	8824.323	**90.49**	**99.80**
4	**कयर बोर्ड**	19002	186.6	17805	180.9	**93.70**	**96.95**
5	**निम्समे**	2212	25.66	2089	24.25	**94.44**	**94.51**
6	**एमगिरी**	659	5.552	659	5.552	**100**	**100**
	कुल	**4135997**	**27292.98**	**3611362**	**26891.22**	**87.32**	**98.53**

1.4.5 शिकायत मॉनीटरिंग

मंत्रालय केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीग्रामस) की सभी शिकायतों को देखता है तथा दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार सीपीग्रामस पर लंबित शिकायतों की संख्या 152 थी। मंत्रालय ने मंत्रालय में प्राप्त अन्य शिकायतों और सुझावों को ट्रैक और मॉनीटरिंग करने के लिए एक एमएसएमई इंटरनेट शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली (ई–समाधान) शुरू की है।

1.4.6 एमएसएमई समाधानः एमएसई को विलंबित भुगतान का समाधान करनाः

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 15–24 एमएसई आपूर्तिकर्ता को क्रेताओं द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के विलंबित भुगतान से संबंधित मुद्दों को देखती हैं। यदि भुगतान में 45 दिनों

से अधिक की देरी होती है तो एमएसई आपूर्तिकर्ता सभी राज्यों/संघ राज्य राज्यों में अधिनियम के तहत गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) से संपर्क कर सकते हैं।

एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 को एक पोर्टल (http://samadhaan.msme.gov.in/) शुरु किया। यह पोर्टल सीपीएसई/ केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों आदि तथा अन्य क्रेताओं के पास एमएसई के लंबित भुगतान की जानकारी देता है। केंद्रीय मंत्रालय/राज्य सरकारे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संगठनों के संबंध में विलंबित भुगतान के मामलों को मॉनीटर करते हैं । उक्त पोर्टल एमएसई को विलंबित भुगतान से संबंधित अपनी शिकायतों को ऑनलाइन फाइल करने में भी मदद करता है। किसी भी मामले के ऑनलाइन फाइल होने के 15 दिनों के पश्चात यह स्वतः संबंधित एमएसईएफसी में पंजीकृत हो जाता है। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद एवं ओडिशा जैसे तमिलनाड, राष्ट्रीय राजधानी केंद्, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों के पास एक से अधिक एमएसईएफसी है। सूक्ष्म,लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतान से संबंधित नियमों और विनियमों से परिचित करवाने और विलम्बित भुगतान के मामले में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एमएसईएफसी के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण के आयोजन के लिए राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), हैदराबाद हेतु निधियां भी प्रदान की जाती हैं।

एमएसएमई समाधान पोर्टल के शुभारंभ की तारीख से अर्थात् दिनांक 30.10.2017 तक एमएसई ने 1,00,152 आवेदन दर्ज किए हैं जिसमें 26,200.58 रूपए की राशि शामिल है। 1,401 करोड़ रूपए की राशि के 9735 मामलों में परस्पर समाधान किए गए हैं, 29,242 आवेदन विचाराधीन हैं एमएसईएफसी के जिसमें 6640.61 करोड़ रूपए की राशि सम्मिलित है और 26,869 आवेदनों को 9,799.12 करोड़ रूपए की राशि के मामलों में परिवर्तित किया गया है और दिनांक 10.01.2022 तक एमएसईएफसी द्वारा 3,522.53 करोड़ रूपए की राशि वाले 12091 मामलों का निपटान किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के बाद, मंत्रालय ने समाधान के अंतर्गत ही एक विशेष उप–पोर्टल का सृजन किया है ताकि सीपीएसई से एमएसएमई के विलंबित भुगतानों को ट्रेक किया जा सके। दिनांक 10.01.2022 तक एमएसएमई को सीपीएसई द्वारा 85,294 करोड़ रूपए की देय राशि चुका दी गई है।

1.4.7 एमएसएमई– संबंध

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 08 दिसंबर, 2017 को "एमएसएमई–संबंध पोर्टल" का शुभारंभ किया था। यह पोर्टल केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा की गई खरीद की मॉनीटरिंग में मदद करता है तथा एमएमई से अपेक्षित उत्पादों/ सेवाओं की सूची को साझा करने के लिए भी सक्षम करता है।

इस पोर्टल में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित विशेषताएं हैं: –

- सीपीएसई की कुल प्राप्ति।
- एमएसई से सीपीएसई द्वारा प्राप्ति का मासिक अद्यतन।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसई से सीपीएसई द्वारा प्राप्ति का मासिक अद्यतन।

- मंत्रालय, विभागों और सीपीएसई के प्रमुखों द्वारा निगरानी के लिए रिपोर्ट।
- सीपीएसई द्वारा वस्तुओं की खरीद

दिनांक 31 मार्च, 2021 तक, 153 सीपीएसई ने वर्ष 2020–21 के लिए विवरण अपलोड किया था। इन सीपीएसई ने 1,44,514.40 करोड़ रूपए की खरीद की रिपोर्ट दी है। सभी एमएसई से खरीद का हिस्सा 40,738,16 करोड़ रूपए (1,76,031 एमएसई लाभान्वित) है, जो कुल खरीद का 28.19 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एमएसई के क्रय की राशि 756.99 करोड़ रू. (6,832 एमएसई लाभान्वित) हैं और महिला स्वामित्व वाली एमएसई से क्रय की राशि 718.82 करोड़ रू. (4,969 एमएसई लाभान्वित) हैं।

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति अनुसार, वर्ष 2021–2022 के लिए कुल 109 सीपीएसई ने अपना ब्यौरा अपलोड किया है। इन सीपीएसई ने कुल 76,886.15 करोड़ रु. की खरीद की सूचना दी है। सभी एमएसई का क्रय किया हिस्सा 24,497.98 करोड़ रु. (1,17,984 एमएसई लाभांवित हुए) का है जो कुल क्रय का 31.86% है। अ.जा./ अ.ज.जा. के स्वामित्व वाली एमएसई के क्रय की राशि 572.09 करोड़ रु. (4,649 एमएसई लाभान्वित) है। महिला स्वामित्व वाली एमएसई से क्रय की राशि 582.31 करोड़ रु. (4,389 एमएसई लाभांवित हुए) की है।

1.4.8 एमएसएमई संपर्क

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 27.06.2018 को एक रोज़गार पोर्टल ''एमएसएमई संपर्क'' का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल एक ऐसा डिजिटल प्लेटफार्म है जिसमें रोज़गार प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति (अर्थात एमएसएमई टूलरूम और प्रौद्योगिकी केंद्रों के उत्तीर्ण प्रशिक्षु/ छात्र) और नियोक्ता अपना पंजीकरण कराकर आपसी फायदे के लिए संवाद कर सकते हैं। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर कुल 4,75,056 उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं (रोजगार इच्छुक) का डेटाबेस उपलब्ध है, जिनमें से 88,190 प्रशिक्षुओं (रोजगार इच्छुक) ने पंजीकरण कराया है और 6,264 नियोक्ताओं (रोजगार प्रदाता) ने नियोक्ताओं द्वारा पोस्ट की गई रिक्तियों के लिए संपर्क पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है; 39,243 रिज्यूम नियोक्ताओं के साथ साझा किए गए हैं और 30,253 रोजगारों का प्रस्ताव किया गया है।

1.4.9 चैंपियंस पोर्टलः चैंपियंस का अर्थ है उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग।

1.4.9.1 भूमिका

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 1 जून, 2020 को चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया, जो सहायता और पथ प्रदर्शन करने के माध्यम से लघु इकाइयों के आकार में वृद्धि करने हेतु आईसीटी आधारित प्रौद्योगिकीय प्रणाली है। यह पोर्टल मौजूदा परिस्थितियों में न सिर्फ एमएसएमई को सहायता प्रदान कर रहा है बल्कि इनको नए व्यवसाय अवसरों का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा है।

1.4.9.2 चैंपियंस डेस्क की संरचना

नियंत्रण कक्षों का नेटवर्क हब और स्पोक मॉडल में सृजित किया है। हब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय में स्थित है जबकि स्पोक राज्यों में मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में स्थित है। नई

दिल्ली में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष और 68 राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्षों का सृजन किया गया है जिन्हें वित्त, बाज़ार पहुंच, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, कौशल विकास आदि सहित क्षेत्रों में एमएसएमई को स्थानीय स्तर पर हरसंभव सहायता प्रदान की गई है।

1.4.9.3 प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं

- सूचना प्रसारः एमएसएमई क्षेत्र में हाल के विकासों को नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है।
- फास्ट ट्रेक आधार पर अन्य सरकारी विभागों/ मंत्रालयों से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के विचार से, मंत्रालय में दूसरे सरकारी निकायों को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया ज़ारी है। इस प्लेटफॉर्म पर पहले से ही 21 मंत्रालयों/विभागों और 31 राज्य सरकारों को ऑनबोर्ड किया गया है।
- 58 बैंकों /एफआई /आरआरबी / एसएफसी को निजी क्षेत्र से संबंधित 19 बैंकों के साथ इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया गया है ताकि फास्ट ट्रैक रूप में ऋण से संबंधित मामलों का समाधान किया जा सके।
- फास्ट ट्रेक मोड पर मामलों के समाधान के लिए चैंपियनस पोर्टल हेतु 53 सीपीएसई को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- एमएसएमई से संबंधित स्कीमों को बेहतर समझने के लिए एमएसएमई इकाइयों की सहायतार्थ पोर्टल पर 750 से अधिक एफएक्यू पहले ही अपलोड किए गए हैं। स्टार्टरों/ एमएसएमई को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एमएसएमई/ एमएसएमई स्कीमों से संबंधित एफएक्यू को नियमित आधार पर पोर्टल पर जोड़ा जा रहा है।
- शिकायतों के फास्ट ट्रेक प्रत्युत्तर के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की स्कीम–वार मैपिंग की जा रही है।
- एमएसएमई समाधान और उद्यम पंजीकरण आदि जैसे विभिन्न पोर्टलों के साथ एकीकरण।

1.4.9.4 शिकायतों की स्थिति (दिनांक 31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार)

कुल प्राप्त प्रश्न/ शिकायतेंः पोर्टल पर 41,742

- 41,462 से अधिक प्रश्नों अर्थात 99.3% का संबंधितों को प्रत्युत्तर दिया गया जबकि 280 से अधिक प्रश्नों के निवारण की प्रक्रिया ज़ारी है।
- उक्त शिकायतों को विभिन्न श्रेणियों में पृथक किया गया है अर्थात आसान चिह्नितकरण और बेहतर समाधान हेतु एमएसएमई स्कीमों/ यूएएम/ उद्यम पंजीकरण/ एमएसएमई की परिभाषा एमएसएमई–डीआई और विकास आयुक्त–(एमएसएमई) कार्यालयों, आत्म–निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित नई स्कीमों, लोक प्रापण नीति, परीक्षण और गुणवत्ता केंद्र, आदि।

1.4.10 आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत विशेष उपाय

कोविड–19 महामारी के पश्चात, माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी ने तत्परता से राष्ट्र निर्माण में एमएसएमई की भूमिका को मान्यता दी। इस तरह एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषणाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग

है। इस पैकेज के अंतर्गत, एमएसएमई क्षेत्र को न केवल महत्वपूर्ण आबंटन किया गया है बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के कार्यान्वयन में प्राथमिकता प्रदान की गई है। एमएसएमई क्षेत्र को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, इस पैकेज के अंतर्गत विभिन्न घोषणाएं की गई हैं। देश में एमएसएमई में नई उर्जा उत्पन्न करने पर विशेष रूप से भारत सरकार केंद्रित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मौजूदा ऋण संबंधी स्कीमों और अन्य घोषणाओं के अलावा सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहा है, एमएसएमई के वित्त पोषण के लिए बेहतर पंहुच हेतु आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित दो घोषणाएं की गईः

1.4.10.1 संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रु. का अधिनस्थ ऋण

- संकटग्रस्त अधीनस्थ ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएसडी) को दिनांक 24 जून, 2020 को अंतिम रूप दिया गया और शुभारंभ किया गया था। यह स्कीम प्रारम्भ में केवल दिनांक 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी थी, लेकिन बाद में इसका कार्यकाल दिनांक 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया।
- स्कीम के अंतर्गत, उन एमएसएमई के पुनरूद्धार के लिए निधि का संचार किया जाता है जिनके खाते संकटग्रस्त (एसएमए–2 या एनपीए) हो गए हैं, लेकिन इकाइयां क्रियाशील हैं।
- भारत सरकार योग्य इकाइयों के प्रमोटरों को दिए जाने वाले ऋणों की गारंटी देने के लिए एक कोष के निर्माण हेतु 4,000 करोड़ रूपए का योगदान करती है।
- इस स्कीम का कार्यान्वयन सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इस स्कीम के अंतर्गत 20,000 करोड़ रूपए के ऋण की गारंटी देने का लक्ष्य है।
- माह मार्च 2021 में सीजीटीएमएसई को 4,000 करोड़ रू. के कुल कोष में से 157.41 करोड़ रूपए जारी किए गए थे। स्कीम दिशानिर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव प्रगति पर है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार, 36 बैंकों द्वारा 756 ऋणियों को 81.78 करोड़ रूपए की गारंटी दी गई है।

1.4.10.2 आत्मनिर्भर भारत कोष (निधियों का कोष) के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रूपए का इक्विटी इंफ्यूजन (निधियों का कोष)

- **उद्देश्यः** आत्मनिर्भर भारत कोष (एसआरआई फंड) का उद्देश्य एमएसएमई की विकास निधि की स्थाई आवश्यकता को पूरा करना है। भारत सरकार द्वारा कोष का निवेश करना आवश्यक है जो अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव के निर्माण के लिए निजी इक्विटी, बैंचर कैपिटल आदि जैसे अन्य हितधारकों से पूंजी के पूल को उत्प्रेरित और लाभ प्राप्त कर सकता है और इसलिए एमएसएमई को विकास पूंजी उपलब्ध कराना जिससे वे वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।
- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत, भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रूपए का निधियों का कोष स्थापित करने की घोषणा की है। इस कोष, जिसे आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष कहा जाता है, का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में निवेश करने वाली बेंचर कैपिटल (वीसी)/प्राइवेट इक्विटी (पीई) फर्मों को एमएसएमई खंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

- यह कोष एमएसएमई क्षेत्र की विकास पूंजी वित्तपोषण चुनौतियों का समाधान करेगा और उन्हें अपनी बाधाओं का समाधान करने, निगमीकरण को प्रोत्साहित करने पर बल देगा और उन्हें वैश्विक चैंपियन बनने के लिए अपनी पूर्ण अंतर्निहित क्षमता तक बढ़ने की अनुमति देगा। सरकारी हस्तक्षेप के साथ, कोष विभिन्न प्रकार के कोषों को कम सेवा वाले एमएसएमई में चैनलाइज करने और व्यवहार्य एवं उच्च विकास एमएसएमई की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा।

- एसआरआई कोष को लागू करने के लिए, एनएसआईसी बेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में निर्मित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीबी) को दिनांक 1 सितम्बर, 2021 को श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसके बाद, (i) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार (ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (iii) एनएसआईसी बेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड और (iv) एसबीआई कैंप बेंचर्स लिमिटेड के बीच दिनांक 12 अक्तूबर, 2021 को योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

- बेटी कोष द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कोष और एसआरआई कोष द्वारा प्रतिबद्ध कोष 4:1 के अनुपात में होंगे और यह आशा की जाती है कि एसआरआई कोष की पहल गुणक प्रभाव उत्पन्न करेगी जिससे एमएसएमई क्षेत्र को लगभग 50,000 करोड़ रूपए की महत्वपूर्ण नगदी प्राप्त होगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को सक्षम बनाया जा सकेगा।

1.4.11 एमएसएमई मंत्रालय का कौशल प्रशिक्षण का परितंत्र (इकोसिस्टम)

1.4.11.1 देश में उद्योग के विकास के लिए सही प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने प्रयास में विभिन्न उभरते हुए तथा परंपरागत क्षेत्रों में उद्यमों के विभिन्न खंडों में कुशल कार्यबल की मांग को पूरा करने के लिए एक सशक्त कौशल पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) विकसित की है।

मंत्रालय मौजूदा एवं भावी उद्यमियों को उनकी क्षमता निर्माण के लिए कई कौशल विकास कार्यक्रम/पाठ्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। ये पाठ्यक्रम उद्यम की मांग के अनुसार एमएसएमई पारिस्थितिकी प्रणाली (इकोसिस्टम) के बदलते परिदृश्य तथा भारत में वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप एमएसएमई क्षेत्र में कुशल कार्यबल के अपेक्षित अंतराल को भरने के रास्ते के अनुरूप हैं।

मंत्रालय के अधीन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) तथा एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केन्द्र (टीसी) संस्थानों को एक नेटवर्क द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की पात्रता विद्यालय छोड़ने से लेकर एम. टेक स्तर की रेंज में है। इन संस्थानों द्व ारा विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम अर्थात् प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग तथा कयर क्षेत्र के परंपरागत क्षेत्र में कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ), कौशल विकास एवं उद्यमिता (एमएसडी) मंत्रालय के साथ उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अनुरूप बनाने हेतु पहल की है। मंत्रालय के कौशल प्रशिक्षणों की कौशल इण्डिया मिशन कन्वर्जेन्स के अंतर्गत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) को अवगत कराया जाता है।

1.4.11.2 कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रगति

मंत्रालय के अधीन संगठन युवाओं को मजदूरी, रोजगार और स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वे मौजूदा उद्यमियों और कार्यबल को उनका कार्यनिष्पादन बढ़ाने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। ये प्रशिक्षण विभिन्न स्कीमों जैसे एमएसएमई टीसी, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई), राष्ट्रीय एससी/एसटी हब, क्षमता–निर्माण, कयर विकास योजना–कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना, इत्यादि के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय के अधीन संगठनों द्वारा उद्योग अपेक्षाओं अनुसार ग्राहक अनुकूल मांग आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

वर्ष 2014–15 से लेकर 2020–21 में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रगति निम्न चार्ट में दी गई है।

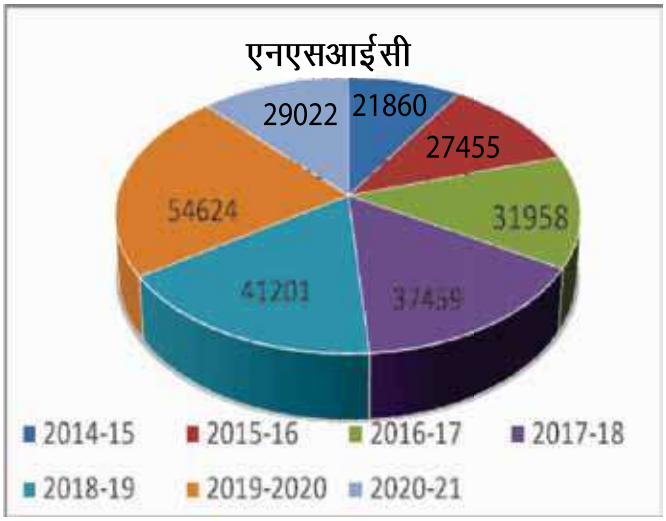

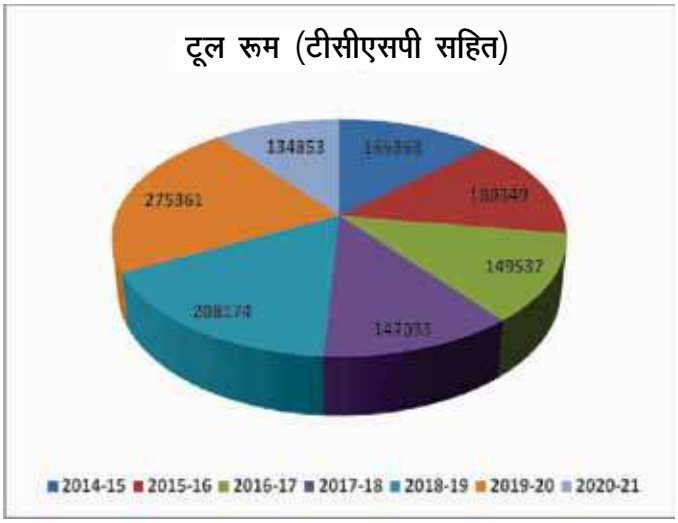

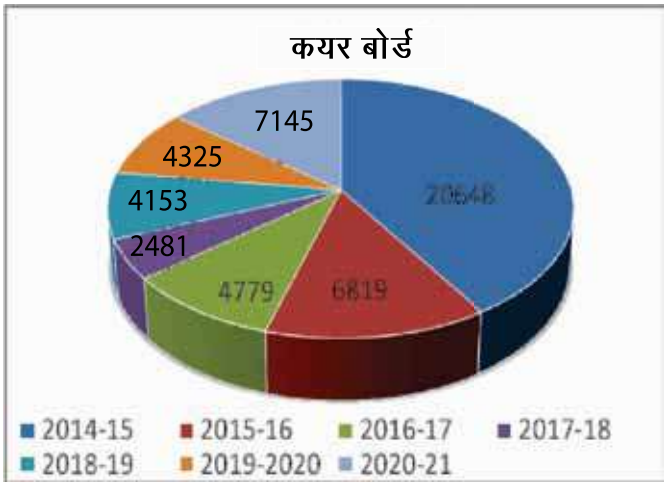

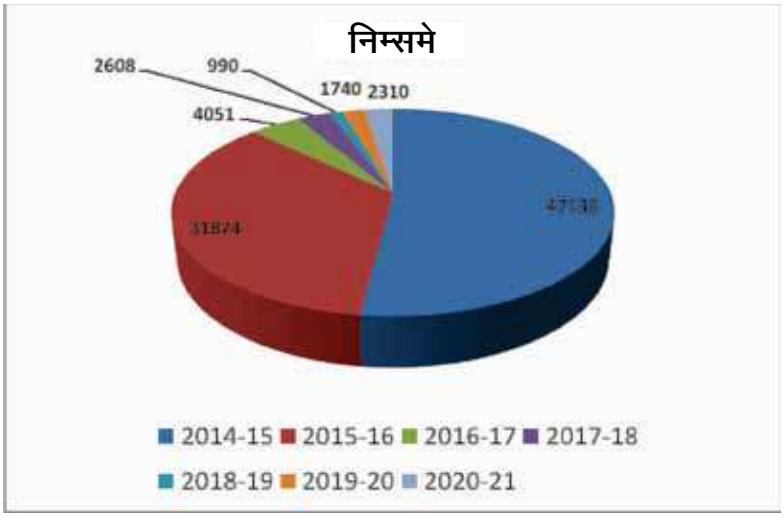

- वर्ष 2021–2022 में दिनांक 31.12.2021 तक कुल 1,94,689 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

1.4.12 एमएसएमई मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा

1.4.12.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 से 30 जून, 2021 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। प्राथमिकता के आधार पर कार्यालय परिसरों को स्वच्छ रखने पर अधिक ज़ोर दिया गया।

1.4.12.2 स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान मंत्रालय और इसके अधिनस्थ संगठनों नामतः खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), कयर बोर्ड, निम्समे, एमगिरी और एमएसएमई–डीआई ने कार्यालय परिसरों में नियमित रूप से स्वच्छता के कार्य किए।

1.4.13 माननीय प्रधान मंत्री ने एमएसएसमई क्षेत्र के सुदृढीकरण के लिए दिनांक 2 नवम्बर, 2018 को एमएसएमई को सहायता और आउटरीच कार्यक्रम में 12 प्रमुख घोषणाएं की। इन 12 प्रमुख घोषणाओं का उद्देश्य पहुंच ऋण, बाज़ार पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यवसाय करने में आसानी और एमएसएमई के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा आदि जैसी एमएसएमई की विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (दिनांक 31.12.2021 की स्थिति अनुसार) से संबंधित 12 प्रमुख घोषणाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	घोषणा	दिनांक 31.12.2021 की स्थिति अनुसार अद्यतन स्थिति का सारांश
1.	एमएसएमई के लिए ऋण की आसान पहुँच को समर्थ करने के लिए 59 मिनट ऋण पोर्टल का शुभारंभ। पोर्टल के माध्यम से 1 करोड़ रु. तक के ऋणों का सैद्धांतिक अनुमोदन। जीएसटी पोर्टल के माध्यम से पोर्टल लिंक।	• 79,527 करोड़ रु. सहित 2,37,027 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। • 64,776 करोड़ रु. सहित 2,20,664 ऋण संवितरण किए गए।

क्र. सं.	घोषणा	दिनांक 31.12.2021 की स्थिति अनुसार अद्यतन स्थिति का सारांश
2.	(i) वृद्धिवर्धक ऋणों पर सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई हेतु 2 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता।	• सिडबी ने 62 बैंकों/ एनबीएफसी से 975 करोड़ रु. के दावें प्राप्त किए हैं और इनका समायोजन किया है।
	(ii) शिपमेंट पूर्व एवं शिपमेंट पश्चात ऋण लेने वाले निर्यातकों के लिए ब्याज छूट 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना।	• उसी क्षेत्र और कवरेज के साथ स्कीम दिनांक 30 .09.2021 तक बढ़ाई गयी है। • ब्याज समानीकरण स्कीम के लिए वित्त वर्ष 2020–21 के अंतर्गत 1667 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई और इसे आरबीआई को जारी किया गया। वित्त वर्ष 2021–22 के अंतर्गत 1900 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई और इसे आरबीआई को जारी किया गया।
3.	(i) 500 करोड़ से अधिक के कारोबार करने वाली कंपनियों को ट्रेड रिसिवेबल ई–डिस्काऊंटिंग सिस्टम (ईआरईडीएस) पर लाया गया जिससे आगामी प्राप्तियों आधारित ऋण पहुंच हेतु उद्यमियों को सशक्त कर सकें।	• कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 500 करोड़ रु. से अधिक का कारोबार करने वाली 4714 कंपनियों की सूची चिह्नित की गयी (माह अप्रैल, 2021 में)। टीआरईडीएस पर पंजीकृत और केन्द्र सरकार की कंपनियों को निष्पादित करने के बाद, (एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.11.2018 को जारी अधिसूचना संख्या एसओ 5621 (ई) के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार अनुपालन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्रवाई के लिए चिन्हित इन 4714 कंपनियों में से अब तक 1643 कंपनियों ने टीआरईडीएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।
	(ii) सभी सीपीएसयू टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर ऑनबोर्ड किए जाएं।	• टीआरईडीएस पर 195 सीपीएसई पहले ही ऑनबोर्ड हो गई। • सीपीएसई क्षेत्र की 3903 एमएसएमई पंजीकृत की गई।
4.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) इकाइयों मध्यम और लघु उद्यमों से 20% के स्थान पर 25% की खरीद अनिवार्य है।	• अभी तक वर्ष 2021–22 के दौरान अब तक, सीपीएसयू ने अभी तक 117,583 एमएसई से 24,363.79 करोड़ रु. मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का प्रापण किया है जो कुल प्रापण का 31.74% मूल्य की हैं।
5.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) को 25% के प्रापण में से महिला उद्यमियों से 3% प्रापण अनिवार्य किया है।	• वर्ष 2021–22 के दौरान, सीपीएसयू ने महिला स्वामित्व की 4368 एमएसई से किया है जिनका वस्तु एवं सेवा मूल्य 581.47 करोड़ रु. है जो कुल प्रापण का 0.76% मूल्य की हैं।

क्र. सं.	घोषणा	दिनांक 31.12.2021 की स्थिति अनुसार अद्यतन स्थिति का सारांश
6.	सीपीएसयू को अनिवार्य रुप से पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल जेम– गर्वनमेंट ई–मार्केट प्लेस का भाग होना अनिवार्य है। सीपीएसयू अपने विक्रेताओं का जेम पोर्टल पर पंजीकरण कराए।	• दिनांक 02.11.2018 के बाद से जेम पोर्टल पर 277 सीपीएसयू/ सीपीएसबी के ऑनबोर्ड / पंजीकृत किया हैं। • जेम पोर्टल पोर्टल पर कुल 7,41,756 एमएसई विक्रेता और सेवाप्रदाता पंजीकृत हुए। • जेम पोर्टल पर ऑर्डल मूल्य का 59.73% एमएसई क्षेत्र का है।
7.	6000 करोड़ रु. की निधि आबंटन के साथ देश भर में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए टूल रुमों के रूप में 20 हब और 100 स्पोक स्थापित किए जाए।	**प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) की स्थितिः** • 20 प्रौद्योगिकी केन्द्रों के स्थान को अंतिम रूप दिया गया। • 10 स्थानों पर भूमि को अंतिम रूप दिया गया। दो स्थानों पर भूमि इस कार्यालय के अधिग्रहण में है और 8 स्थानों पर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में है। अन्य स्थानों के लिए भूमि की पहचान/अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। **विस्तार केंद्रों (ईसी) की स्थितिः** • विस्तार केन्द्रों के लिए स्वीकृत 35 स्थानों में से, 24 विस्तार केंद्र अपने डीपीआर के अनुमोदन के बाद स्थापना की प्रक्रिया में हैं। • इनमें से 17 ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और एमएसएमई की सहायता करना प्रारंभ कर दिया है। • वर्ष 2021–22 के दौरान, दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार इन विस्तार केंद्रों द्वारा 9664 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है और 355 एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है।
8.	फार्मा एमएसएमई के लिए क्लस्टर बनाए और भारत सरकार की 70% सहायता प्रदान की गई।	• सभी 4 जिलों अर्थात् औरंगाबाद, पुणे, सोलन (बद्दी) और इंदौर से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रत्येक प्रस्ताव की स्थिति नीचे दी गई है। • इंदुमती फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, पुणे से प्राप्त प्रस्ताव को दिनांक 26.03.2021 को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना का विवरण इस प्रकार हैः– परियोजना लागतः– 31,43,75,175/– प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायताः– 20.00 करोड़ रू.

क्र. सं.	घोषणा	दिनांक 31.12.2021 की स्थिति अनुसार अद्यतन स्थिति का सारांश
		जारी की गई राशिः– 5,48,97,816 रूपए (वित्तीय सहायता की 30 प्रतिशत की पहली किस्त का भुगतान दिया जाना है) • हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर मौजूदा फार्मा टेस्टिंग लैब सोलन (बद्दी) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को सूची से हटा दिया गया।
		• महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्र में एक फार्मा क्लस्टर स्थापित करने के लिए मराठवाड़ा फार्मा क्लस्टर, एसपीवी, औरंगाबाद से प्राप्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। • परियोजना के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग से प्राप्त प्रस्ताव मध्य प्रदेश स्मॉल स्केल ड्रग मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन को अस्वीकार कर दिया गया है।
9.	सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए 8 श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय कानूनों हेतु फाईल किए जाने के लिए केवल एक वार्षिक रिटर्न।	• सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को 8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के अंतर्गत श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन एकीकृत वीर्षिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के विषय में जागरूक करने के लिए अपने क्षेत्र के नियोक्ताओं तक प्रबलता से संपर्क करने की सलाह दी गई। • वर्ष 2020 के लिए, दिनांक 31.10.2021 तक 35,539 एकीकृत वार्षिक रिटर्न प्राप्त हुए।
10.	सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए निरीक्षकों द्वारा फर्मों का दौरा करने के लिए कंप्यूटरीकृत रेंडम आबंटन।	• सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को समय–समय पर श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से जोखिम आधारित कम्प्यूटरीकृत रेंडम आबंटन प्रणाली का अनुसरण करते हुए निरीक्षण को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्देश जारी होने के बाद, कम्प्यूटरीकृत रेंडम आबंटन प्रणाली के माध्यम से 30,990* संस्थानों (एमएसएमई की स्थापना सहित) का निरीक्षण किया गया है और सभी निरीक्षण रिपोर्ट श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड की गई है, जिनमें से 20,595* 48 घंटे के भीतर अपलोड कर दी गई हैं। • आंकड़े दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 तक की अवधि के हैं।

क्र. सं.	घोषणा	दिनांक 31.12.2021 की स्थिति अनुसार अद्यतन स्थिति का सारांश
11.	वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के अंतर्गत इकाई स्थापित करने के लिए पर्यावरणीय अनुमतियों को और सहमतियों को एकल सहमति हेतु मिलाया जाए। स्व–प्रमाणन आधार पर रिर्टन स्वीकार हो।	• केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 2 नवंबर 2018 को वायु और जल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को ईसी तथा सीटीई की वन–स्टेप प्रक्रिया के लिए निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, उक्त निर्देशों के संचालन पर माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा रोक लगा दी गई थी। इस समय मामला विचाराधीन है।
12.	न्यायालय से अप्रोच करनें की बजाय सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लघु उल्लंघनों को सही करने हेतु उद्यमियों को सक्षम बनाने के लिए अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है।	• कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.11.2018 को प्रख्यापित अध्यादेश अब कंपनी (संशोधित) अधिनियम, 2019 बन गया है। इसने न्यायालय को दंड लगाने हेतु अप्रोच करने की बजाय (जुर्माना/सजा लागू करना) सरल प्रक्रियाओं (दंड लगाना) के माध्यम से कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लघु उल्लंघनों को सही करने में उद्यमियों को सक्षम किया। दंड लगाने के लिए आरओसी द्वारा सभी मामलों पर की गई सुनवाई को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जाता है।

1.4.14 आपात ऋण गारंटी स्कीम (जीईसीएल):

आपात ऋण गारंटी स्कीम (जीईसीएल) स्कीम के अंतर्गत, 10,000 करोड़ रूपए के कुल बजटीय आबंटन में से, 500 करोड़ रूपए की राशि कार्यान्वयन एजेंसी, अर्थान नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी (एनसीजीटीसी) को माह दिसम्बर, 2021 में जारी की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त एजेंसी को दिनांक 31.12.2021 तक कुल 7,750 करोड़ रू की राशि जारी की गई।

1.4.15 गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जेम के लिए इच्छा व्यक्त करने वालों को सक्षम बनाने हेतु उद्यम पंजीकरण ऑनलाईन फॉर्म में एमएसएमई के लिए बटन प्रदान करके पहले से ही प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रहा है।

दिनांक 31.12.2021 के जेम पोर्टल के अनुसार, कुल ऑनबोर्ड एमएसई और उनका ऑर्डर मूल्य निम्नानुसार है:

एमएसएमई विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की संख्या	आर्डर मूल्य (एमएसई %)
7,41,756	59.73

2
अध्याय

एमएसएमई क्षेत्र का दृश्यावलोकन और कार्य–निष्पादन

एमएसएमई क्षेत्र का दृश्यावलोकन और कार्य–निष्पादन

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका

2.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) व्यवसाय नवप्रवर्तनों के माध्यम से उद्यमीय प्रयासों के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एमएसएमई घरेलू एवं वैश्विक बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और सेवाएं प्रदान करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। भारत में एमएसएमई बड़े उद्योगों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करने के साथ–साथ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के माध्यम से, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, राष्ट्रीय आय और धन के अधिक समान वितरण का आश्वासन देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

2.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एनएसएस के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015–16) के मुख्य परिणाम

2.2.1 देश में एमएसएमई की अनुमानित संख्याः

2.2.1.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015–16 अवधि के दौरान आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार, (क) फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 2एम (i) और 2एम (ii), (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 और (ग) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 की धारा एफ के तहत आने वाले निर्माण कार्यकलापों के तहत पंजीकृत एमएसएमई को छोड़कर देश में 633.88 लाख अनिगमित गैर–कृषि एमएसएमई विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में लगे थे (196.65 लाख विनिर्माण में, 0.03 लाख नॉन कैप्टिव बिजली उत्पादन और संचरण; 230.35 लाख व्यापार में और 206.85 लाख अन्य सेवाओं में)। तालिका 2.1 और चित्र 2.1 कार्यकलाप वार एमएसएमई के वितरण को दर्शाते हैं।

तालिका 2.1 : एमएसएमई की अनुमानित संख्या (कार्यकलाप वार)

कार्यकलाप श्रेणी	उद्यमों की अनुमानित संख्या (लाख में)			हिस्सा (%)
	ग्रामीण	शहरी	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विनिर्माण	114.14	82.50	**196.65**	**31**
बिजली*	0.03	0.01	**0.03**	**0**
व्यापार	108.71	121.64	**230.35**	**36**
अन्य सेवाएं	102.00	104.85	**206.85**	**33**
सभी	**324.88**	**309.00**	**633.88**	**100**

**नॉन–कैप्टिव बिजली उत्पादन और संचरण*

2.2.1.2 630.52 लाख अनुमानित उद्यमों के साथ सूक्ष्म क्षेत्र का एमएसएमई की कुल अनुमानित संख्या में 99% से अधिक है। 3.31 लाख के साथ लघु क्षेत्र और 0.05 लाख अनुमानित एमएसएमई के साथ मध्यम क्षेत्र का कुल अनुमानित एमएसएमई में क्रमशः 0.52% और 0.01 कैप्टिव बिजली उत्पादन और संचरण हिस्सा है। लगभग 633.88 लाख एमएसएमई में से 324.88 लाख एमएसएमई (51.25 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र में तथा 309 लाख एमएसएमई (48.75 प्रतिशत) शहरी क्षेत्र में हैं। चित्र 2.1 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में के वितरण को दर्शाते हैं। एमएसएमई की राज्य–वार अनुमानित संख्या अनुबंध–1 में भी संलग्न है।

चित्र 2.1 : देश में ग्रामीण और शहरी एमएसएमई के हिस्से की प्रतिशतता (लाख रु. में)

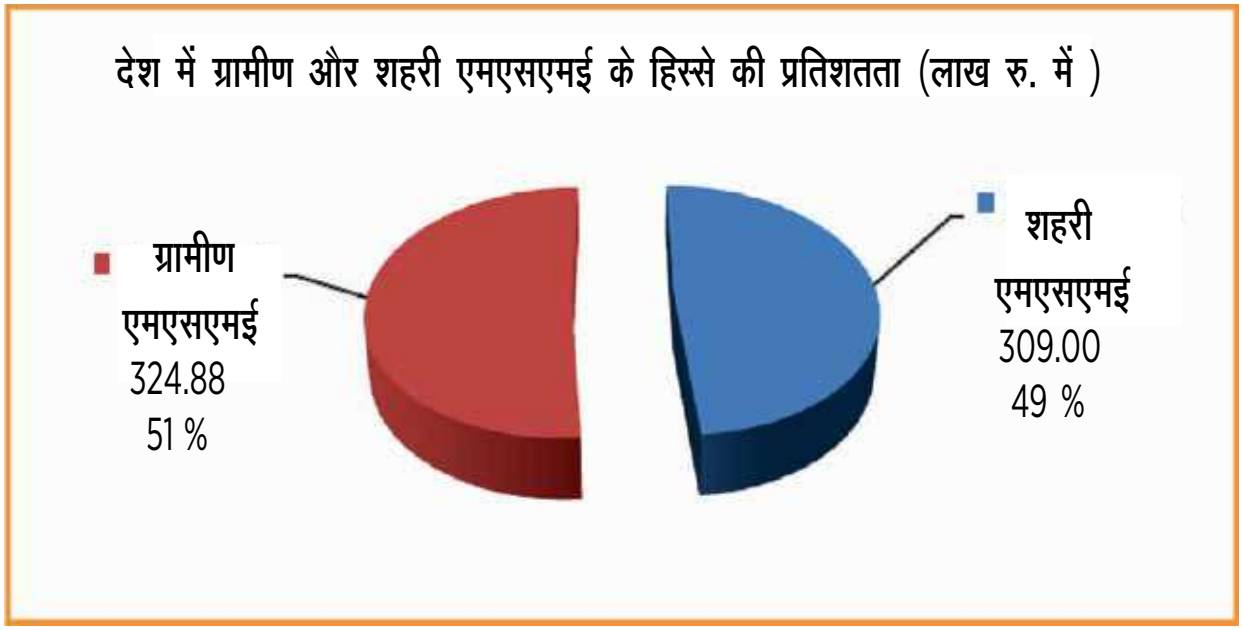

2.2.2 उद्यमों के स्वामित्व का प्रकार

2.2.2.1 पुरुष/महिला स्वामित्व

633.88 एमएसएमई में से 608.41 लाख (95.98 प्रतिशत) एमएसएमई मालिकाना कारोबार थे। स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में पुरूषों का वर्चस्व था। इसलिए पूर्ण रूप से स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए महिलाओं द्वारा स्वामित्व वाले 20.37% उद्यमों के मुकाबले 79.63% पर पुरुषों का स्वामित्व का। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस संरचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं था हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में पुरूष स्वामित्व वाले उद्यमों का वर्चस्व थोड़ा अधिक (77.76 प्रतिशत के मुकाबले 81.58 प्रतिशत) था।

तालिका 2.2 : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के वितरण का प्रतिशत (पुरूष/महिला स्वामित)

क्षेत्र	पुरूष	महिला	कुल
ग्रामीण	77.76	22.24	100
शहरी	81.58	18.42	100
कुल	**79.63**	**20.37**	**100**

तालिका 2.3 : पुरूष/महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों के वितरण की प्रतिशतता

क्षेत्र	पुरूष	महिला	कुल
सूक्ष्म	79.56	20.44	100
लघु	94.74	5.26	100
मध्यम	97.33	2.67	100
कुल	**79.63**	**20.37**	**100**

2.2.3 सामाजिक श्रेणी वार उद्यमों का स्वामित्व

2.2.3.1 एमएसएमई का 66.27 प्रतिशत स्वामित्व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग का है। जिसमें से सर्वाधिक भाग पर अन्य पिछड़ा वर्ग का स्वामित्व है (49.72 प्रतिशत)। एमएसएमई क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 12.45 प्रतिशत और 4.10 प्रतिशत पर कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में, एमएसएमई का लगभग 73.67 प्रतिशत सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के स्वामित्व वाले थे जिनमें से 51.59 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित थे। शहरी क्षेत्रों में, लगभग 58.68 प्रतिशत सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित थे, जिनमें से 47.80 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित थे।

तालिका 2.4 : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वर्ग के स्वामित्व वाले उद्यमों के वितरण की प्रतिशतता

क्षेत्र	अजा	अजजा	अपिव	अन्य	ज्ञात नहीं	कुल
ग्रामीण	15.37	6.70	51.59	25.62	0.72	100.00
शहरी	9.45	1.43	47.80	40.46	0.86	100.00
कुल	12.45	4.10	49.72	32.95	0.79	100.00

2.2.3.2 एमएसएमई क्षेत्र के तीनों खंडों में से प्रत्येक में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के स्वामित्व वाले उद्यमों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि सूक्ष्म क्षेत्र में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का 66.42 प्रतिशत उद्यमों पर स्वामित्व था जबकि लघु और मध्यम क्षेत्र में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का क्रमशः 36.80 प्रतिशत और 24.94 प्रतिशत उद्यमों पर स्वामित्व था।

चित्र 2.2: सामाजिक वर्ग स्वामी और श्रेणी द्वारा उद्यमों के प्रकार के वितरण की प्रतिशतता

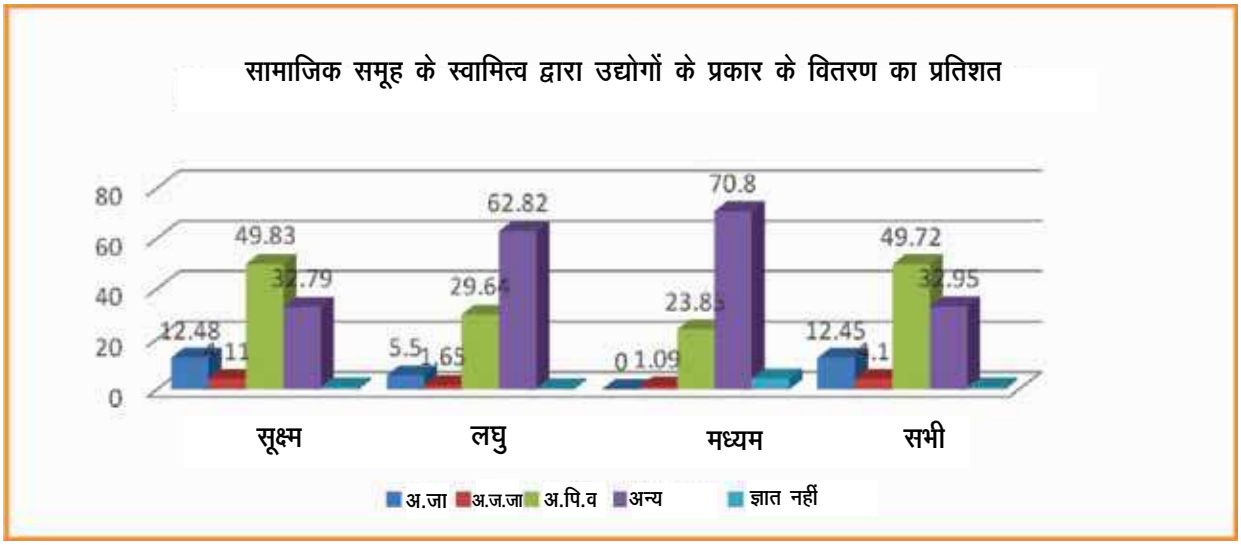

2.2.4 रोजगार

2.2.4.1 वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) 73वें दौर के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 11.10 करोड़ रोजगार (विनिर्माण में 360.41 लाख, व्यापार में 387.18 लाख और अन्य सेवाओं में 362.82 लाख तथा नॉन कैप्टिव बिजली उत्पादन और संचारण में 0.07 लाख) सृजित किए हैं। तालिका संख्या 2.5 एमएसएमई के क्रियाकलापों के अनुसार वितरण को दर्शाता है।

तालिक 2.5: एमएसएमई क्षेत्र में अनुमानित रोजगार (कार्यकलाप वार)

विस्तृत कार्यकलाप श्रेणी	रोजगार (लाख में)			हिस्सा (%)
	ग्रामीण	शहरी	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विनिर्माण	186.56	173.86	360.41	32
बिजली*	0.06	0.02	0.07	0
व्यापार	160.64	226.54	387.18	35
अन्य सेवाएं	150.53	211.69	362.22	33
कुल	**497.78**	**612.10**	**1109.89**	**100**

**नॉन कैप्टिव बिजली उत्पादन और संचारण*

2.2.4.2 सूक्ष्म क्षेत्र में लगभग 630.52 लाख उद्यमों ने 1076.19 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जो कि इस क्षेत्र में कुल रोजगार का लगभग 97 प्रतिशत है। एमएसएमई क्षेत्र में कुल रोजगार में से लघु क्षेत्र में 3.31 लाख और मध्यम क्षेत्र में 0.05 लाख अनुमानित एमएसएमई ने क्रमशः 31.95 लाख (2.88 प्रतिशत) और 1.75 लाख (0.16 प्रतिशत) व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। तालिका 2.6 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रवार रोजगार के वितरण को दर्शाते हैं। रोजगार का राज्य–वार वितरण अनुबंध–II में दिया गया है।

तालिका 2.6 : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार द्वारा रोजगार का वितरण

(संख्या लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	अंश (%)
ग्रामीण	489.30	7.88	0.60	**497.78**	**45**
शहरी	586.88	24.06	1.16	**612.10**	**55**
कुल	1076.19	31.95	1.75	**1109.89**	**100**

2.2.4.3 एमएसएमई क्षेत्र में 1109.89 लाख कर्मचारियों में से 844.68 लाख (76 प्रतिशत) पुरुष कर्मचारी हैं और शेष 264.92 लाख (24 प्रतिशत) महिलाएं हैं। तालिका 2.7 महिला और पुरुष श्रेणी में कामगारों के क्षेत्रीय वितरण को दर्शाते हैं।

तालिका 2.7 : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिंग के आधार पर कामगारों का वितरण

(संख्या लाख में)

क्षेत्र	महिला	पुरुष	कुल	हिस्सा (%)
ग्रामीण	137.50	360.15	497.78	45
शहरी	127.42	484.54	612.10	55
कुल	264.92	844.68	1109.89	100
हिस्सा (%)	**24**	**76**	**100**	

2.3 तुलनात्मक विश्लेषण

2.3.1 निम्नलिखित तालिका सं. 2.8 शीर्ष दस राज्यों में प्रतिशत में एमएसएमई की तुलनात्मक वितरण

तालिका सं. 2.8: शीर्ष दस राज्यों का तुलनात्मक वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एनएसएस का 73वां चरण		एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना और पांचवी आर्थिक गणना	
		संख्या (लाख में)	हिस्सा (%)	संख्या (लाख में)	हिस्सा (%)
1	उत्तर प्रदेश	89.99	14	44.03	12
2	पश्चिम बंगाल	88.67	14	34.64	10
3	तमिलनाडु	49.48	8	33.13	9
4	महाराष्ट्र	47.78	8	30.63	8
5	कर्नाटक	38.34	6	20.19	6
6	बिहार	34.46	5	14.70	4
7	आंध्र प्रदेश***	33.87	5	25.96	7
8	गुजरात	33.16	5	21.78	6
9	राजस्थान	26.87	4	16.64	5
10	मध्य प्रदेश	26.74	4	19.33	5
11	**उपर्युक्त दस राज्यों का कुल**	**469.4**	**74**	**261.04**	**72**
12	**अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र**	164.5	26	100.72	28
13	**कुल**	**633.9**	**100**	**361.76**	**100**

**एनएसएस का 73वां चरण, 2015–16, **एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2006–07, (अपंजीकृत क्षेत्र) और पांचवी आर्थिक जनगणना '*
**** एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना में तेलंगाना सहित*

चित्र 2.9 : एमएसएमई के वितरण की तुलनात्मक प्रतिशतता

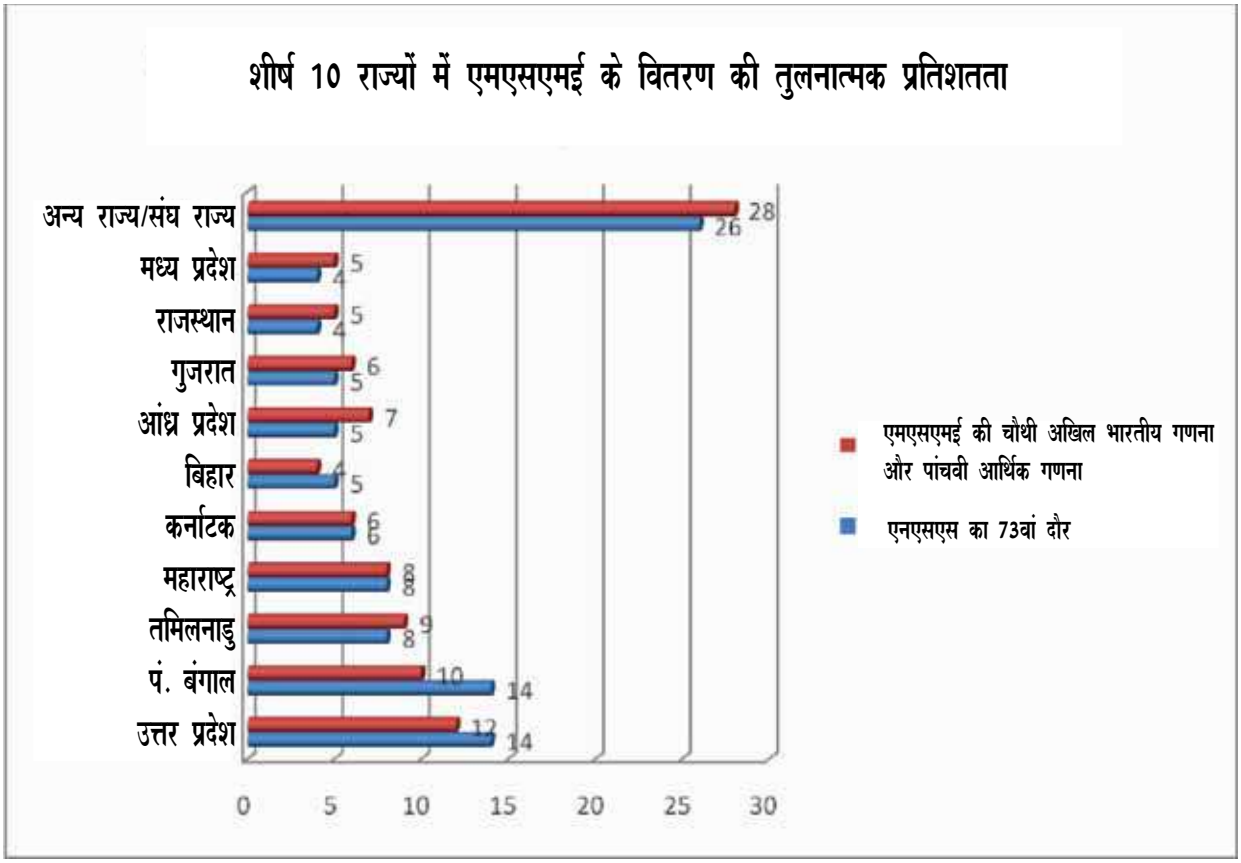

2.4. नए एमएसएमई का पंजीकरण

2.4.1 किसी अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के सफल विकास का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक नए एमएसएमई खोलने से संबंधित डाटा है; यह अर्थव्यवस्था में ऐसी इकाइयों को खोलने और उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण को दर्शाता है और साथ ही अर्थव्यवस्था की व्यापक अर्थव्यवस्था में उद्यमियों के उच्च मनोबल को दर्शाता है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 से पहले, छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिए जिला उद्योग केन्द्रों में पंजीकरण की एक प्रणाली थी। । उसके बाद, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, एमएसएमई उद्यम शुरू करने से पहले जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) में उद्यमी ज्ञापन (भाग–I) दाखिल करते थे। उत्पादन शुरू होने के बाद, संबंधित उद्यमियों द्वारा उद्यमी ज्ञापन (भाग–II) / [ईएम–II] दाखिल करते थे।

2.4.2 मंत्रालय ने उद्योग आधार ज्ञापन फाइलिंग की पूर्ववर्ती प्रक्रिया को दिनांक 26.06.2020 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित एमएसएमई के वर्गीकरण की संशोधित मापदंड के आधार पर इस मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल पर 'उद्यम' पंजीकरण से बदल दिया है। अब मौजूदा और भावी उद्यमी पोर्टलः https://udyamregistration.gov.in. पर अपना 'उद्यम' पंजीकरण ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।

2.4.3. उद्यम पंजीकरण का विशलेषण विनिर्माण और सेवा एमएसएमई का अलग–अलग विवरण प्रदान करता है। यह ध्यान में रखा जाता है कि विनिर्माण में एमएसएमई की तुलना में सेवा क्षेत्र की एमएसएमई का उद्यम पंजीकरण में अधिक हिस्सा है। अलग–अलग विवरण चित्र 2.4 में दिया गया है।

चित्र 2.4 : उद्यम पंजीकरण का हिस्सा–विनिर्माण और सेवा

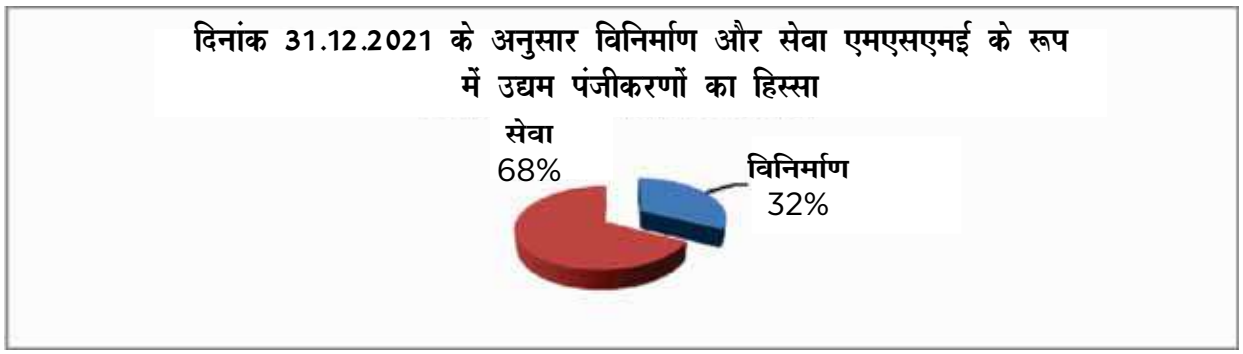

2.4.4. चित्र 2.5 दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम के उद्यम पंजीकरण का वितरण दर्शाता है। जैसा कि देखा जा सकता है, सूक्ष्म एमएसएमई उद्यमों के बड़े हिस्से का गठन करते हैं, जिसके बाद उद्यम पंजीकरण के कुल के लघु उद्यम और मध्यम उद्यम आते हैं।

चित्र 2.5: दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार उद्यम पंजीकरण के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वितरण

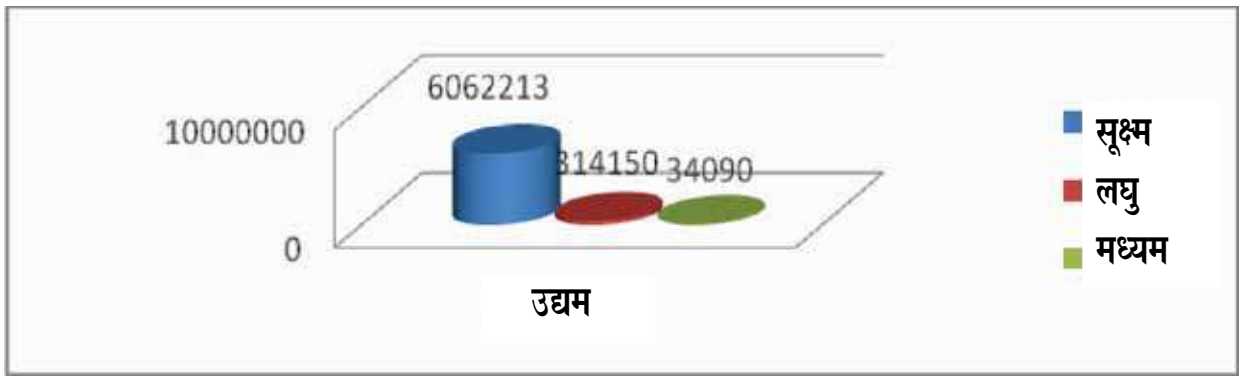

2.4.5 उद्यम पंजीकरण उद्यमों के स्वामियों की सामाजिक श्रेणी से संबंधित जानकारी भी एकत्रित करता है। चित्र 2.6 दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार उद्यम पंजीकरण के अनुसार (अजा, अजजा, अपिव और सामान्य उद्यमों का वितरण दर्शाता है।

चित्र 2.6: उद्यम पंजीकरण के अनुकार अजा/अजजा/अपिव/सामान्य उद्यमों का वितरण

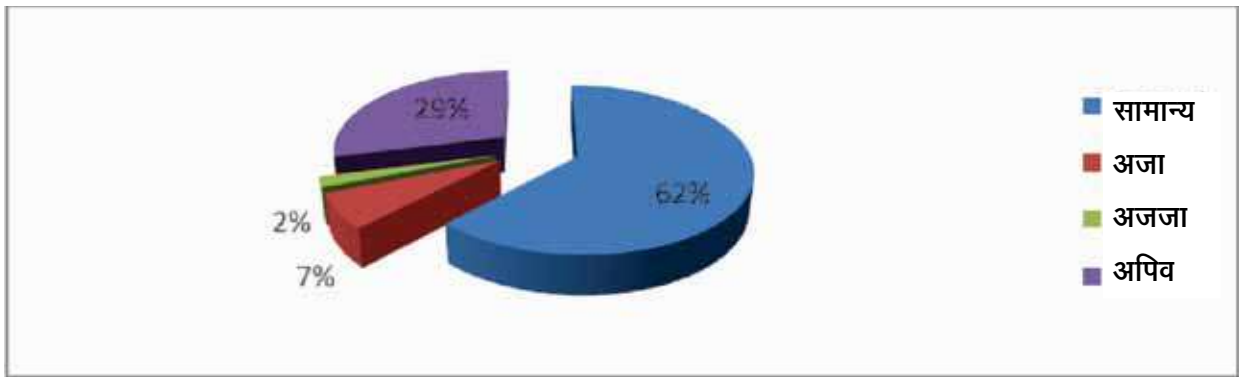

2.4.6 उद्यम पंजीकरण का विश्लेषण असमान राज्य–वार वितरण दर्शाता है। चित्र 2.7 प्रमुख राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उद्यम पंजीकरण का राज्यवार वितरण दर्शाता है।

चित्र 2.7:दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार उद्यम पंजीकरण का राज्य–वार ब्यौरा

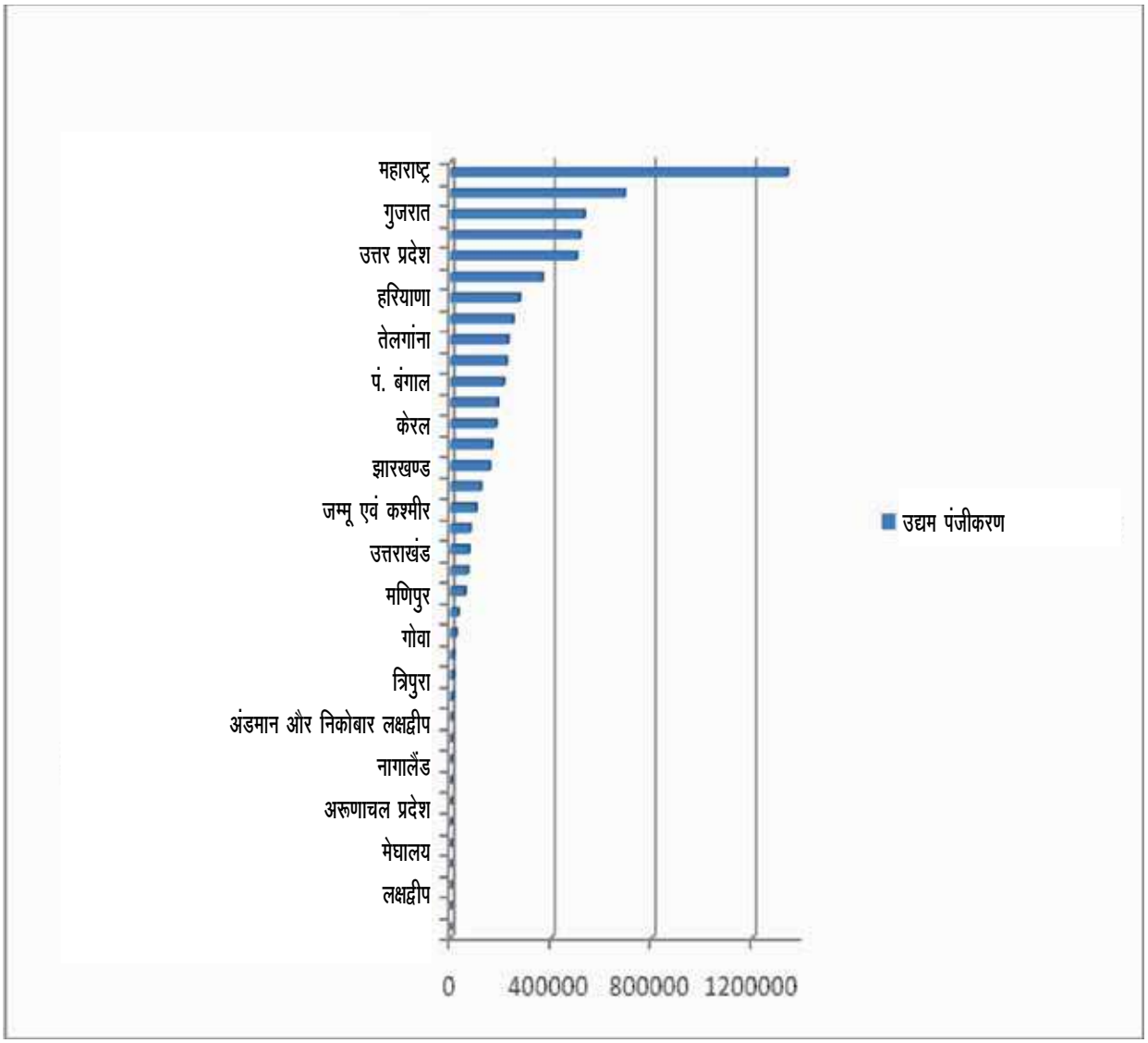

अनुबंध–I

तालिका 1: एमएसएमई की अनुमानित संख्या का राज्य–वार वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उद्यमों की अनुमानित संख्या (संख्या लाख में)			
		कुल			
		सूक्ष्म	लघु	मध्यम	एमएसएमई
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	आंध्र प्रदेश	33.74	0.13	0.00	33.87
2	अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.00	0.00	0.23
3	असम	12.10	0.04	0.00	12.14
4	बिहार	34.41	0.04	0.00	34.46
5	छत्तीसगढ़	8.45	0.03	0.00	8.48
6	दिल्ली	9.25	0.11	0.00	9.36
7	गोवा	0.70	0.00	0.00	0.70
8	गुजरात	32.67	0.50	0.00	33.16
9	हरियाणा	9.53	0.17	0.00	9.70
10	हिमाचल प्रदेश	3.86	0.06	0.00	3.92
11	जम्मू और कश्मीर	7.06	0.03	0.00	7.09
12	झारखंड	15.78	0.10	0.00	15.88
13	कर्नाटक	38.25	0.09	0.00	38.34
14	केरल	23.58	0.21	0.00	23.79
15	मध्य प्रदेश	26.42	0.31	0.01	26.74
16	महाराष्ट्र	47.60	0.17	0.00	47.78
17	मणिपुर	1.80	0.00	0.00	1.80
18	मेघालय	1.12	0.00	0.00	1.12
19	मिजोरम	0.35	0.00	0.00	0.35
20	नागालैंड	0.91	0.00	0.00	0.91
21	ओडिशा	19.80	0.04	0.00	19.84
22	पंजाब	14.56	0.09	0.00	14.65
23	राजस्थान	26.66	0.20	0.01	26.87
24	सिक्किम	0.26	0.00	0.00	0.26
25	तमिलनाडु	49.27	0.21	0.00	49.48
26	तेलंगाना	25.94	0.10	0.01	26.05
27	त्रिपुरा	2.10	0.01	0.00	2.11
28	उत्तर प्रदेश	89.64	0.36	0.00	89.99
29	उत्तराखंड	4.14	0.02	0.00	4.17
30	पश्चिम बंगाल	88.41	0.26	0.01	88.67
31	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.19	0.00	0.00	0.19
32	चंडीगढ़	0.56	0.00	0.00	0.56
33	दादरा और नगर हवेली	0.15	0.01	0.00	0.16
34	दमन और दीव	0.08	0.00	0.00	0.08
35	लक्षद्वीप	0.02	0.00	0.00	0.02
36	पुदुचेरी	0.96	0.00	0.00	0.96
कुल		**630.52**	**3.31**	**0.05**	**633.88**

स्रोत: एनएसएस का 73वां चरण, 2015–16

अनुबंध–II

तालिका 2 : कर्मचारियों का राज्यवार वितरण –2015–16

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रोजगार (संख्या लाख में)		
		महिला	पुरुष	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आंध्र प्रदेश	21.01	34.98	55.99
2	अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.29	0.41
3	असम	1.78	16.37	18.15
4	बिहार	4.79	48.26	53.07
5	छत्तीसगढ़	4.07	12.79	16.86
6	दिल्ली	2.41	20.59	23.00
7	गोवा	0.41	1.20	1.60
8	गुजरात	13.71	47.44	61.16
9	हरियाणा	2.78	16.27	19.06
10	हिमाचल प्रदेश	1.13	5.29	6.43
11	जम्मू और कश्मीर	1.50	9.37	10.88
12	झारखंड	5.57	19.34	24.91
13	कर्नाटक	19.73	51.11	70.84
14	केरल	13.77	30.86	44.64
15	मध्य प्रदेश	10.13	38.61	48.80
16	महाराष्ट्र	17.97	72.77	90.77
17	मणिपुर	1.40	1.52	2.92
18	मेघालय	0.72	1.19	1.91
19	मिजोरम	0.28	0.34	0.62
20	नागालैंड	0.59	1.18	1.77
21	ओड़िसा	8.37	24.87	33.26
22	पंजाब	4.24	20.55	24.80
23	राजस्थान	8.01	38.31	46.33
24	सिक्किम	0.14	0.31	0.45
25	तमिलनाडु	32.27	64.45	96.73
26	तेलंगाना	15.24	24.91	40.16
27	त्रिपुरा	0.44	2.51	2.95
28	उत्तर प्रदेश	27.27	137.92	165.26
29	उत्तराखंड	0.69	5.91	6.60
30	पश्चिम बंगाल	43.51	91.95	135.52
31	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.10	0.29	0.39
32	चंडीगढ़	0.12	1.17	1.29
33	दादर और नगर हवेली	0.07	0.29	0.36
34	दमन और दीव	0.02	0.12	0.14
35	लक्षद्वीप	0.01	0.02	0.03
36	पुडुचेरी	0.57	1.27	1.84
कुल		**264.92**	**844.68**	**1109.89**

(स्रोत: एनएसएस का 73वां चरण, 2015–16)

3
अध्याय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय और अन्य सम्बद्ध कार्यालय

माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा बांस पौध वृक्षारोपण और सम्मेलन केन्द्र का उद्घाटन किया गया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय और अन्य सम्बद्ध कार्यालय

3.1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

एमएसएमई मंत्रालय के तत्वाधान के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) के अंतर्गत स्थापित किया गया खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एक सांविधिक संगठन है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास कार्य में लगा हुआ है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ होती है। केवीआईसी की प्रति व्यक्ति निवेश पर ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् गैर–कृषि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में प्रमुख संगठनों के रूप में पहचान की गई है। इसके अंतर्गत कौशल उन्नयन, प्रौद्योगिकी अंतरण, अनुसंधान एवं विकास, विपणन इत्यादि जैसे कार्यकलाप किए जाते हैं और यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता करता है।

3.1.1. मुख्य उद्देश्यः

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य।

(ii) बिक्री–योग्य वस्तुओं के उत्पादन का आर्थिक उद्देश्य।

(iii) लोगों में आत्म–निर्भरता व सुदृढ़ ग्रामीण सामुदायिक भावना उत्पन्न करने का व्यापक उद्देश्य।

3.1.2. कार्यः

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 61) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा निर्धारित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं–

i. खादी और ग्रामोद्योगों में नियोजित अथवा इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों हेतु योजना बनाना तथा प्रशिक्षण का आयोजन करना;

(ii) हाथ से कते सूत अथवा खादी अथवा ग्रामोद्योगों के उत्पादन में लगे व्यक्तियों अथवा संभावित व्यक्तियों को ऐसी दर पर, जैसा कि आयोग द्वारा निर्णय लिया जाय, प्रत्यक्ष रूप से अथवा विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से कच्चे माल और उपकरणों की आपूर्ति की व्यवस्था करना;

(iii) कच्चे माल अथवा अर्ध–निर्मित माल के प्रसंस्करण हेतु जन सुविधा केंद्र के सृजन को बढ़ावा देना तथा सहायता करना अथवा उत्पादन को सरलीकृत करना व खादी व ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री एवं विपणन करना।

(iv) खादी अथवा ग्रामोद्योगी उत्पादों अथवा हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री और विपणन को बढ़ावा देना और इस प्रयोजनार्थ यथासंभव व यथा आवश्यक गठित विपणन एजेंसियों के साथ संपर्क करना;

(v) उत्पादकता को बढ़ाने, नीरसता कम करने तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने तथा ऐसे अनुसंधान के प्राप्त परिणामों के प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करने की दृष्टि से गैर परंपरागत तथा विद्युत ऊर्जा के उपयोग सहित खादी और ग्रामोद्योगों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित एवं संवर्धित करना;

(vi) खादी अथवा ग्रामोद्योगों के विकास व प्रचालन में लगी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को सीधे अथवा विनिर्दिष्ट एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उन्हें वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के उद्देश्य से डिजाइन, प्रोटोटाइप व अन्य तकनीकी जानकारी की आपूर्ति के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करना, जिनकी आयोग के विचार में अधिक मांग है;

(vii) खादी के निर्माताओं अथवा ग्रामोद्योग में कार्यरत व्यक्तियों के बीच सहकारी प्रयासों को प्रोत्साहित और संवर्धित करना,

(viii) संबंधित व्यक्तियों को मान्यता के पत्र या प्रमाण पत्र जारी करने सहित कथित मानकों के अनुरूप खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों को सुनिश्चित करना और गुणवत्ता के मानकों को स्थापित करना तथा प्रमाणिकता सुनिश्चित करना।

3.1.3. संगठन स्थापनाः

3.1.3.1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई स्थित अपने मुख्यालय तथा नई दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई तथा गुवाहाटी स्थित 06 आंचलिक कार्यालयों और देश भर में फैले 45 क्षेत्रीय कार्यालय के साथ कार्य करता है ।

3.1.3.2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग का संगठनात्मक डिजाइन निम्नानुसार है:–

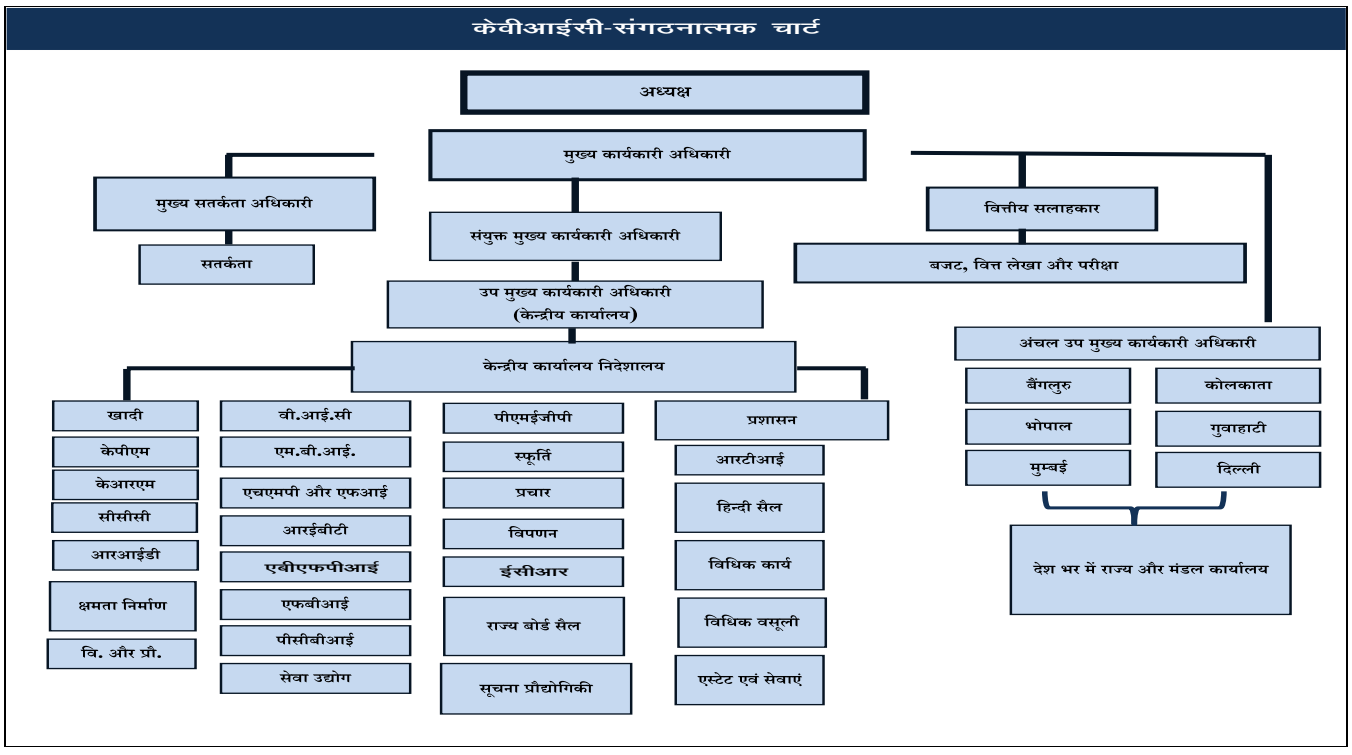

3.1.3.3. खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने 35 विभागीय एवं गैर–विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन करता है। खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं तथा इकाइयों द्वारा उत्पादित खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों का विपणन केवीआई संस्थाओं द्वारा संचालित खादी ग्रामोद्योग भंडार व भवन द्वारा देश भर में खादी संस्थाओं से संबंधित 8035 बिक्री आउटलेट और केवीआईसी की अपनी 15 शाखाओं तथा 8 विभागीय बिक्री आउटलेटों (खादी इंडिया) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। केवीआईसी अपने पांच केन्द्रीय स्लाइवर संयंत्रों (सीएसपी) के माध्यम से खादी संस्थाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल भी उपलब्ध करवाता है।

3.1.3.4. खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का कार्यान्वयन 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजीकृत केवीआई संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। खादी कार्यक्रम का कार्यान्वयन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के केवीआई बोर्ड्स में पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

3.1.4. भारत में खादी क्षेत्र :

3.1.4.1. स्वतंत्रता के पश्चात, खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद राष्ट्रवाद का एक महान प्रतीक बन गए। इस तरह खादी को केवल एक वस्त्र के रूप में ही नहीं अपितु स्वतंत्रता व आत्म–निर्भरता के प्रतीक के रूप में भी एक विशिष्ट पहचान मिली।

3.1.4.2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक सांविधिक संगठन है जिसे खादी के उत्पादन एवं बिक्री को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। 2863 से अधिक खादी संस्थाएं एक वृहत नेटवर्क का निर्माण करती हैं और भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं। इस गतिविधि में लगभग 4.97 लाख व्यक्ति लगे हुए हैं, जिसमें से 80 प्रतिशत से अधिक महिला कारीगर हैं।

3.1.4.3. खादी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का एक विशिष्ट कार्यक्रम है तथा कारीगरों को उनके घरों पर ही रोजगार सृजन हेतु एक प्रभावी टूल है। इसे खादी संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। संशोधित बाज़ार विकास सहायता (एमडीए) तथा ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र स्कीम (आईसेक) के माध्यम से प्रदत्त सहायता से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु खादी संस्थाओ को सक्षम बना रही हैं।

3.1.4.4. पिछले वर्ष के दौरान खादी क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। पिछले 4 वर्षों और वर्तमान वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान एवं 31.03.2022 तक प्रत्याशित खादी क्षेत्र का उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार हैं:–

खादी क्षेत्रः उत्पाद और बिक्री

(करोड़ रु. में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2017 - 18 #	1626.66	2510.21
2018 - 19 #	1963.30	3215.13
2019 - 20 #	2324.24	4211.26
2020 - 21 #	1904.49	3527.71
2021 – 22 (31–12–2021 तक)#	1809.86	3030.00
2021 – 22 (31 –03–2022 तक अनुमानित)#	2617.56	4632.00

/ पॉलीवस्त्र सहित # पॉलीवस्त्र एवं सोलरवस्त्र सहित

3.1.4.5. विगत 4 वर्षों और वर्तमान वर्ष 2021–22 के दौरान खादी क्षेत्र के रोजगार निम्नानुसार है।

खादी क्षेत्रः रोजगार

(कारीगर लाख में)

वर्ष	रोजगार
2017 - 18 #	4.65
2018 - 19 #	4.96
2019 - 20 #	4.97
2020 - 21 #	4.97
2021 – 22 (31–12–2021 तक)#	4.97
2021 – 22 (31 –03–2022 तक अनुमानित)#	4.97

/ पॉलीवस्त्र सहित # पॉलीवस्त्र एवं सोलरवस्त्र सहित

3.1.4.6 ग्रामोद्योग में छः भिन्न–भिन्न क्षेत्र शामिल हैं जो निम्नलिखित हैंः–

क्र. सं.	वर्गीकरण	उद्योग
1	**कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)**	• ग्रामीण तेल उद्योग • सुगंधित तेल • शहद और मधुमक्खी पालन • पॉम गुड़ और अन्य पॉम उत्पाद • फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग • दाल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग • स्पाईसिस एवं मसाले प्रसंस्करण उद्योग • गुड़ और खांडसारी उद्योग • लघु वनोपज का संग्रहण • बांस, केन और रीड उद्योग • जैविक (ऑरगेनिक) डाईंग उद्योग • औषधीय पौधों का संग्रहण और प्रसंस्करण उद्योग
2	खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)	• हस्तनिर्मित पॉटरी, गलेज्ड और सिरैमिक पॉटरी, आवास सज्जा के रूप में पॉटरी, खाद्य उद्योग के लिए पॉटरी • पत्थरों की कटाई एवं पॉलिश उद्योग • सिरैमिक टाईल उद्योग

		• ग्रेनाईट की कटाई, पॉलिश, पत्थर नक्कशी, तथा मूर्तिकला, आदि • ब्रास मैटल और अन्य मैटल क्राफ्ट उद्योग
3	स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग (डब्ल्यूसीआई)	• साबुन और तेल समेत स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग • सुगंधित तेल और खुशबू उद्योग • कॉस्मैटिक और सौंदर्य उत्पाद उद्योग • हेयर आयल और शैंपू, टॉयलेटरिज़ उद्योग • नहाने का साबुन उद्योग • अगरबत्ती उद्योग
4	हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचएमपीएलपीआई)	• हस्तनिर्मित कागज़ और कागज़ उत्पाद उद्योग • पेपर कनवर्ज़न उद्योग • चमड़ा उद्योग • प्लास्टिक उद्योग • कयर उद्योग से इतर प्राकृतिक फाईबर
5	ग्रामीण इंजीनियरिंग और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग (रेंटी)	• बायो–गैस, गैर–परम्परागत ऊर्जा, जैविक खाद, वर्मी–कम्पोस्ट उद्योग • बढ़ईगिरी और लौहारी उद्योग • कृषि उपकरण और औज़ार उद्योग • विद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद उद्योग • ड्राइ डेयरी • घरेलू धात्विक बरतन और सामग्री विनिर्माण उद्योग
6	सेवा उद्योग	• लघु व्यवसाय • इलैक्ट्रिक्ल और इलैक्र्टोनिक वस्तुओं का अनुरक्षण और सर्विसिंग • फार्म एग्रीगेटर (प्री और पोस्ट फार्मिंग)

3.1.4.7. पिछले वर्षों में ग्रामोद्योगों ने वृद्धि दर्शाई है। विगत 4 वर्षों और वर्तमान वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) एवं 31.03.2022 तक प्रत्याशित उत्पादन और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री निम्नानुसार हैः

ग्रामोद्योगः उत्पादन और बिक्री

(करोड़ रु. में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2017 – 18	46454.75	56672.22
2018 – 19	56167.04	71076.96
2019 – 20	65343.07	84664.28
2020 - 21	70330.66	92213.65
2021 – 22 (31–12–2021 तक)	**60694.43**	**81375.16**
2021 – 22 (31 –03–2022 तक अनुमानित)	**83315.41**	**108446.21**

3.1.4.8 विगत 4 वर्षों और दिसम्बर, 2021 तक वर्तमान वर्ष 2021–22 के दौरान तथा 31.03.2022 तक प्रत्याशित ग्रामोद्योग रोजगार निम्नानुसार हैः–

ग्रामोद्योगोः रोज़गार

(कारीगर लाख में)

वर्ष	रोजगार
2017 – 18	135.71
2018 – 19	142.03
2019 – 20	147.76
2020 - 21	154.09
2021 – 22 (31–12–2021 तक)	**159.10**
2021 – 22 (31 –03–2022 तक अनुमानित)	**161.47**

3.1.5. खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए केवीआईसी द्वारा हाल की युक्तिपूर्ण पहलें:

हाल ही में, देश में खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए केवीआईसी द्वारा की गई विभिन्न युक्तिपूर्ण पहलें शुरू की गई हैं। वे निम्नानुसार हैं:–

- खादी संस्थाओं और कारीगरों के लिए संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) और ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईसेक) स्कीम के अंतर्गत निधियों के संवितरण हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल को कार्यात्मक बनाया गया है। संस्थाएं डीबीटी पोर्टल में वित्तीय वर्ष 2016–17 से अपने एमएमडीए और आईसेक दावों को फाइल कर रही हैं तथा आंकड़े अपलोड कर रही हैं।
- केवीआईसी ने नए उद्यमों द्वारा खादी कार्यकलापों के अंतर्गत कारोबार करने के लिए खादी संस्थाओं का पंजीकरण और प्रमाणीकरण सेवा (केआईआरआईसीएस) के माध्यम से नई संस्थाओं का ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ कर दिया है।

- केवीआईसी और खादी संस्थाएं डिजिटल विपणन, ई–मार्केटिंग, भीम ऐप, फ्रेन्चाइजी, ई–कामर्स इत्यादि के माध्यम से खादी और खादी उत्पादों की खुदरा बिक्री हेतु उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित खुदरा व्यापारियों के साथ कार्य कर रही हैं।

- मधुमक्खी पालकों, मधुमक्खी के डिब्बों, मधुमक्खी की कॉलोनियों, उत्पादन और शहद की बिक्री इत्यादि से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए हनी मिशन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले सभी हितधारकों के लिए हनी मिशन पोर्टल विकसित किया गया है।

- खादी संस्थाओं (केआई) के लिए कच्चे माल (स्लाईवर/रोविंग) की आपूर्ति को रिकार्ड करने के लिए केन्द्रीय स्लाईवर संयंत्र (सीएसपी) के लाभ हेतु एक नई सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग डिजाइन और विकसित की गई है।

- ऑनलाइन सरकारी आपूर्ति प्रणाली ऑनलाइन माध्यम से संपूर्ण सरकारी आपूर्ति श्रृंखला को संभालने के विचार से डिजाइन, विकसित और लाईव बनाई गई है। यह पंजीकृत खादी संस्थाओं द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त किए गए आर्डर की स्थिति की निगरानी करने और गतिशील आर्डरों को संवितरित करने की सुविधा प्रदान करता है।

- हाथ से बनाए जाने वाले बजट की समस्या को आसान बनाने के लिए केवीआईसी ने बजट वर्ष हेतु कार्यवाही योजना और पिछले वर्ष की कार्यनिष्पादन उपलब्धि जैसी सभी विस्तृत सूचना सहित उनके बजट को प्रस्तुत करने के लिए केआई को सक्षम बनाकर खादी संस्थाओं (केआई) हेतु एक आनलाईन बजटीय प्रणाली डिजाइन, विकसित और आरंभ की गई है।

- केवीआईसी ने स्पिन (भारत की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए) नामक एक अनूठी स्कीम, एक नई पहल का शुभारंभ किया है जिसे चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्तमान में आरंभ किया गया है। स्पिन एक स्वैच्छिक समावेशी तंत्र है और यह कार्यक्रम से जुड़ने के लिए तथा प्रगति के एक सामूहिक तंत्र का निर्माण करने के लिए कुम्हारों को प्रोत्साहित करता है। स्पिन एक संरचना सहायता प्रदान करती है जिसके परिणामस्वरूप उपयुक्त समय पर सरकार से किसी वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी के बिना आत्मनिर्भर उद्योग बन सकेगा।

स्पिन का अति विशिष्ट अधिदेश होगाः

- बैंक वित्त के साथ–साथ आधुनिक उपकरण और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके कुम्हारों की आय में वृद्धि करना।

- देश के परंपरागत कुम्हारों को सुदृढ़ करना और मौजूदा ''प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा स्कीम'' के माध्यम से उद्यमिता मॉडल विकसित करना।

3.1.6. स्वच्छ भारत अभियानः

- केवीआईसी ने झाड़ू और पोछा, स्वच्छता, रिकार्ड को डिजिटल करके बेकार सामानों को नष्ट करके पुराने रिकार्डों, फाईलों इत्यादि की छंटाई करके कार्यालय परिसरों को साफ करने जैसे कार्यकलापों को कार्यान्वित करके केन्द्र के प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

3.1.7. मुख्य स्कीमों का कार्यान्वयन :

केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्कीमें

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	देश भर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्व–रोजगार के लिए गैर–सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करके रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पीएमईजीपी एक बैंक मूल्यांकित और वित्त पोषित ''क्रेडिट सम्बद्ध सब्सिडी कार्यक्रम'' है। केवीआईसी देश भर में स्कीम के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए एक एकल नोडल एजेंसी है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केवीआईसी और राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (राज्य केवीआईबी) कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, तथा देश में दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) हैं तथा कयर कार्याकलापों के लिए कयर बोर्ड है।
		स्कीम के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25.00 लाख रू. है और सेवा क्षेत्र में 10.00 लाख रू. है। विभिन्न श्रेणियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी 15 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक भिन्न–भिन्न होती है।
		2008–09 में इसके आरंभ से 2021–22 तक (31.12.2021 तक) अनुमानित 60.67 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करके 17819.23 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ सूक्ष्म उद्यमों की सहायता की गई है। वर्ष 2021–22 के दौरान 2867.93 करोड़ रू. के संवितरण द्वारा 95181 पीएमईजीपी इकाइयों को स्थापित करने और 7.61 लाख व्यक्तियों के लिए अनुमानित रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2	संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए)	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 की तीसरी तिमाही से ''संशोधित बाजार विकास सहायता'' (एमएमडीए) स्कीम शुरू की गई है जिसके अंतर्गत खादी एवं पॉलीवस्त्र की मुख्य लागत पर अनुदान के रूप में 30 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। संशोधित एमडीए स्कीम का उद्देश्य लागत चार्ट से बिक्री मूल्य को विनियंत्रित और अलग करना है। इस प्रकार खादी के मूल्यवर्धन हेतु संस्थाओं को क्षेत्र उपलब्ध कर रहे हैं ताकि उत्पादों को बाजार उन्मुख मूल्यों पर बेचा जा सके। खादी एवं पॉलीवस्त्र की मुख्य लागत के 30 प्रतिशत की दर से एमएमडीए की गणना की जाती है जिसमें लागत चार्ट में यथानिर्दिष्ट मार्जिन मनी के बगैर प्रक्रिया शुल्क और सफेद कपड़े तक परिवर्तन प्रभार और कच्चे माल की लागत शामिल है। खादी संस्थाओं के अंतर्गत उत्पादन तथा बिक्री कार्यकलाप में शामिल खादी संस्थाएं (खादी संस्थानों के अंतर्गत) एमएमडीए के 60 प्रतिशत हेतु हकदार होंगे (उत्पादन के लिए 40 प्रतिशत और बिक्री के लिए 20 प्रतिशत), शेष 30 प्रतिशत बुनकरों एवं कत्तिनों तथा कार्यकर्ताओं/अन्य कारीगरों को 10 प्रतिशत वितरित की जाएगी।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
		वर्ष 2020–21 के दौरान खादी एवं पॉलीवस्त्र के लिए एमएमडीए के अंतर्गत 1143 खादी संस्थाओं और 1,35,342 कारीगरों को 197.34 करोड़ संवितरित किए गए है। वर्ष 2021–22 के दौरान, (31.12.2021 तक) खादी एवं पॉलीवस्त्र के लिए एमएसडीए के अंतर्गत 917 खादी संस्थाओं और 1,27,328 कारीगरों को 152.57 करोड़ रू. संवितरित किए गए है। वर्ष 2021–22 के दौरान (31.03.2022 तक) खादी और पॉलीवस्त्र के लिए एमएमडीए के अंतर्गत 1503 खादी संस्थाओं और 1,66,876 कारीगरों को प्रत्याशित संवितरण 155.16 करोड़ रू. है।
3	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक) स्कीम	भारत सरकार ने वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से निधि की अतिरिक्त जरूरतों की गतिशीलता के लिए खादी संस्थाओं हेतु मई 1977 में ''ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र'' आईसेक स्कीम का शुभारंभ किया है। आईसेक स्कीम खादी कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम हेतु सीमित सीमा हेतु भी एक मुख्य स्रोत है। ग्रामोद्योगों के लिए आईसेक वर्ष 2012–13 से समाप्त कर दी गई है। आईसेक स्कीम खादी और पॉली वस्त्र कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले केवीआईसी/केवीआईबी के अंतर्गत सभी पंजीकृत खादी संस्थाओं के लिए लागू है। स्कीम के अंतर्गत, केवीआई संस्थाओं की आवश्यकतानुसार पूंजीगत व्यय (सीई) तथा कार्यशील पूंजी के लिए 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की रियायती दर पर ऋण दिया जाता है। ऋणदाता बैंकों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा वास्तविक ऋण दर और 4 प्रतिशत के बीच अंतर का भुगतान किया जाता है तथा इस उद्देश्य के लिए निधियां केवीआईसी के खादी विकास योजना अनुदान शीर्ष के अंतर्गत प्रदान की जाती है।
		वर्ष 2020–21 के दौरान, खादी एवं पॉलीवस्त्र के लिए आईसेक के अंतर्गत 1236 खादी संस्थाओं को 33.36 करोड़ रू. संवितरित किए गए हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान (31.12.2021 तक) खादी एवं पॉलीवस्त्र के लिए आईसेक के अंतर्गत 1042 खादी संस्थाओं को 24.59 करोड़ रू. संवितरित किए गए हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान (31.03.2022 तक) खादी और पॉलीवस्त्र के लिए आईसेक के अंतर्गत 1425 खादी संस्थाओं को प्रत्याशित संवितरण 25.00 करोड़ रू. है।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
4	खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम	''खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम'' खादी कारीगरों के सुचारू और थकान मुक्त कार्य के लिए पर्याप्त स्थान और पर्यावरण अनुकूल उत्पादकता बढ़ाने और वर्धित आय की परिकल्पना के लिए वर्ष 2008–09 में की गई।
		वे राज्य जहां बीपीएल कार्ड जारी किए जा रहे हैं स्कीम के अंतर्गत खादी कारीगरों को कवर किया जाता है। जहां वर्तमान में बीपीएल कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं, वहां गरीब खादी कारीगरों की एक पारदर्शी और खुली प्रक्रिया से पहचान की जाती है। स्कीम का लाभ केवल उन खादी कारीगरों को दिया जाएगा जो वर्ष में कम से कम 100 दिन काम करते हैं और उनके पास अपनी भूमि है। स्कीम के अंतर्गत व्यक्तिगत वर्कशेड बनाने के लिए 60,000/– रू. तक तथा समूह वर्कशेड बनाने के लिए बनाने के लिए 40,000/– रू. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आरंभ से 31.12.2021 तक वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत कुल 46,702 खादी कारीगर लाभान्वित हुए। वर्ष 2020–21 के दौरान, इस वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत 912 खादी कारीगर लाभान्वित हुए। वर्ष 2021–22 के दौरान (31.03.2022 तक) इस वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत 1336 खादी कारीगरों के लाभान्वित होने की आशा है।
5	मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता	यह स्कीम दो उप स्कीमों नामतः ''मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढीकरण'' और ''विपणन अवसंरचना के लिए सहायता'' का संयोजन है। इस स्कीम के अंतर्गत, मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढीकरण, कमजोर/समस्याग्रस्त खादी संस्थाओं को उनके कार्यकलापों को सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए 9.90 लाख रू. तक सहायता प्रदान की जाती है। विपणन अवसंरचना अर्थात् सामान्य लोगो, साइनेज, दृश्य उत्पादों, बिल और बार–कोडिंग सहित कम्पयूटरीकरण, बिक्री कर्मचारियों का प्रशिक्षण, खादी संस्थाओं के नवीकरण के लिए आकस्मिक निर्माण कार्य सहित फर्नीचर और फिक्सचर इत्यादि, केवीआईबी के बिक्री आउटलेटों और विभागीय बिक्री आउटलेटों के लिए 25.00 लाख रू. तक के विकास के लिए सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान, मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना के सुदृढीकरण के अंतर्गत 32 खादी संस्थाओं को 4.54 करोड़ रू. संवितरण किए गए हैं। इसके अलावा, विपणन अवसंरचना के लिए सहायता के अंतर्गत खादी

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>स्कीम</th><th>केवीआईसी गतिविधियां</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>संस्थाओं के 52 बिक्री आउटलेटों के नवीकरण हेतु 6.06 करोड़ रू. संवितरित किए गए हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान (31.03.2022 तक) मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना के सुदृढीकरण के अंतर्गत 40 खादी संस्थाओं को लाभांवित होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, विपणन अवसंरचना के लिए सहायता के अंतर्गत खादी संस्थाओं के 80 बिक्री आउटलेटों का नवीकरण होने की आशा है।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>खादी कारीगर बीमा स्कीम–आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) का पीएमजेजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई में विलय</td><td>केवीआईसी ने 15 अगस्त, 2003 को खादी कार्यकलापों में लगे कारीगरों को एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में ''आम आदमी बीमा योजना (पूर्व में खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना) नामक एक समूह बीमा स्कीम को आरंभ की। यह विशेष रूप से खादी कारीगरों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा डिजाइन एक विशिष्ट स्कीम है। यह देश भर के कारीगरों को कवर करते हुए केन्द्रीय रूप से प्रचालित स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रिमियम केवीआईसी, खादी संस्थाओं, कारीगरों और भारत सरकार के बीच साझा किया जाता है।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>इस स्कीम को हटाकर भारत सरकार ने दो स्कीमों को आरंभ किया है एक आम आदमी बीमा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में विलय किया तथा 18 से 50 वर्ष की आयु के कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा 51 से 60 वर्ष की आयु के कारीगरों के लिए अन्य संशोधित आम आदमी बीमा योजना (संशोधित एएबीवाई)।
इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित मौद्रिक लाभ प्रदान किए जाते हैं:–

पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई
<table>
<tr><td>किसी कारण से मृत्यु</td><td>2.00 लाख रू.</td></tr>
<tr><td>दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूरी दिव्यांगता</td><td>2.00 लाख रू.</td></tr>
<tr><td>आंशिक स्थायी दिव्यांगता</td><td>1 लाख रू.</td></tr>
<tr><td>लाभार्थी के 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा (आईटीआई सहित) में अध्ययनरत अधिकतम 2 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति</td><td>100 रू. प्रति माह प्रति बच्चा</td></tr>
</table>
संशोधित एएबीवाई
<table>
<tr><td>किसी कारण से मृत्यु</td><td>30,000/– रू.</td></tr>
<tr><td>दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूरी दिव्यांगता</td><td>2.00 लाख रू.</td></tr>
<tr><td>आंशिक स्थायी दिव्यांगता</td><td>1 लाख रू.</td></tr>
</table>
इस स्कीम को दिनांक 01.04.2020 से पूर्ण प्रिमियम भुगतान हेतु परिवर्तित किया गया है तथा इसे 01.06.2020 से समाप्त कर दिया गया है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
7	परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु स्कीम (स्फूर्ति)	भारत सरकार ने प्रतिभा, सृजनात्मकता, कई क्षेत्रों में ग्रामीण कारीगरों की कड़ी मेहनत के उद्यम, खाद्य उत्पादन से हस्तकला, चमड़ा उत्पादों से लेकर आयुर्वेदिक दवाइयों को पहचानने के उद्देश्य से परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि की स्कीम (स्फूति) स्कीम का शुभारंभ किया है जो परंपरागत उद्योगों को और अधिक उत्पादक, लाभदायक और परंपरागत उद्योग कारीगरों के लिए सतत रोजगार सृजित करने के लिए योग्य बनाने और बाद में उन्हें सशक्त बनाने और उन्हें स्वशासन उद्यमी बनाती है। यह भारत सरकार की कलस्टर आधारित स्कीम है। प्रारंभ से, दिनांक 31.12.2021 तक इस स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत कुल 100 क्लस्टरों (खादीः 10 और ग्रामोद्योगः 90) की सहायता की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान, इस स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत 23 ग्रामोद्योग क्लस्टर की सहायता की गई।
8	खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी)	खादी सुधार और विकास कार्यक्रम एशियन विकास बैंक (एडीबी) से 105 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण राशि से लेकर भारत सरकार द्वारा आरंभ और समर्थित कार्यक्रम है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान के रूप में सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं/कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन, कारीगरों की आय में बढ़ोतरी, उपकरणों का प्रतिस्थापन और उन्नत प्रौद्योगिकी तथा वर्तमान बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप खादी की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण विकास की संभावना को पूर्णतया साकार करना है। शुरूआत से, दिनांक 31.12.2021 तक कुल 465 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता (डीआरए) प्रदान की गई और केआरडीपी के अंतर्गत 8 ग्रामोद्योगों को प्रत्यक्ष सुधार सहायता (डीआरए) प्रदान की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान, केआरडीपी के अंतर्गत, 1 ग्रामोद्योग और 18 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता (डीआरए) प्रदान किए गए। वर्ष 2021–22 (31.12.2021 तक) केआरडीपी के अंतर्गत 26 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता (डीआरए) प्रदान किया जाना संभावित है।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
9	हनी मिशन	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) सतत रोजगार और आय सृजित करने और आधुनिक मधुमक्खी पालन की शुरूआत और लोकप्रियता से अत्यधिक आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के विचार से मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास में लगा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य में घोषणा की ''श्वेत क्रांति के साथ–साथ स्वीट क्रांति की भी जरूरत है'' उनके विजन से प्रेरित होकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हनी मिशन के लिए अनुमोदन दिया। इसके प्रारंभ से 31.12.2021 तक, हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 15545 मधुमक्खी पालकों को कुल 155659 मधुमक्खी (डिब्बे) हनी कॉलोनियों के साथ वितरित किए गए। वर्ष 2020–21 के दौरान हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 1645 मधुमक्खी पालकों को 15050 मधुमक्खी (बॉक्स) मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ वितरित किए गए हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान (31.12.2021 तक) हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मधुक्खी कॉलोनियां सहित 2400 मधुमक्खी (बॉक्स) सहित 240 मधुमक्खी पालकों को वितरित किए गए। वर्ष 2021–22 के दौरान (31.03.2022 तक) हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमक्खी कॉलोनियों सहित 1910 मधुमक्खी पालकों को 19100 मधुमक्खी (डिब्बे) वितरित किए जाने की आशा है।
10	कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम	खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने कुम्हारी के कार्य में लगे कुम्हार परिवारों को मज़बूती प्रदान करने के लिए कुम्हार कारीगरों को पॉटरी व्हील समेत अन्य औज़ारों और उपकरणों का वितरण किया। इसके प्रारंभ से 31.12.2021 तक, कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 20410 पॉटरी कारीगरों को कुल 20410 इलैक्ट्रिक पॉटरी व्हील, इससे 81640 पॉटरी कारीगर लाभान्वित हुए। वर्ष 2020–21 के दौरान, कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 6475 इलैक्ट्रिक पॉटरी व्हील्स और 6475 कुम्हार कारीगरों को 25900 उपकरण वितरित किए गए।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
		वर्ष 2021–22 के दौरान (31.12.2021 तक) कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 700 पॉटरी कारीगरों को 700 इलैक्ट्रिक पॉटरी व्हीलस् वितरित किए गए। इससे 2000 पॉटरी कारीगर लाभान्वित हुए। वर्ष 2021–22 के दौरान, कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 3120 पॉटरी कारीगरों को 3120 इलैक्ट्रिक पॉटरी व्हील्स वितरित किए जाने की आशा है। इससे 12,480 पॉटरी कारीगर लाभान्वित होने थे।
11	ग्रामोद्योग	'ग्रामोद्योग' का अर्थ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई उद्योग है जो बिजली के प्रयोग से अथवा बिना प्रयोग के कोई सेवा अथवा सामान का उत्पादन करता है जिसमें एक कर्मचारी या कारीगर की निर्धारित पूंजी निवेश प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट मैदानी क्षेत्रों में क्रमशः 1.00 लाख रू. और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.50 लाख रू. अथवा ऐसी अन्य राशि से अधिक न हो। वर्ष 2020–21 के दौरान, ग्रामोद्योग का उत्पादन 70330.66 करोड़ रू. था और बिक्री 92213.65 करोड़ रू. थी। इसके अतिरिक्त, ग्रामोद्योग के अंतर्गत 154.09 लाख रोजगार प्रदान किए गए। वर्ष 2021–22 के दौरान (31.12.2021 तक) ग्रामोद्योग का उत्पादन 60694.43 करोड़ रू. था और बिक्री 81375.16 करोड़ रू. थी। इसके अलावा, 159.10 लाख रोजगार ग्रामोद्योगों के अंतर्गत प्रदान किए गए।
12	विज्ञान और प्रौद्योगिकी 'एसएंडटी)	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने और बाजार मांग के अनुरूप ग्रामोद्योग को समर्थ बनाने के लिए नवप्रवर्तन, गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के विजन के साथ कार्यरत है। केवीआईसी ने अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं और आईएसओ 9001–2015 प्रमाणीकरण के माध्यम से केवीआई क्षेत्र की गुणवत्ता आवश्यकताओं, अनुसंधान और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कठोर प्रयास किए हैं। अनुसंधान और विकास गतिविधियां प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढाने के उद्देश्य से जरूरतमंद संस्थाओं को वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर खोज और कार्यान्वयन किया जा रहा है।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
		वर्ष 2020–21 के दौरान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अधीन अनुसंधान और विकास के अंतर्गत 1 परियोजना खादी और ग्रामोद्योग के अंतर्गत 7 परियोजनाओं को प्रौद्योगिकी प्रसार के अंतर्गत खादी प्रस्तावों की सहायता की गई। वर्ष 2021–22 के दौरान (31.03.2022 तक) अनुसंधान एवं विकास (खादी: 3 और ग्रामोद्योग: 8) परियोजनाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सहायता की जानी संभावित है।
13	क्षमता निर्माण	खादी और ग्रामोंद्योग आयोग द्वारा 35 विभागीय और गैर–विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। ये प्रशिक्षण क्रेंद्र विभिन्न विषयों अर्थात् साबुन और डिटरजेंट बनाना, खाद्य वस्तुएं, बेकरी उत्पादों, रेडीमेड कपड़े बनाना, मखुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, मोटर मरम्मत करना बाइडिंग इत्यादि की आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, इन प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 47,612 प्रशिक्षु प्रशिक्षित किए गए। वर्ष 2021–22 के दौरान, (दिनांक 31.12.2021 तक) इन प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 37345 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया।

3.1.8. खादी उद्योग में विकासः–

खादी और ग्रामोद्योग के कार्यकलाप ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों की अजीविका का प्रमुख स्रोत है जिसमें देश भर के कताईकर्ता, बुनकर और अन्य कारीगर शामिल हैं। निम्नवत तालिका में वर्ष 2020–21 और 2021–22 (31–12–2021 तक वास्तविक और 31.03.2022 तक अनुमानित) के दौरान खादी और ग्रामोद्योगों का तुलनात्मक कार्यनिष्पादन दिया गया है और यह शानदार बढ़ोत्तरी दर्शाता है।

खादी और ग्रामोद्योगों का तुलनात्मक कार्यनिष्पादन

(करोड़ रू. में, रोजगारः लाख व्यक्तियों में)

क्र.सं.	विवरण	2020–21	2021–22 (31–12–2021 तक वास्तविक)	2021–22 (31–03–2022 तक अनुमानित)
I	**उत्पादन**			
क	खादी	1668.61	1592.68	2350.45
ख	पॉलीवस्त्र	230.51	217.18	267.66
ग	सोलरवस्त्र	5.37	0.00	0.00

क्र.सं.	विवरण	2020–21	2021–22 (31–12–2021 तक वास्तविक)	2021–22 (31–03–2022 तक अनुमानित)
	कुल खादी, पॉली वस्त्र और सोलर वस्त्र	**1904.49**	**1809.86**	**2618.11**
घ	ग्रामोद्योग	70330.66	60694.43	83315.41
	कुल केवीआई उत्पादन	**72235.15**	**62504.29**	**85933.52**
II	**बिक्री**			
क	खादी	3085.53	2698.34	4214.70
ख	पॉलीवस्त्र	436.52	331.66	417.30
ग	सोलरवस्त्र	5.66	0.00	0.00
	कुल खादी, पॉलीवस्त्र और सोलर वस्त्र	**3527.71**	**3030.00**	**4632.00**
घ	ग्रामोद्योग	92213.65	81375.16	108446.21
	कुल केवीआई बिक्री	**95741.36**	**84405.16**	**113078.21**
III	**रोजगार**			
क	खादी	4.61	4.61	4.74
ख	पॉलीवस्त्र	0.30	0.30	0.30
ग	सोलरवस्त्र	0.06	0.06	0.06
	कुल खादी, पॉलीवस्त्र और सोलर वस्त्र	**4.97**	**4.97**	**5.10**
घ	ग्रामोद्योग	154.09	159.10	161.47
	कुल केवीआई रोजगार	**159.06**	**164.07**	**166.57**

3.1.9. खादी और ग्रामोद्योग आयोग को बजटीय सहायताः–

3.1.9.1. एमएसएमई मंत्रालय योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु केवीआईसी को निधियाँ प्रदान करता है। इन निधियों को मुख्य रूप से अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और केवीआईसी अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां पुनः आबंटित करता है अर्थात् राज्य केवीआईबी; सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएं तथा राज्य सरकारों के सहकारी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियां, और जिला उद्योग केंद्र आदि। पेंशन भुगतान सहित आयोग के प्रशासनिक व्यय को गैर–योजना सरकारी बजटीय सहायता से पूरा किया जाता है।

3.1.9.2. पिछले दो वर्षों के दौरान बजटीय स्रोतों (खादी ग्रामोद्योग विकास योजना एवं अन्य अनुदान तथा खादी अनुदान प्रशासन एवं पुस्तक समायोजन शीर्ष) से प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा और वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान में चिह्नित निधियों को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

केवीआईसी को बजटीय सहायता

(रु. करोड़ में)

वर्ष	आवंटित बजट		मंत्रालय से प्राप्त निधि	
	केजीवीवाई एवं अन्य अनुदान	खादी अनुदान (प्रशासनिक एवं पुस्तक समायोजन)	केजीवीवाई एवं अन्य अनुदान	खादी अनुदान (प्रशासनिक एवं पुस्तक समायोजन)
2019 - 20	3086.50	375.20	3078.78	375.00
2020 - 21	2736.87	437.11	2145.46	305.73
2021 – 22	2305.04	350.00	1447.20*	161.24*

**31.12.2021 तक*

3.2 प्रौद्योगिकी केन्द्र (पूर्व में टूल रूम एवं तकनीकी संस्थान के नाम से ज्ञात है।)

3.2.1 एमएसएमई मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्र प्रति वर्ष बेरोजगार युवाओं और उद्योगकर्मियों को व्यवहारिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2020–21 में, देश भर में स्थापित 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों ने 1,33,301 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया, 27,831 इकाइयों को सहायता दी और 196.43 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इन प्रौद्योगिकी केंद्रों को मंत्रालय के स्वायत्तशासी निकायों के रूप में स्थापित किया गया है और ये अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए आत्म निर्भरता के आधार पर कार्यशील है।

1. केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीटीसी),कोलकाता
2. केन्द्रीय टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना
3. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), इंदौर
4. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर),अहमदाबाद
5. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), औरंगाबाद
6. इंडो डैनिश टूल रूम (आईडीटीआर), जमशेदपुर
7. केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीटीसी), भुवनेश्वर
8. टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र (टीआरटीसी),गुवाहाटी
9. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स (सीआईएचटी), जालंधर
10. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन (सीआईटीडी), हैदराबाद
11 इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर (ईएसटीसी), रामनगर
12. इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स (आईडीईएमआई), मुंबई.
13. सुगंध और स्वाद विकास केंद्र (एफएफडीसी), कन्नौज
14. सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री (सीडीजीआई), फिरोजाबाद
15. प्रक्रिया और उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), आगरा
16. प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), मेरठ
17. सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (सीएफटीआई), आगरा
18. सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (सीएफटीआई), चेन्नई

3.2.2 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) में से, 10 प्रौद्योगिकी केंद्र, औजारों के डिजाइन और विनिर्माण, परिशुद्ध घटकों मोल्ड, डाई आदि के निर्माण के माध्यम से उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ये प्रौद्योगिकी केंद्र उपकरण इंजीनियरिंग और विनिर्माण के क्षेत्रों में कुशल मानव शक्ति प्रदान करके भी उद्योग को सहायता देते हैं। ये प्रौद्योगिकी केंद्र अपने संबंधित क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल हैं।

3.2.3 फॉर्जिंग और फाउंड्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मापन उपकरण, सुगंध और स्वाद, काँच, जूते और खेल के सामान जैसे विशिष्ट उत्पाद समूहों में प्रशिक्षण के अलावा प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और उत्पादों को उन्नत और विकसित करने के लिए तकनीकी सेवाएँ प्रदान करके संबंधित क्षेत्रों में एमएसएमई को उत्पाद के अनुसार सहायता प्रदान करने के लिए आठ प्रौद्योगिकी केन्द्र हैं। कुछ प्रौद्योगिकी केन्द्रों जटिल उपकरणों, भागों और घटकों के लिए डिजाइन, विकास और विनिर्माण में सहायता के अतिरिक्त देश की रक्षा, एयरोस्पेस आदि जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को भी अनुसंधान और विकास आवश्यकताओं के लिए भी सहायता प्रदान की है।

3.2.4 मंत्रालय ने इन प्रौद्योगिकी केन्द्रों को इनके संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम विकास के अनुसार प्रासंगिक और अद्यतन रखते हुए इन केंद्रों को सहायता प्रदान की है और समय–समय पर नई तकनीकों जैसे कैड/कैम, सीएनसी मशीनिंग, वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट, 3 डी प्रिंटिंग आदि को जोड़ा है। ये प्रौद्योगिकी केन्द्र उपक्रम और संबंधित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उपकरण, प्रशिक्षित कर्मी और परामर्श प्रदान करके उद्योग के संबंधित क्षेत्रों के एकीकृत विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अनेक उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं ने अपने स्वयं के उद्यम स्थापित किए हैं और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं।

उच्च तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण

3.2.5 राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना (एनएसक्यूएफ) के अनुसरण में 76 पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। इन टीआर एवं टीआई के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न कौशल प्रतिस्पर्धा कार्यक्रमों में 18 टीआर एवं टीआई के विद्यार्थी नियमित रूप से भागीदारी करते हैं। कोविड–19 महामारी के उपरांत, टीआर एवं टीआई ने ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ कर दिए हैं।

3.2.6 सभी प्रौद्योगिकी केंद्र पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे आईएसओ 9001–2000 प्रमाणित संस्थान हैं और उनमें से कुछ आईएसओ–14001, ओएचएसएएस–18001, आईएसओ–29990, आईएसओ/आईईसी 17025:2005 और आईएसओ–50001 प्रमाणित हैं। केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र, भुवनेश्वर ऐरो स्पेस पुर्जों की आपूर्ति के लिए एएस–9100 प्रमाणित भी है।

हीट ट्रीटमेंटः पेरीफेरल डिजाइन रोलर डाई

3.2.7 वर्ष 2021–22 के लिए प्रोद्योगिकी केन्द्रों का वास्तविक निष्पादन निम्नानुसार हैं:

प्रशिक्षित प्रशिक्षु

	प्रशिक्षित प्रशिक्षु (संख्या में)	सहायता प्राप्त इकाइयाँ (संख्या में)	नौकरी का विकल्प चुनने वाले	नौकरी पर रखे गए (वेतन पर और स्वरोजगार)
2021–22 (दिसंबर, 2021 तक)	83,027	19,702	6,992	4,404

3.2.8 मूल्य वर्धित सेवाओं और उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, ये प्रौद्योगिकी केन्द्र चुनौतीपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। जटिल पुर्जों के इन–हाउस उत्पादन से छात्रों को अति उन्नत मशीनों पर ऑन–जॉब प्रशिक्षण देने में सहायता मिलती है। ऐसे कुछ कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

(क) परिशुद्ध पुर्जों का डिज़ाइन और विकास

(i) न्यूमेटिक हीटिंग फिक्सचर:

इन्डों डेनिश टूल रूम (आईडीटीआर), जमशेदपुर ने टाटा स्टील अनुसंधान और विकास के लिए न्यूमेटिक हीटिंग फिक्सचर विकसित किया है जोकि लाईट वेट एवं हाई स्ट्रेन्थ ऑटोमोबाइल शीट कम्पोनेंट को बनाने के लिए अपेक्षित होती है। फॉर्मिंग हेतु हीटिंग शीटों को इस प्रौद्योगिकी को भारत में पहली बार विकसित किया गया है। यह भट्टी को गर्म करने, चक्र समय को कम करने, जरूरत को कम करेगा, सुरक्षा बढ़ाएगा, गर्म शीटों को संभालने को आसान करेगा।

न्यूमेटिक हीटिंग फिक्सचर

(ii) आयुध निर्माणी, दमदम के लिए फ्रेम सेलः

इन्डो डेनिश टूल रूम (आईडीटीआर), जमशेदपुर ने टी 72 टैंक के लिए फ्रेम सेल पुर्जों के आयोनाईजड उत्पादन के लिए 5 वेल्डिंग फिक्चसर और 2 प्रेस टूल सेटों का डिजाईन और विनिर्माण किया है। पहले कुछ पुर्जों के सेट को आईडीटीआर में लिया गया है और प्रोटोटाइप नमूनों को बनाया गया है। इन नमूनों को आयुध निर्माणी, दमदम द्वारा अनुमोदित किया गया है।

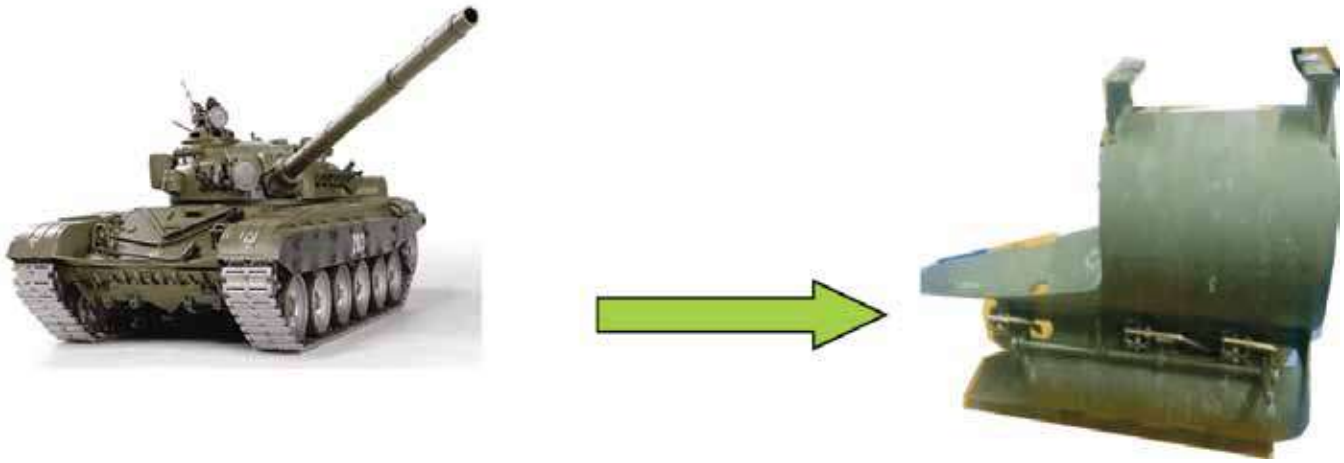

टी 72 टैंक *फ्रेम सेल*

(iii) एन 95 मास्क के लिए रोलर

केन्द्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीटीसी), कोलकाता ने सख्त रोलर (शीर्षकः टीथ मोल्ड नाईफ मोल्ड) का विनिर्माण किया है। इस रोलर को एन 95 मास्क के विनिर्माण हेतु ग्राहकों की मशीन में प्रयोग किया जाएगा और इस रोलर की सहायता से मास्कों पर एन 95 भी उभारा जाएगा।

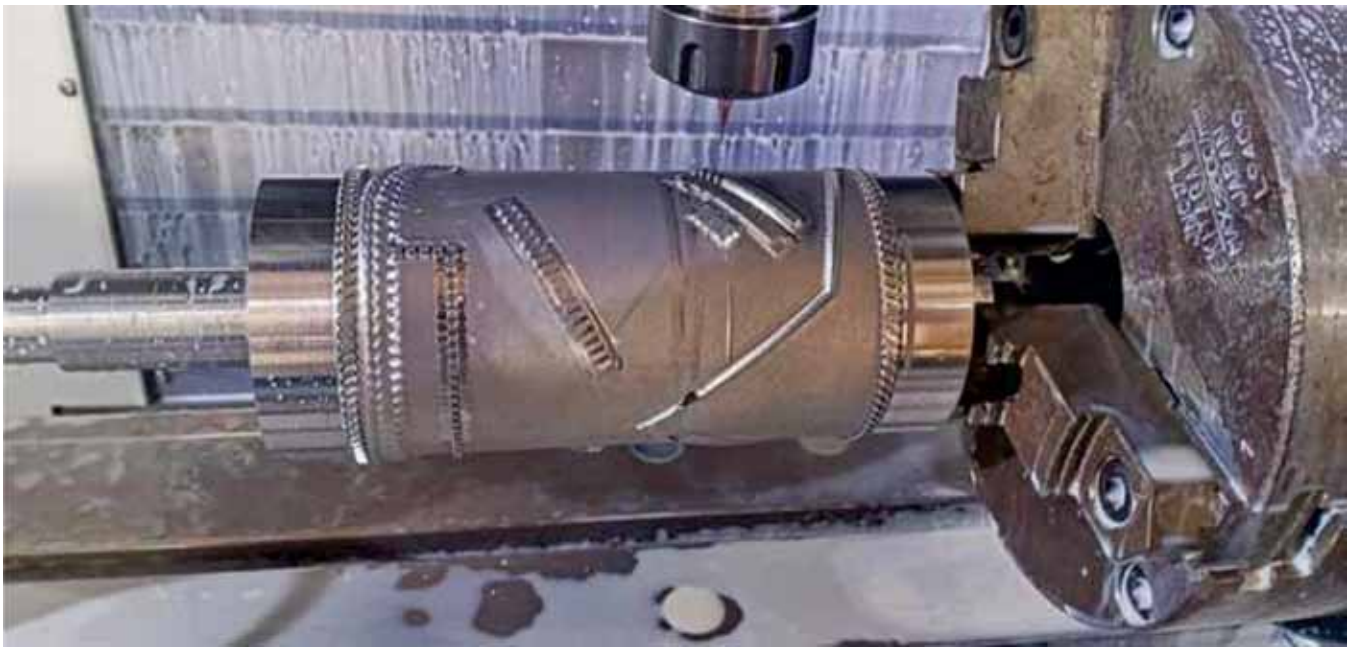

(iv) इस पुर्जे को सुई में प्रयोग किया जाता है और मोतियाबिन्द के ऑपरेशन के दौरान आंखों में ऑप्टिक लेंस को भीतर डालने के लिए सुई के सामने लगाया जाता है।

(ख) कोविड–19 के विरूद्ध संघर्ष में किए गए महत्वपूर्ण कार्य

(i) आक्सीजन उपजाऊ इकाई (प्राणवायु):– सीटीटीसी, भुवनेश्वर ने केन्द्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गपुर के साथ लाइसेंस समझौता के माध्यम से सस्ती ''आक्सीजन उपजाऊ इकाई–प्राणवायु'' विकसित की है।

ऑक्सीजन उपजाऊ इकाई एक यंत्र है जो कि हमारे चारों ओर की हवा से चुनिंदा तरीके से नाईट्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन को सारकृत द्रव्य बनाकर ऑक्सीजन समृद्ध हवा की आपूर्ति करता है। सारकृत ऑक्सीजन को ऑक्सीजन मास्क अथवा नासिका कन्नूला के माध्यम से सांस की बीमारी वाले मरीजों को दिया जाता है। इस यंत्र का प्रयोग क्रॉनिक आब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी), क्रॉनिक हाईपोक्समिया और पल्मोनरी ऐडेमा के मरीजों के लिए दूरस्थ स्थानों, घरों अथवा अस्पताल जैसी सुविधाओं में किया जा सकता है। इसका प्रयोग गंभीर स्लीप अपनिया (सतत सकारात्मक हवा दबाव इकाई के साथ) के लिए सहायक इलाज के रूप में किया जा सकता है। यह इकाई 5–10 एलपीएम ऑक्सीजन समृद्ध हवा प्रदान करने की क्षमता रखती है।

(ii) नॉन इन्वेसिव कॉन्टिन्यूअस पॉजीटिव एयरवे प्रेशर (सीपीएपी) टाइप वेन्टीलेटर

केन्द्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीटीसी), कोलकाता ने नॉन इन्वेसिव सीपीएपी टीईप वेन्टीलेटर (जीवन–रक्षक वेन्टीलेटर प्रणाली) के लिए प्रोटोटाइप विकसित किया है।

नॉन इन्वेसिव कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर (सीपीएसी) टाइप वेन्टीलेटर

ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन (एनआईवी) फेस मास्क के माध्यम से वेन्टीलेशन सहायता के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेट 98% आरएच एक साथ मिश्रित करके शुद्ध ऑक्सीजन सहित वातावरण की हवा में ऑक्सीजन को प्रदान करना है और इसलिए इन्डोट्रेकियल एयरवे की जरूरत को समाप्त किया जाता है। एनआईवी एक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर सृजित करके कार्य करता है–फेफड़ों के बाहर का दबाव फेफड़ों के आंतरिक दबाव से अधिक होता है। सीपीएपी सहायता का बेहतरीन आधारभूत स्तर है जो कि प्रश्वासन और निश्वासन में निर्धारित सकारात्मक दबाव लगातार प्रदान करता है जिससे एयरवे सदा खुला रहता है और सांस लेने में कमी आती है। यह एक सामान्य (टाईटल) प्रश्वासन के उपरांत पीईईपी (दबाव 0 2.0 केपीए) को बनाए रखकर कार्यात्मक शेष क्षमता (निश्वासन के उपरांत फेफड़ों में शेष हवा को बढ़ाकर छाती और फेफड़ों को फैलाने में भी सहायता करता है।

(iii) स्वचालित हैण्ड सैनीटाइजर डिस्पेन्सर

- इस उत्पाद में उपकरण के साथ वास्तविक सम्पर्क बनाए बगैर तरल सैनीटाइजर देने की विशेषता है।
- यह स्वतः ही हाथों की उपस्थिति की जांच कर लेता है एवं अल्पावधि के लिए सैनीटाइजर की पर्याप्त मात्रा छोड़ता है।

स्वचालित हैंड सैनीटाइजर डिस्पेंसर

(iv) कोविड–19 के लिए फेसशील्ड

- घातक कोरोना वायरस के विरूद्ध संघर्ष में फेसशील्ड एक महत्वपूर्ण उत्पाद है।
- समाधान उन्मुखी उत्पादों की आवश्यकता के अनुसार आईडीईएमआई ने दो प्रकार के फेस शील्डों को विकसित किया है।

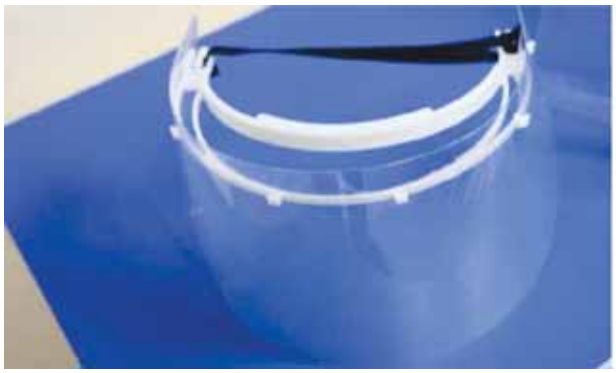

सी–टाईप फेस शील्ड

कैप टाईप फेस शील्ड

- सी–टाईप फेस शील्ड को विशेषकर बाहर के लिए डिजाइन किया गया है जिससे हवा शील्ड के आर–पार जा सकती है। यह पुलिस, नगरपालिका कर्मचारियों और अन्य बाहरी कार्य करने वाले पेशेवरों के लिए लाभदायक है।
- कैप टाईप फेस शील्ड को विशेष रूप से नियंत्रित परिवेश सहित आंतरिक प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है जो कि सिर की ऊपरी तरफ से बंद है। यह डॉक्टरों, अस्पताल कर्मियों, फार्मास्यूटिकल कर्मचारियों और अन्य आंतरिक कार्यशील पेशेवरों के प्रयोग हेतु लाभदायक है।

3.2.9 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों/विस्तार केन्द्रों की स्थापना

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के तहत मौजूदा 18 प्रौद्योगिकी केन्द्रों के नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है और 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, भारत सरकार देश भर

में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय टीसी/ईसी की पहुंच को बढ़ाने के लिए 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 20 प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) और 100 विस्तार केन्द्रों (ईसी) के लिए ''नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों/विस्तार केन्द्रों की स्थापना'' की एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है। ये टीसी/ईसी एमएसएमई तथा कौशल चाहने वालों को देश में विभिन्न सेवाएं जैसे प्रौद्योगिकी सहायता कौशल विकास, इंक्यूबेशन और परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं जिससे कौशल चाहने वालों के रोजगार, एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है और देश में नए एमएसएमई का सृजन होता है।

यह आशा है कि टीसी/ईसी का यह नेटवर्क देश में उद्योग–शैक्षणिक संस्थाओं से लिंकेज के साथ–साथ इन केन्द्रों में प्रदत्त आधुनिक सुविधाओं, उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे इंक्यूबेशन/एआर/वीआर/एआई इत्यादि के माध्यम से नवोन्मेष सहायता प्रदान करेंगे।

20 प्रौद्योगिकी केन्द्र और 100 विस्तार केन्द्रों की स्थापना हब और स्पोक मॉडल के तहत की जा रही है जबकि कुछ विस्तार केन्द्रों (स्पोक के रूप में टीसी का एक छोटा रूप) की स्थापना उनकी सहायता, अनुवीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण इस प्रकार से की जाएगी जिससे एमएसएमई और विस्तारित क्षेत्र के कौशल जिज्ञाशुओं की आवश्यकताओं के आधार पर देश भर में आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अधिकतम भाग को शामिल किया जा सके। स्कीम के अंतर्गत प्रति प्रौद्योगिकी केन्द्र के लिए 200.00 करोड़ रुपए के निवेश और विस्तार केन्द्र के लिए 20.00 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव है। इन टीसी/ईसी की स्थापना सामान्य इंजीनियरिंग सुगंध और स्वाद, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम), खेलों के क्षेत्र में तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य क्षेत्रों में की जाएगी।

नेटवर्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भविष्य के प्रौद्योगिकी केन्द्रों और उनके विस्तार केन्द्रों में प्रमुख प्रौद्योगिकियों/क्षेत्रों में कौशल दक्षता बढ़ाना और नवोन्मेष आत्मसात करने जैसी विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाओं के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

3.2.9.1 प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की स्थिति निम्नवत है :

- प्रौद्योगिकी केन्द्रों के स्थान को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- दो स्थानों में भूमि इस कार्यालय के नियंत्रण में है और आठ अन्य स्थानों की भूमि को अंतिम रूप दिया जा रहा है जो कि संबंधित राज्य सरकारों से हस्तांतरण की प्रक्रिया के अधीन हैं।

3.2.9.2 विस्तार केन्द्रों की स्थापना की स्थिति निम्नवत हैं:

- विस्तार केन्द्रों के लिए 35 स्थानों का चयन कर लिया गया है। इन 35 स्थानों में से, 24 स्थानों की डीपीआर अनुमोदित हो चुकी है।
- 17 विस्तार केन्द्र कार्यशील है और उन्होंने एमएसएमई को सहायता प्रदान करना आरंभ कर दिया है और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान, इन विस्तार केन्द्रों ने दिसम्बर, 2021 तक 9664 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है। यह आशा है कि ये विस्तार केन्द्र दिनांक 31 मार्च, 2022 तक लगभग 10000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान कर सकेगें।

3.2.10 आयात प्रतिस्थापनः

एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए आयात प्रतिस्थापन के लिए उत्पादों के विकास में एमएसएमई और अन्य इकाइयों की भी सहायता करते हैं। आयात प्रतिस्थापन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- आईडीटीआर जमशेदपुर ने रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से एक उच्च यथार्थमापी पुर्जे ''ग्रिप जॉ'' (एक आयात विकल्प) का विकास और विनिर्माण किया है जिसका स्टील रोलिंग मिलों में शीटों को जकड़ने में प्रयोग किया जाता है। इस वस्तु का विनिर्माण मैसर्स ऑटोमोटिव इण्डिया कोलकाता, एक एमएसएमई के लिए किया गया है।
- सीटीआर लुधियाना ने मैसर्स दीपक इन्टरनेशनल लिमिटेड, कांगड़ा (हि.प्र.), एक एमएसएमई के लिए प्रेशर डाई कास्टिंग डाई (एक आयात विकल्प, चीन से आयात किया जा रहा था) को विकसित किया है। यह इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी के लिए एक पुर्जा है।
- आईडीटीआर जमशेदपुर ने टाटा स्टील जमशेदपुर में नाईट्रोजन गैस को पिघली हुई अवस्था में रखने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से ऑटो कोपलर मेल एवं फीमेल एसेम्बली का विनिर्माण किया है।
- सीटीटीसी, भुवनेश्वर ने मैसर्स वॉशमेटिक सिस्टम्स (प्रा.) लि., कोलकाता के लिए नोजल एसेम्बली (आयात विकल्प, यूके और फ्रांस से आयात किया जा रहा था) का विनिर्माण किया है। इस वस्तु की कीमत की 5000/– रू. से कम होकर 1000/– रू तक गया है।

3.2.11 प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी)

मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रो के कामकाज की सफलता को देखते हुए और देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों (टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों) के विस्तार और उन्नयन करने की दृष्टि से, एमएसएमई मंत्रालय ने पूरे देश में 2200 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) और मौजूदा टीसी को उन्नयन करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) का शुभारम्भ किया है। देश में एमएसएमई के लिए एक अभिनव परितंत्र बनाने के लिए टीसीएसपी की अवधारणा की गई है। इन 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों को निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किया जा रहा है:

क्र.सं.	नया टीसी स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र
1	भिवाड़ी	राजस्थान	ऑटो एवं पुर्जे
2	पुडी (विजाग)	आंध्र प्रदेश	सामान्य इंजीनियरिंग
3	भोपाल	मध्य प्रदेश	सामान्य इंजीनियरिंग
4	रोहतक	हरियाणा	सामान्य इंजीनियरिंग
5	पुदुचेरी	पुदुचेरी	इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम)
6	कानपुर	उत्तर प्रदेश	सामान्य इंजीनियरिंग
7	बद्दी	हिमाचल प्रदेश	सामान्य इंजीनियरिंग
8	सितारगंज	उत्तराखंड	ऑटो एवं पुर्जे

क्र.सं.	नया टीसी स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र
9	ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश	इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम)
10	इम्फाल	मणिपुर	सुगंध एवं स्वाद
11	दुर्ग	छत्तीसगढ़	सामान्य इंजीनियरिंग
12	कोच्चि'एर्नाकुलम)	केरल	सामान्य इंजीनियरिंग
13	बेंगलुरू	कर्नाटक	इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम)
14	पटना	बिहार	सामान्य इंजीनियरिंग
15	श्रीपेरम्बदूर (चेन्नई)	तमिलनाडु	सामान्य इंजीनियरिंग

कार्यक्रम की स्थिति

- सिविल कार्य के लिए सभी 15 नए टीसी की निविदा दे दी गई है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में 3 टीसी अर्थात् भिवाड़ी, विजाग एवं भोपाल का माननीय मंत्री (एमएसएमई) द्वारा उद्घाटन किया गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया, वित्तीय वर्ष 2021–22 में रोहतक में 01 टीसी का उद्घाटन किया गया।
- टीसी स्थानों में 514 मशीन एवं प्रयोगशालाएं (प्रशिक्षण एवं उत्पादन) प्रदान की गई है।
- 11 नए टीसी द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आरंभ किया गया है। 8000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- 7 नए टीसी अर्थात् भिवाड़ी, भोपाल, विजाग, दुर्ग, बद्दी, कानपुर एवं रोहतक टीसी के लिए एआईसीटीई अनुमोदन ले लिया गया है।

नए टीसी द्वारा प्रशिक्षण

दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए सात टीसी भिवाड़ी, भोपाल, दुर्ग, रोहतक, पुडी, बद्दी और कानपुर ने एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त किया है। नए टीसी द्वारा मूल पाठ्यक्रमों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम.स.	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (दिसंबर, 2021 तक)
नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षु	157	2571	2583	3068

विशेष उपलब्धियां

- टीसी भिवाड़ी ने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पुर्जों के डिजाइन और विकास के लिए कई कार्यशालाएं और ज्ञान संगोष्ठियां आयोजित की हैं।
- टीसी पुदुचेरी ने किसी वाहन के मानवीय चोटों और दिव्यांगता की विस्तृत श्रेणियों तक पहुँच के अनुरूप बनाने

के लिए एक ऑटोमोटिव स्वाइवल सीट उत्पाद के ग्राहक केन्द्रित डिजाइन और विकास के लिए ''मैसर्स करूणा एसेसीबिलिटी'' स्टार्टअप की सहायता की है। यह सीट दिव्यांगों, वृद्धों और रीढ़ की चोट वाले व्यक्तियों को वाहन में जाने और उतरने में मदद करेगा।

Enabling walker-to-vehicle transfers

Enabling wheelchair-to-vehicle transfers

- टीसी दुर्ग ने उन एमएसएमई इकाइयों की सहायता की है जो कि रीयर एक्सल कवर के प्रोटोटाइप पुर्जे विकसित करने के लिए भारतीय रेल के लिए विक्रेता है।
- टीसी विजाग ने वेन्टीलेटर भागों (आईसीयू मरीजों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए अपेक्षित) के विकास के लिए स्थानीय एमएसएमई की सहायता की है। साथ ही आत्म–निर्भर भारत के अंतर्गत रक्षा और एमएसएमई के लिए पुर्जे विकसित करने में सहायता की है।
- टीसी–भिवाड़ी आत्म–निर्भर भारत के अंतर्गत स्वदेशी खिलौना स्क्रू कसने वाली मशीन में सहायता कर रहा है।
- टीसी भिवाड़ी, दुर्ग, विजाग, रोहतक और पुदुचेरी द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों और उद्योगों के साथ 8 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए।
- टीसी इम्फाल ने चिकित्सीय और सुगंधित पौधों के रूप में स्थानीय रूप से उपलब्ध जैविक संसाधनों का प्रयोग करके उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य में स्थानीय कॉलेजों में से एक के साथ संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन औद्योगिक प्रोत्साहन अभियान संचालित किया। इसके अलावा,टीसी इम्फाल ने एक सुगंधित फसल (स्थानीय क्षेत्र में लाईबकनगोऊ) के आसवन में एक आकांक्षी उद्यमी को सुविधा प्रदान की।

3.3 सूक्ष्म, लघु और मध्मय उद्यम विकास संस्थान (एमएसएमई –विकास संस्थान)

3.3.1 एमएसएमई– विकास संस्थान

एमएसएमई–विकास केंद्र, विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो राज्यों में सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को व्यापक स्तर की सेवाएं प्रदान करते हैं। देश भर में 32 एमएसएमई–विकास केंद्र और 27 एमएसएमई–शाखा केंद्र हैं।

इनके प्रमुख कार्यों में बीमा सहित वित्त पहुंच, प्रौद्योगिकी तक पहुंच, सामान्य सुविधा अवसंरचना सृजन, उद्यम पंजीकरण/जेम/जीएसटी हेतु पंजीकरण में एमएसएमई को पथ प्रदर्शन सहायता प्रदान करना, एनएमसीपी घटकों (बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), डिजाइन, व्यवसाय इंक्यूबेशन, लीन) जैसी एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों का कार्यान्वयन, प्रापण और बाज़ार सहायता, औद्योगिक जागरुकता और प्रेरणा अभियान, सार्वजनिक प्रापण नीति, डीआईसी, केवीआईसी, एनएसआईसी और राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय शामिल है।

3.3.1.1 परामर्श और तकनीकी सहायता

एमएसएमई–विकास केंद्र निम्नवत क्षेत्रों में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने वाली अग्रिणी और प्रमुख परामर्शदात्री संगठन हैं:

- उत्पाद चिह्नितकरण
- परियोजना गठन
- उपयुक्त मशीनरी का चयन
- औद्योगिक डिज़ायन का आधुनिकीकरण
- परियोजना प्रोफाइल और परियोजना मूल्यांकन तैयार करना
- तकनीकी सहायता सेवाएं
- पर्यावरणीय परियोजनाओं सहित एसएसआई हेतु संवर्धन कार्यक्रम
- एमएसई इकाइयों का उन्नयन/ आधुनिकीकरण
- आईएसओ–9000 पर विशेष कार्यक्रम
- केंद्र और राज्य सरकार के बीच संवाद
- उत्पाद विकास हेतु बाज़ार और औद्योगिक क्षमता सेवाएं

3.3.1.2 बाजार अनुसंधान

एमएसएमई–विकास केंद्र औद्योगिक विकास हेतु आर्थिक सूचना सेवा के व्यापक डाटा बेस और बाज़ार अनुसंधान में भी सहायता करते हैं:

- नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए उत्पादों का चिह्नितकरण कार्यक्रम

- औद्योगिक संभावना शीटों को तैयार करना
- औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण
- परियोजनाओं का मूल्यांकन और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता
- बाज़ार सर्वेक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट
- नियमित विकास कार्यकलापों के अलावा जागरुकता सृजन

3.3.1.3 समन्वय और कार्यान्वयन

एमएसएमई–विकास केंद्र निम्नवत में प्रमुख भूमिका निभाते हैं:

- भारत सरकार के एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित स्कीमों और सेवाओं का कार्यान्वयन
- एमएसएमई के संवर्धन और विकास हेतु नीति निर्माण में सरकार को परामर्श देना
- एमएसएमई के विकास के साथ केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों से निकट संपर्क कायम रखना
- बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में एमएसएमई के विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रमों का विकास और समन्वय

3.3.1.4 क्लस्टर विकास कार्यकलाप:

एमएसएमई–डीआई, विकास आयुक्त, एमएसएमई कार्यालय क्लस्टर विकास कार्यक्रम पहलों के अंतर्गत राज्यों में क्लस्टरों के विकास हेतु तकनीकी–प्रबंधकीय सहायता भी प्रदान करते है:

- प्रौद्योगिकी, कौशल और गुणवत्ता, बाज़ार पहुंच आदि के उन्नयन जैसे सामान्य मामलों के समाधान के माध्यम से एमएसई की निरंतरता और विकास में सहायता करना।
- स्व–सहायता समूहों के गठन, समूहों, संघों के उन्नयन आदि के माध्यम से सामान्य रूप से सहायक कार्रवाई हेतु एमएसई का क्षमता सृजन करना।
- नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/ क्लस्टरों में अवसंरचना सुविधाओं का सृजन/उययन।
- सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना करना। (परीक्षण, प्रशिक्षण, कच्चा माल डिपो, अपशिष्ट शोधन, उत्पादन प्रक्रियाओं का अनुपूरण आदि)।
- क्लस्टरों को पर्यावरण अनुकूल और सार्थक विनिर्माण प्रौद्योगिकी के लिए संवर्धन करना ताकि इकाइयां सार्थक और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं और उत्पादों के विकल्प को चुनने में सक्षम हो सकें।

3.3.1.5 परियोजना रूपरेखा:

यह संस्थान सूक्ष्म और लघु स्तर क्षेत्र में चयनित व्यवहार्य परियोजनाओं पर परियोजना तैयार करने और अद्यतन

करने का कार्य करता है। इनमें उत्पाद, आईएसआई विनिर्देशों, विनिर्माण प्रक्रिया, पूंजी, मानव संसाधन और सामग्री की अवश्यकता, कच्चा माल और मशीनरी की आपूर्तिकर्ताओं के कार्य, बाज़ार और पतों का सार शामिल है। यह एमएसएमई–विकास संस्थान की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

3.3.1.6 जिला औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण रिपोर्टें :

देशभर के एमएसएमई–विकास संस्थान ने 50 भावी जिलों के लिए जिला औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण और जिला विकास योजना तैयार की है।

3.3.1.7 वित्तीय सहायता प्राप्त करने में एमएसएमई को सहायता

- एमएसएमई–विकास संस्थान राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के सदस्य होते हैं और नियमित रूप से बैठकों में शामिल होते हैं। एसएलबीसी सभी एलडीएम और राष्ट्रीयकृत बैंकों को आमंत्रण के माध्यम से एमएससएमई क्षेत्र के ऋण प्रवाह की नियमित निगरानी करते हैं। ये एसएलबीसी बैठकें विशेषतः एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण संवितरण हेतु आयोजित की जाती हैं।

- एमएसएमई–विकास संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उच्चाधिकार प्राप्त राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से एमएसएमई के ऋण प्रवाह की समीक्षा करते हैं और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से एमएसएमई को विभिन्न ऋण संबंधित मामलों को बैंकों को समिति के अगले निदेशों सहित प्रेषित करते हैं।

- एमएसएमई–विकास संस्थान जिलाधीश की अध्यक्षता में लीड बैंकों द्वारा आयोजित की गईं जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों में नियमित रूप से भागीदारी करते हैं। इन डीएलआरसी बैठकों के दौरान, एमएसएमई–विकास संस्थानों से जिला स्तरीय समन्वय अधिकारी एमएसएमई के लिए विभिन्न ऋण संबंधित मामलों को उठाते हैं और साथ ही डीएलआरसी एमएसएमई के लिए विभिन्न ऋण संबंधित स्कीमों की नियमित समीक्षा करती है।

- एमएसएमई–विकास संस्थान ''उद्यमी मित्र'' और ''पीएसबी 59 मिनट ऋण'' पोर्टलों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के माध्यम से इनके द्वारा एमएसएमई ऋणों को सुकर बनाते हैं। साथ ही एमएसएमई–विकास संस्थान ऋण सलाहकारों (उद्यमी मित्र पोर्टल के अंतर्गत अनुमोदित) के माध्यम से उद्यमियों को भी सुविधाएं प्रदान कराते है। एमएसएमई–विकास संस्थान ऋण संबधित मार्गदर्शन के लिए उद्यमियों को एफएलसीसी (वित्तीय साक्षारता ऋण सलाहकार) के पास भी भेजते हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई–विकास संस्थान महिला और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए स्टैड–अप इंडिया स्कीम पर जागरुकता कार्यक्रमों का संचालन करते हैं।

- एमएसएमई–डीआई उद्यमियों की क्रेडिट संबंधी शिकायतों को एलडीएम, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के नियंत्रण कार्यालयों के साथ उठाता है। एमएमएमई–डीआई चैंपियंस पोर्टल में क्रेडिट संबंधी शिकायतों को भी देखता है तथा पोर्टल में नियंत्रण अधिकारी को शिकायतें अग्रेषित करता है। इन शिकायतों को पृथक रूप से संभव सहायता हेतु एलडीएम, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों के नियंत्रण कार्यालयों के साथ भी उठाया जाता है।

- सभी एमएसएमई–विकास संस्थानों में उद्यमी विकास प्रकोष्ठ (ईडीसी) होता है जो अपने कार्यालय परिसर में तिमाही ऋण सुविधा कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं ताकि उद्यमियों को बैंकरों से संवाद कामय करने का मंच मिल सके। भावी/ मौजूदा उद्यमी ईडीसी विज़िटर डाटाबेस का सृजन करते हैं और इन्हें वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत हेतु व्यवसाय प्रस्ताव सहित आमंत्रित किया जाता है। बैंकरों को जमा किए जाने से पूर्व ईडीसी अधिकारियों द्वारा व्यवसाय प्रस्तावों की अग्रिम जांच की जाती है। सभी प्रमुख पीएसबी को ऋण सुविधा कार्यक्रम में भागीदारी हेतु आमंत्रण दिया जाता है।
- एमएसएमई–विकास संस्थान भावी उद्यमियों को मॉडल परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं ताकि बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके और उद्यमियों को आवश्यकता अनुसार परियोजना रिपोर्ट में संशोधन करने में उद्यमियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

3.3.1.8 एमएसएमई– विकास संस्थानों के लिए अवस्थापना विकासः

एमएसएमई–विकास संस्थान के लिए अहमदाबाद में 22 करोड़ रु. की परियोजना लागत से नए भवन का निर्माण किया गया है। इस भवन का उद्घाटन 4 दिसंबर, 2021 को माननीय मंत्री श्री नारायण राणे द्वारा किया गया। इस भवन को पुस्तकालय कक्ष, एमएसएमई चैंपियंस नियंत्रण कक्ष, आईपीआर सुविधा प्रकोष्ठ, ईडीपी प्रकोष्ठ जैसी बेहतर अवसंरचना सुविधाओं के साथ निर्मित किया गया है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र की सहायता करना है। इसी भवन में परीक्षण केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

माननीय मंत्री, श्री नारायण राणे, एमएसएमई–विकास केंद्र अहमदाबाद भवन का उद्घघाटन करते हुएः

6.8 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत के साथ एमएसएमई–विकास संस्थान के लिए दीमापुर (नागालैंड) में एक नया भवन भी बनाया गया है। 4 दिसंबर, 2021 को इस भवन का उद्घाटन श्री बी.बी. स्वैन, आईएएस, सचिव (एमएसएमई) द्वारा किया गया। इस भवन में पुस्तकालय कक्ष, एमएसएमई चैंपियंस नियंत्रण कक्ष, आईपीआर सुविधा

प्रकोष्ठ, ईडीपी प्रकोष्ठ जैसी बेहतर अवसंरचना सुविधाओं के साथ निर्मित किया गया है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र की सहायता करना है। एमएसएमई क्षेत्र के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक लाभों के लिए इसी भवन में परीक्षण केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

सचिव (एमएसएमई) श्री बी.बी. स्वैन, आईएएस एमएसएम–विकास केंद्र, दीमापुर भवन का उद्घाटन करते हुए

3.3.2 एमएसएमई परीक्षण केंद्र और परीक्षण स्टेशन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 1974 में नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकत्ता में चार एमएसएमई– परीक्षण केंद्रों (टीसी) की स्थापना की है। एमएसएमई–परीक्षण केंद्र उद्योगों के लिए सामान्यतः और विशेष रूप से कच्चे माल, अर्द्ध–तैयार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा तैयार अंतिम उत्पादों के लिए परीक्षण और कैलीब्रेशन सेवाएं प्रदान करते हैं।

परीक्षण केंद्र (टीसी) अर्द्ध–तैयार और अंतिम उत्पादों आदि के कार्य–निष्पादन परीक्षण, प्रकार परीक्षण और एक्सेप्टेंस टेस्ट को शुरु करने हेतु रसायन, मैकेनिकल, धातु–शोधन और इलैक्ट्रिकल विषयों में अत्याधुनिक स्वदेशी और आयातित उपकरणों से सुसज्जित हैं। ये केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार मापन टूलों और उपकरणों का कैलीब्रेशन कार्य भी करते हैं।

- सभी लैबों के लिए आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार एनएबीएल प्रमाणन
- उत्पादों की जांच के लिए बीआईएस मान्यता
- अल्फा, बीटा और गामा एमिटरों जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति हेतु एईआरबी मान्यताप्राप्त परीक्षण
- अत्याधुनिक परीक्षण / कैलीब्रेशन सुविधाएं
- उपयुक्त जांच/ कैलीब्रेशन कौशल युक्त समर्पित दल
- औद्योगिक क्षेत्रों के समीप उपयुक्त स्थान पर स्थापना और रेल और सड़क मार्ग से बेहतर जुड़ाव
- प्रमाणित परीक्षण पद्धतियों के माध्यम से भरोसेमंद परिणाम (मुख्यतः भारतीय मानकों के माध्यम से)

- सीएआर/आरआईटीईएस/एएआईसीपीडब्ल्यूडी/रेलवे/रक्षा प्रतिष्ठानों आदि से उचित मान्यता और अभिस्वीकृति

प्रमुख परीक्षण केंद्र :

परीक्षण केंद्र– चेन्नई

परीक्षण केंद्र – कोलकत्ता

परीक्षण केंद्र– मुंबई

परीक्षण केंद्र– नई दिल्ली

उद्योगों के क्लस्टर वाले क्षेत्रों और कुछ कार्यनीतिक क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने वर्ष 1982 में जयपुर, भोपाल, कोल्हापुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुदुचेरी और एट्टूमानूर में 7 एमएसएमई परीक्षण स्टेशनों (टीएस) की स्थापना की है। वस्तुतः ये परीक्षण स्टेशन एमएसएमई–टीसी के विस्तार के रुप में ही कार्य करते हैं जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित उद्योगों की जरुरतों को पूरा किया जा सके है। एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन सामान्यतः उद्योगों और विशेष रुप से इनके इलाकों में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र की जरुरतों को पूरा करने के लिए अपनी सुविधाओं का नियमित आधुनिकीकरण/ उन्नयन करते हैं।

3.3.2.2 शुरु किए गए प्रमुख कार्यकलाप:

- परीक्षण प्रभारों के ऑनलाइन संग्रहण हेतु भारतकोष पोर्टल का उपयोग
- एमएसएमई–परीक्षण केंद्र और परीक्षण स्टेशन ने अपने सभी केंद्रों पर एक दर एक परीक्षण प्रभार के अनुरूप

देश भर में समान परीक्षण शुल्क का कार्यान्वयन किया है। दरें तर्कसंगत हैं और एमएसएमई को रियायत दी जाती है। एमएसएमई परीक्षण केंद्र और परीक्षण स्टेशन सूक्ष्म इकाइयों को 25% की दर से और लघु इकाइयों को 10% की दर से सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं।

- परीक्षण केंद्र, नई दिल्ली ने सर्जिकल दस्तानों, पीपीई किट मद, एलईडी ल्यूमिनरी और अस्पताल फर्नीचर के लिए नई परीक्षण सुविधाओं का विकास किया है।
- परीक्षण केंद्र, नई दिल्ली ने खिलौनों के लिए नई जांच सुविधाओं को विकसित किया है।
- परीक्षण केंद्र, चेन्नई ने पूर्ण चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के लिए नई परीक्षण सुविधाओं का विकास किया है।
- वर्ष 2021–22 के लिए एमएसएमई– परीक्षण केंद्रों और परीक्षण स्टेशनों द्वारा सृजित राजस्व 6.34 करोड़ रु. है (31 दिसंबर, 2021 तक)।
- एमएसएमई क्षेत्र के लिए इन केंद्रों में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी के व्यापक प्रसार हेतु वेबसाईट (लिंकः http://dcmsme.gov.in/MSME-TESTING-CENTRE.pdf) पर परीक्षण केंद्र पुस्तिका तैयार करके अपलोड की गई है।

3.4 कयर बोर्ड

3.4.1 परिचय

कयर बोर्ड भारत में कयर और कयर उत्पादों के निर्यात संवर्धन सहित कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ाने एवं इस परंपरागत उद्योग में लगे कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कॅयर उद्योग अधिनियम 1953 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

3.4.2 उद्देश्य

भारत, विश्व का सर्वाधिक कयर उत्पादन करने वाला देश है, जो विश्व में उत्पन्न होने वाले कुल कयर फाइबर का 80% से अधिक उत्पादन करता है। भारत में विविध कयर क्षेत्र हैं जिसमें घरेलू निर्माता, सहकारी समितियां, गैर–सरकारी संगठन, विनिर्माता एवं निर्यातक आदि शामिल हैं। यह सुन्दर हस्त–निर्मित वस्तुओं, हस्तशिल्प एवं नारियल के छिलके से बने उपयोगी उत्पादों को बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है जो अन्यथा एक कचरे के रूप में होता है। कयर उद्योग लगभग 7.37 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है जिसमें अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और ये समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं। फाइबर निष्कर्षण एवं कताई क्षेत्र के कयर कामगारों में लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं हैं। कयर बोर्ड कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ाने एवं परंपरागत उद्योग में लगे कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने का कार्य करता है।

3.4.3 कार्य

कयर उद्योग के विकास के लिए कयर बोर्ड के कार्यों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- कयर धागे और कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और उस प्रयोजन के लिए प्रचार–प्रसार करना।
- कयर उत्पादों के विनिर्माता के रूप में कयर उत्पाद विनिर्माण हेतु कयर तकुओं और करघों को पंजीकृत करके और जटा, कयर धागे और कयर उत्पादों को केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण में विनियमित करना, कयर, कयर धागे और कयर उत्पादों के निर्यातकों को लाईसेंस प्रदान करना और आवश्यकतानुसार इस प्रकार के अन्य कदम उठाना।
- वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान को सहायता व प्रोत्साहन देना और एक या एक से अधिक अनुसंधान संस्थानों का रखरखाव और सहयोग करना।
- भारत और अन्य जगहों में नारियल जटा, कयर फाइबर, कयर धागे और कयर उत्पादों के विपणन में सुधार करना और अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना।
- विद्युत की सहायता से कयर उत्पादों के उत्पादकों हेतु कारखानों की स्थापना करना अथवा स्थापना में सहायता करना।
- जटा, कयर फाइबर और कयर धागे के उत्पादकों और कयर उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच सहकारी संगठन को बढ़ावा देना।

- जटा, कयर फाइबर और कयर धागे और कयर उत्पादों के उत्पादकों हेतु पारिश्रमिक सुनिश्चित करना।
- जगहों और गोदामों को किराए पर देने हेतु लाईसेंस ज़ारी करना और आंतरिक बाज़ार और निर्यात दोनों के लिए कयर फाइंबर, कयर धागे और कयर उत्पादों को रखने और बिक्री करने हेतु विनियमन बनाना।
- कयर उद्योग के विकास से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना।

3.4.4 संगठन

- भारत सरकार ने दिनांक 22.02.2019 की राजपत्र अधिसूचना सं. सा.आ. 1019 (अ) के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए कयर बोर्ड का पुनर्गठन किया है। कयर बोर्ड में वर्तमान में कयर बोर्ड के अध्यक्ष सहित 16 सदस्य हैं।
- कयर बोर्ड का मुख्यालय कयर हाउस, एमजीआर रोड, कोच्ची, केरल में स्थित है। कयर बोर्ड भारत के विभिन्न भागों में स्थापित 29 शोरूम और विक्रय केंद्र डिपो सहित 47 प्रतिष्ठानों को संचालित कर रहा है। बोर्ड के अधीन कुल कर्मचारियों की संख्या 235 है। (31.12.2021 की स्थिति अनुसार)।

3.4.5 भारत में कयर उद्योग

कयर, जटा से निष्कर्षण किया गया मोटा फाइबर है, जो नारियल की रेशेदार बाहरी परत होती है। नारियल रेशे से बनी रस्सी और डोरियों का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। भारतीय नाविक, जो मलाया, जावा, चीन और अरब की खाड़ी में सैकड़ों वर्षों पूर्व समुद्री यात्रा करते थे, अपने जहाज के लिए रस्सी के रूप में कयर का इस्तेमाल करते थे। मैटिंग और अन्य फर्श की कवरिंग फैक्टरी आधार पर भारत में 150 वर्षों पहले आरंभ की गई थी जब अलप्पुझा में वर्ष 1859 में पहला कारखाना स्थापित किया गया था। कयर उद्योग एक कृषि आधारित पारंपरिक उद्योग है जो केरल राज्य में प्रारम्भ हुआ और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा आदि जैसे अन्य नारियल उत्पादक राज्यों में इसका प्रसार हुआ। यह एक निर्यात उन्मुख उद्योग है जिसमें प्रौद्योगिकी इंटरवेशन के माध्यम से मूल्य वर्धन के जरिए निर्यात बढ़ाने की अधिक संभावना है।

3.4.5.1: विगत 5 वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कयर का निर्यात (मात्रा और मूल्य)

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन)	मूल्य (रु. लाख में)
2016-17	957,045	228164.82
2017-18	10,16,564	253227.84
2018-19	964,046	272804.59
2019-20	988,996	275790.13
2020-21	1,163,213	377897.91
2021–22 (दिसंबर 2021 तक अनुमानित)	905000	300000.00

3.4.5.2 वर्ष 2021–22 के दौरान भारत से कयर का आयात करने वाले 5 प्रमुख देश (31 जुलाई, 2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	देश	मात्रा (टन)	प्रतिशत (%)	मूल्य (रु. लाख में)	प्रतिशत (%)
1	अमेरिका	92503.88	20.45	48983.98	31.05
2	चीन	146198.49	32.31	29942.22	18.98
3	नीदरलैंड	45374.82	10.03	15288.02	9.69
4	दक्षिण कोरिया	27237.31	6.02	8315.61	5.27
5	ब्रिटेन	18414.03	4.07	8213.72	5.21

विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कयर और कयर उत्पादों का अनुमानित उत्पादन निम्नवत है:

3.4.5.4 वर्ष 2018–19 से 2021–22 के दौरान कयर उत्पादों (मात्रा मीट्रिक टन में) के उत्पादन में वृद्धि (31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार अस्थायी)

मद	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
कयर फाईबर	7,49,600	7,41,000	7,58,000	5,72,800
कयर धागा	4,49,800	4,46,000	4,56,000	3,44,600
कयर उत्पाद	2,96,800	2,94,200	3,00,800	2,27,300
कयर रस्सी	90,000	89,200	91,200	68,900
कर्लड कयर	89,900	88,800	90,800	68,600
रबड युक्त कयर	1,19,900	1,08,500	1,10,400	83,000

3.4.6 स्वच्छ भारत अभियान

कयर बोर्ड ने केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देकर स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया। कयर बोर्ड वर्ष 2021–22 के लिए अनुमोदित कई कार्य बिन्दुओं को शामिल करते हुए अपनी कार्य योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

3.4.7 कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित स्कीमें

3.4.7.1 कयर विकास योजना (सीवीवाई)

देश में कयर उद्योग के समग्र विकास और वृद्धि के लिए कयर बोर्ड विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। अंब्रेला स्कीम, कयर विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित घटक स्कीमें/कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

(i) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी)

कयर बोर्ड, कयर उद्योग के समग्र और सतत विकास हेतु विभिन्न योजनाओं/ स्कीमों/ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। अंब्रेला स्कीम ''सीवीवाई'' के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीमों का पालन परंपरागत उद्योग के आधुनिकीकरण, उत्पादकता उन्नयन, गुणवत्ता वर्धन, उत्पाद विविधता प्राप्त करने और साथ ही कड़े परिश्रम से बचने के उद्देश्य से किया जाता है। कयर बोर्ड के अंतर्गत नवप्रवर्तनकारी अनुसंधान और विकास कार्यकलापों का निपटान दो अनुसंधान संस्थानों; केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई), कलावूर और कयर प्रौद्योगिकी केंद्रीय संस्थान (सीआईसीटी), बैंगलुरू, कर्नाटक द्वारा किया जाता है। इन कार्यकलापों में निम्नवत् क्षेत्र शामिल है:

(क) कयर क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण

(ख) मशीनरी और उपकरणों का विकास

(ग) उत्पाद विकास और विविधता

(घ) पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास

(ड.) प्रद्यौगिकी हस्तांतरण, इन्क्यूबेशन, परीक्षण और सेवा सुविधाएं।

दिसंबर, 2021 तक एस एंड टी स्कीमों के लिए आउटपुट/ आउटकम एवं तीन माह हेतु कार्ययोजना

	उप–स्कीम/गतिविधि	वास्तविक लक्ष्य	31.12.2021 तक उपलब्धि	जनवरी से मार्च, 2022 के लिए कार्ययोजना
क	नई मशीनों/प्रक्रियाओं का विकास किया जाना	12	3	4
ख	नई प्रौद्योगिकी का विकास	8	7	2
ग	नए उत्पादों का विकास	13	8	4
घ	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	30	19	11
ड.	प्रौद्योगिकी का क्षेत्रीय प्रदर्शन	230	61	50

(ii) कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना (एमसीवाई)

उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से कयर उद्योग में कुशल जनशक्ति का विकास और कयर क्षेत्र में उपलब्ध अपनी स्कीमों और नवीनतम प्रौद्योगिकियों पर सूचना प्रसार जारी रखा गया है ताकि उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार, जागरूकता कार्यक्रम, एक्सपोजर दौरें आदि आयोजित करके पीएमईजीपी स्कीम, स्फूर्ति स्कीम आदि के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके भावी उद्यमियों को कयर इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण सहित स्कीम अधिकांश कौशल कार्यक्रम समूह केंद्रित हैं और इनके लिए सार्वजनिक सहभागिता अपेक्षित है। कोविड–19 महामारी के प्रकोप और इसके परिणामस्वरूप केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन घोषित किए जाने के कारण, बोर्ड कौशल उन्नयन और एमसीवाई के अंतर्गत कार्यक्रमों को शुरु नहीं कर सका, चूंकि इन कार्यक्रमों में सार्वजनिक सहभागिता आवश्यक है। कोविड–19 महामारी की परिस्थितियों

की वजह से, बोर्ड वर्ष 2021–22 की प्रथम दो तिमाहियों में अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार कौशल विकास और एमसीवाई के अंतर्गत कार्यक्रमों का पूरी तरह से संचालन नहीं कर सका। तथापि, बोर्ड ने ऑनलाईन माध्यम से प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला आदि जैसे कार्यक्रमों का संचालन करने हेतु कार्रवाई शुरु कर दी है। पहल करते हुए, कयर उद्योग में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं से संबंधित वीडियो शिक्षण बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड कर दिए गए हैं। बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि परिस्थितियां बेहतर होते ही वे ऑनलाईन माध्यमों से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरु करें और वेबीनारों के माध्यम से सेमीनार आदि का आयोजन करें। अब केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन हटा दिया गया है, इसलिए बोर्ड के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों ने कार्ययोजना कार्यक्रमों को फिर से शुरु कर दिया है।

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोर्ड दो नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है अर्थात कयर प्रौद्योगिकी में कयर कारीगर हेतु प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम –एनएसक्यूएफ लेवल–3 (अवधि छह माह) और कयर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम –एनएसक्यूएफ लेवल –4 (अवधि एक वर्ष)

वर्ष 2021–22 के दौरान संचालित नियमित प्रशिक्षण का ब्यौरा (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या
1.	कयर प्रौद्योगिकी में कयर कारीगर हेतु प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	38 पूर्ण, 34 ज़ारी
2.	कयर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	2 पूर्ण, 68 ज़ारी

iii. निर्यात बाज़ार संवर्धन

निर्यात बाज़ार संर्वधन के अंतर्गत बोर्ड के कार्यकलापों में कयर निर्यातकों का पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में कयर क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयों की भागीदारी सुनिश्चित करना, विदेश में व्यापार मेले और क्रेता–विक्रेता बैठकें, वास्तविक और वर्चुअल माध्यमों से भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ बैठकें/कार्यशालाएं/ सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को सहायता उपलब्ध कराना, कयर उद्योग पुरस्कार आदि सहित वैश्विक बाज़ार में प्रवेश हेतु लघु स्तरीय निर्यातकों को प्रोत्साहन देने और भारतीय कयर उत्पादों के निर्यात को विस्तार देना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत, पात्र उद्यमियों को पात्रता की शर्तों और स्कीम में निध र्ारित की गई मात्रा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/ क्रेता–विक्रेता बैठकों में भागीदारी के लिए सहायता के रूप में स्थान का किराया (स्पेस रेंट), वायुयान किराया, भाड़ा प्रभार आदि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत, बोर्ड मौजूदा और नए बाज़ारों में भारतीय कयर उत्पादों का हिस्सा बढ़ाने, विदेश में पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक रेशे के रूप में कयर का प्रचार आदि के लिए प्रयास कर रहा है। वर्ष 2021–22 के दौरान (31.12.2021 तक), 107 कयर इकाइयों का कयर निर्यातकों के रूप में पंजीकरण किया गया है और इन्हें पंजीकरण–सह–सदस्यता प्रमाण–पत्र ज़ारी किए गए हैं।

iv. घरेलू बाज़ार संवर्धन

- कयर उत्पादों के लिए घरेलू बाजार विकास के लिए, बोर्ड प्रचार और प्रसार, मुख्य घरेलू प्रदर्शनी में भागीदारी,

सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के माध्यम से बिक्री को बढ़ाने के लिए कार्यनिष्पादन से संबंधित बाजार विकास सहायता प्रदान करने सहित विभिन्न कार्यकलाप करता है। बोर्ड कयर उत्पादों के वार्षिक कारोबार के 10% की दर से बाज़ार विकास सहायता के रूप में कयर उत्पादक राज्यों को सहायता उपलब्ध करा रहा है। व्यय को 1:1 आधार पर केंद्र एवं संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच साझा किया जाता है। बोर्ड प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार करके कयर और कयर उत्पादों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयास भी कर रहा है। एमडीए के केंद्र के अंश के रूप में राज्य सरकारों को बाज़ार विकास सहायता (एमडीए)–6.72 करोड़ रु. ज़ारी किए गए हैं। बोर्ड ने 66 प्रदर्शनियों में भागीदारी की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईएफ) में भागीदारी शानदार रही और सर्वश्रेष्ठ पंडाल (पेवेलियन) के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

आईआईटीएफ उद्घाटन

(v) व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं

किसी उद्योग के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कयर उद्योग अधिनियम 1953 के अंतर्गत कयर बोर्ड को सौपें गए कार्यों में कयर उद्योग से संबंधित सांखिकीय आँकड़ों का प्रसार और विश्लेषण, संकलन, संग्रह करना हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड कयर उद्योग बाजार विश्लेषण अध्ययन, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन, संकलन और कयर से संबंधित सूचना का प्रसार, बोर्ड कार्यालय में अवसंरचना सुविधाओं का सृजन, मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का सर्वेक्षण संचालित करता है।

(vi) कल्याणकरी उपाय

बोर्ड देश में कयर कामगारों के हित के लिए कयर बोर्ड कयर कामगार समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्कीम के रूप में प्रचलित एक बीमा स्कीम कार्यान्वित कर रहा था। दिनांक 01.06.2016 से स्कीम को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में सम्मिलित कर दिया गया है। कयर बोर्ड कयर कामगारों की ओर से प्रिमियम का भुगतान करके स्कीम के अंतर्गत नामांकन करने हेतु देश में कयर कामगारों की सहायता करता आ रहा है। अब तक कयर बोर्ड द्वारा पीएमएसबीवाई स्कीम के अंतर्गत 46,584 कयर कामगारों का नामांकन किया गया है। अब तक कुल 7.6 लाख रु. इस मद में व्यय किया गया है।

3.4.8 कयर क्षेत्र की चुनौतियां:

भारत के कयर निर्यात क्षेत्र के समक्ष निम्नवत चुनौतियां हैं:

- सिंथेटिक रेशों समेत अन्य प्राकृतिक रेशों से प्रतिस्पर्धा।
- श्रीलंका, वियतनाम आदि जैसे अन्य नारियल उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा।
- चीन द्वारा रेशों के आयात में वृद्धि से कच्चे माल की कमी।
- अन्य क्षेत्रों की ओर परंपरागत और हथकरघा क्षेत्र के कामगारों का पलायन।
- अन्य आंतरिक चुनौतियां।
- कमियों युक्त संग्रहण तंत्र की वजह से, रेशों की उपलब्धता एक कमज़ोर कड़ी बनती जा रही है।
- निर्माण उद्योग में तकनीकी विदों के परंपरागत दृष्टिकोण की वजह से कयर वुड जैसे नवप्रवर्तक उत्पादों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका है और इससे अन्य परंपरागत विकल्प भी उपयोग में नहीं लाए जा सके हैं।

3.4.9 प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):

बोर्ड वर्ष 2018–19 से कयर क्षेत्र में पीएमईजीपी स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।
वर्ष 2021–22 में दिनांक 31 दिसंबर, 2021 तक, कयर बोर्ड ने पीएमईजीपी ई–पोर्टल के माध्यम से 348 आवेदन प्राप्त किए हैं। इससे बैंकों ने केवल 148 कयर परियोजनाओं को ऋणों की संस्तुति की है और इसके आगे केवीआईसी ने संबंधित अग्रिणी बैंकों के माध्यम से 113 कयर परियोजनाओं को 5.98 करोड़ रु. की मार्जिन मनी/ सब्सिडी ज़ारी की है।

3.4.10 परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति)

परंपरागत उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और इनके निरंतर विकास को आसान बनाने के लिए, भारत सरकार ने "परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति)" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम की घोषणा की है।

कयर बोर्ड इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है। अब तक 40 कयर क्लस्टरों को कुल परियोजना लागत का 141.15 करोड़ रु. स्वीकृत किया गया है जिसमें से 117.05 करोड़ रु. भारत सरकार अनुदान के रूप में है।

3.4.11 एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कयर बोर्ड को बजटीय सहायता .

भारत सरकार, कयर बोर्ड को योजना और गैर–योजना शीर्षों के अंतर्गत अपनी विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए निधियां उपलब्ध कराती है। विगत पांच वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कयर बोर्ड को दी गई बजटीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत है:–

कयर बोर्ड को बजटीय सहायता

(रु. करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	ज़ारी निधियां
2017-18	70.50	58.89
2018-19	86.23	82.03
2019-20	75.70	73.00
2020-21	80.70	80.69
2021–22 (बजट अनुमान)	80.00	52.02*

** दिनांक 31–12–2021 के अनुसार ज़ारी निधियां*

3.5 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड

3.5.1 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के अधीन भारत सरकार का एक एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित उद्यम है। एनएसआईसी देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन, सहायता तथा विकास के काम में लगा हुआ है।

3.5.2 उद्देश्य

एनएसआईसी का उद्देश्य ''विपणन, वित्त, प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं को शामिल करते हुए एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता और संवर्धन करना है"।

एनएसआईसी का विजन "देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को पोषित करने वाला प्रमुख संगठन बनना है।''

3.5.3 संगठन

निदेशक मंडल के स्वीकृत पदों में एक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक; दो कार्यकारी निदेशक; दो सरकार द्वारा नामित निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक हैं।

एनएसआईसी देश भर में कार्यालयों और 8 तकनीकी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। एनएसआईसी ने प्रशिक्षण–सह–इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना की है और साथ ही यह एमएसएमई क्षेत्र की जरुरतों के अनुसार सेवाओं का पैकेज भी उपलब्ध कराता है।

3.5.4 संचालन कार्यनिष्पादनः

क) कच्चे माल का वितरण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की विभिन्न जरूरतों में, कच्चे माल की निरंतर और समयबद्ध उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण है। तद्नुसार, कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सहायता सेवाओं में ''विपणन सहायता'' प्रदान करने के साथ, कच्चे माल के वितरण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। एमएसएमई को कच्चा माल सहायता प्रतिस्पर्धी दरों, गुणवत्ता और समय पर प्रदान किए जाने से न सिर्फ एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा क्षमता वर्धित होती है बल्कि इनके व्यवसाय में भी वृद्धि होती है।

अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से एनएसआईसी देश भर में बहुत सी एमएसएमई को कच्चा माल उपलब्ध करने में सहायता करता है। थोक विनिर्माताओं के साथ व्यवस्थाएं की गई है जिससे एमएसएमई की जरुरतों के अनुसार कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सके।

वर्ष 2020–21 के दौरान, एनएसआईसी ने मैसर्स नाल्को से लोहे और स्टील, एल्युमिनियम, मैसर्स सीपीसीएल से पैराफिन वैक्स, मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड से कोयला और मैसर्स आईओसीएल से पॉलिमर उत्पाद अर्थात पीपी, एचडीपीई और एलएलडीपीई की आपूर्ति के माध्यम से एमएसएमई को कच्चे माल की जरुरतों की पूर्ति की है।

वर्तमान वित्त वर्ष 2021–22 (31 दिसंबर, 2021 तक) बिक्री खरीद के अंतर्गत 1436.00 करोड़ रु. मूल्य के कच्चे माल का वितरण किया है।

वर्तमान वित्त वर्ष (अर्थात 31 मार्च, 2022 तक) की शेष अवधि के लिए अनुमानित उपलब्धि लगभग 464.00 करोड़ रु. रहने की संभावना है।

ख) संघ और निविदा विपणन

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) बड़े आर्डर प्राप्त करने में बाधाओं का सामना कर रहे हैं जब वे बड़े उद्यमों के सामने अपनी क्षमता पर निविदा हेतु बोली लगाते हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए एनएसआईसी समान उत्पादों की लघु विनिर्माण इकाइयों का संघ बनाता है जिससे उनकी क्षमता में पूलिंग होती है जो आपूर्तिकर्ताओं के रूप में और विक्रेताओं को भी सुविधा प्रदान करता है। निगम एमएसई के संघ की ओर से निविदाओं के लिए आवेदन करता है और थोक मात्रा के लिए आर्डर भी प्राप्त करता है। इन आर्डरों को उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार एमएसई में वितरित किया जाता है।

निविदा विपणन स्कीम के अंतर्गत, एनएसआईसी निविदा में भागीदारी से लेकर निविदा निष्पादित होने तक निविदा कार्यकलाप के प्रत्येक स्तर पर एमएसएमई को सुविधा प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान (31–12–2021 तक), इस कंपनी ने 311.12 करोड़ रु. मूल्य के 314.00 टेंडरों में हिस्सा लिया और 52.30 करोड़ रु. के टेंडर निष्पादित किए।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (अर्थात 31 मार्च, 2022 तक) की शेष अवधि के लिए अनुमानित उपलब्धि 50.00 करोड़ रु. मूल्य के टेंडरों का निष्पादन है।

ग) ऋण सहायताः

एनएसआईसी बैंक गारंटी के प्रति कच्चा माल सहायता स्कीम में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करके कच्चा माल प्रापण में क्रेडिट सहायता प्रदान करता है। एनएसआईसी निविदा विपणन स्कीम जैसी स्कीमों के अंतर्गत एमएसएमई को सहायता प्रदान करके वित्त की सुविधा भी देता है।

इसके अलावा, एनएसआईसी ने एमएसएमई इकाइयों की क्रेडिट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इन बैंकों के साथ समूहन से एनएसआईसी बैंकों से (निधि अथवा गैर निधि आधारित सीमा) क्रेडिट सहायता का प्रबंध करता है। इसके अतिरिक्त, एनएसआईसी ने ऑनलाइन वित्त सुविधा केंद्र शुरू किया है जिसके तहत एनएसआईसी पोर्टल और बैंक पोर्टल के बीच वेब लिंकेज के माध्यम से एमएसएमई को क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी। एमएसएमई इकाई या तो सीधे www.nsicffconline.in में लॉग इन कर सकते हैं अथवा ऋण प्रस्ताव सहित अपने नजदीकी एनएसआईसी वित्त सुविधा केन्द्र से भी सम्पर्क कर सकते हैं। वित्त सुविधा केन्द्र के अधिकारी एमएसएमई इकाई द्वारा विकल्प चुने गए किसी तीन अधिमानित बैंकों को ऋण प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजीकरण में इकाई की सहायता करके पथप्रदर्शन सहायता प्रदान करेंगे जोकि एनएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन के अधीन है। यह पथप्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए एनएसआईसी इकाई से कोई शुल्क नहीं लेता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, इकाइयों को 4522.71 करोड़ रु. की ऋण सुविधा प्रदान की गई।

वर्ष 2021–22 (31–12–2021 तक) के दौरान, इकाइयों को 3978.99 करोड़ रु. की ऋण सुविधा प्रदान की गई।

वर्तमान वित्त वर्ष (31 मार्च, 2022 तक) की शेष अवधि में अनुमानित उपलब्धि 2100.00 करोड़ रु. रहने का अनुमान है।

घ) एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस)

एनएसआईसी सरकारी निविदाओं में भागीदारी के लिए एमएसई के क्षमता निर्माण के लिए सरकारी खरीद हेतु एकल बिन्दु पंजीकरण संचालित करता है और यह सरकारी लोक प्रापण प्रक्रिया में योगदान करता है। एनएसआईसी की एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों को सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई), आदेश, 2012 के लिए लोक प्रापण नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत 2677 नई इकाइयां जोड़ी गईं और 6,353 इकाइयों का नवीकरण किया गया है।

वित्त वर्ष 2021–22 (31–12–2021 तक) के दौरान, 1803 नई एमएसई का पंजीकरण हुआ है और 4403 एमएसई का नवीकरण किया गया है।

वर्तमान वित्त वर्ष (31 मार्च, 2022 तक) की शेष अवधि में इस स्कीम के अंतर्गत अनुमानित उपलब्धि 1000 नई इकाइयों का पंजीकरण और 2000 इकाइयों का नवीकरण है।

ङ.) एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र

एनएसआईसी ओखला (नई दिल्ली), हैदराबाद (तेलंगाना), हावड़ा (पश्चिम बंगाल), राजकोट (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु), राजपुरा (पंजाब), अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) एवं नीमका (हरियाणा) स्थित अपने 8 "एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्रों" (एनटीएससी) के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्मय उद्यमो को निम्नवत प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं प्रदान करता है।

i) कौशल विकास (क्षमता विकास)

वर्तमान में एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र उद्योगों की जरुरतों के अनुसार विभिन्न विषयों में रोज़गार उन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण पेश कर रहे हैं। ये केंद्र उन्नत टूल रूम, सीएनसी मिलिंग और टर्निंग मशीनें, ईडीएम, रॉबोटिक्स लैब, सौर ऊर्जा अनुप्रयोग प्रयोगशाला, एससीएडीए और प्रक्रिया नियंत्रण प्रयोगशाला, सैप, मल्टीमीडिया, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिज़ायन सॉफ्टवेयर, एआर/ वीआर आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर प्रयोगशाला जैसी परंपरागत और हाई–टेक मशीनरी और उपकरणों से सुसज्जित हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान, विभिन्न तकनीकी केंद्रों/ एलबीआई और पीपीपीपी के माध्यम से कुल 33527 प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए हैं।

वर्ष 2021–22 (31–12– 2021 तक) के दौरान, तकनीकी केंद्रों में 25153 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। दिनांक 31–12–2021 तक तकनीकी केंद्रों द्वारा सृजित राजस्व 7.80 करोड़ रु. है।

वर्तमान वित्त वर्ष (31 मार्च, 2022 तक) की शेष अवधि में अनुमानित उपलब्धि 15547 प्रशिक्षु और राजस्व सृजन 2.04 करोड़ रु. है। वर्तमान वित्त वर्ष में कुल अनुमानित प्रशिक्षित प्रशिक्षु 40,700 और अनुमानित आय 9.84 करोड़ रु. होगी।

ii) सामान्य सुविधा केंद्र

तकनीकी केंद्रों द्वारा केंद्र में स्थित एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उद्योगों को लौह और गैर–लौह सामग्रियों, पाईपों, स्टील तारों, भवन सामग्रियों, लकड़ी और मृदा तथा कोयला (बिटूमिन) परीक्षण, डीज़ल इंजन परीक्षण, पंप परीक्षण, प्लॉस्टिक परीक्षण, सामग्री परीक्षण, इलेक्ट्रीकल संचालक, तार और केबल, अवरोधी, विद्युत उपकरण परीक्षण, कैलिब्रेशन प्रयोगशाला आदि जैसे उत्पादों के परीक्षण की सेवाएं पेश की जल्दी है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, कुल 8906 इकाइयों को सामान्य सुविधा सेवाओं के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

वर्ष 2021–22 (31–12–2021 तक) के दौरान, सामान्य सुविधा केंद्र सेवाओं के अंतर्गत 7361 इकाइयों को सुविधाएं प्रदान की गई।

वर्तमान वित्त वर्ष (31 मार्च, 2022 तक) की शेष अवधि के दौरान सामान्य सुविधा सेवाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयों की अनुमानित उपलब्धि 2962 है।

iii) एमएसएमई के लिए ई–विपणन/डिजिटल सेवा सुविधा

एनएसआईसी इसके अतिरिक्त, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट वेब पोर्टल (www.msmemart.com) के माध्यम से ई–विपणन सेवा भी प्रदान करता है। एनएसआईसी, एमएसएमई के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए देश भर में एमएसएमई को ई–विपणन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यह पोर्टल सार्वजनिक प्रापण में सतत भागीदारी, उप–निविदा और सहभागिता के अनुरुप व्यवसाय अवसरों के लिए तत्पर पंजीकृत सदस्यों को व्यापक डाटाबेस उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान, बी2बी पोर्टल के अंतर्गत 46,034 इकाइयों को पंजीकृत किया गया। वर्ष 2021–22 में, दिनांक 31–12–2021 तक 11105 सदस्यों ने नामांकन कराया है। वर्ष के दौरान 31 दिसंबर, 20221 तक बी2बी पोर्टल के माध्यम से 3.85 करोड़ रु. का राजस्व सृजन हुआ है।

वर्तमान वित्त वर्ष (अर्थात 31 मार्च, 2022 तक) की शेष अवधि के दौरान अनुमानित उपलब्धि, बी2बी पोर्टल के अंतर्गत नामांकित सदस्यों की संख्या 14948 और बी2बी पोर्टल के माध्यम से सृजित राजस्व 3.64 करोड़ रु. है।

iv) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति हब

एनएसआईसी एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की पहल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब का कार्यान्वयन वर्ष 2016 से इस स्कीम के प्रारंभ के साथ की करता आया है। इस स्कीम का उद्देश्य अ.जा–अ.ज.जा के उद्यमियों को व्यवसायिक सहायता प्रदान करना है ताकि लोक प्रापण नीति के अनुसार सीपीएसई से 4% प्रापण के अधिदेश को पूरा करना है।

राष्ट्रीय अ.जा./ अ.ज.जा हब के अंतर्गत निम्नवत स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है:

1. विशेष ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (एसएसीएलसीएसएस),
2. कौशल/ उद्यमिता विकास और टूलकिटों के वितरण हेतु क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम,
3. विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएएस),
4. सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ई–कामर्स पोर्टलों (एमएसएमई मार्ट, जेम, ई–खादी, ट्राईफेड, ट्राईब्स इंडिया आदि) को सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति– प्रति वित्तीय वर्ष 80% अथवा अधिकतम 25,000/– रु. (लागू करों को छोड़कर), इनमें से जो भी कम हो,
5. जीएसटी सहित 100 रु. के अग्रिम भुगतान पर एकल बिंदु पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत पंजीकरण,
6. निर्यात संवर्ध परिषदों के सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति (80% अथवा 20,000 रु. (जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर), इनमें से जो भी कम हो),
7. बैंक ऋण प्रक्रिया शुल्क की प्रतिपूर्ति (80% अथवा 1 लाख रु. में से जो भी कम हो),
8. कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) पर बैंक प्रभारों की प्रतिपूर्ति (80% अथवा 1 लाख रु. में से जो भी कम हो),
9. कच्चा माल/ उत्पादों के परीक्षण के लिए परीक्षण प्रभारों की प्रतिपूर्ति (80% अथवा 1 लाख रु. में से जो भी कम हो),
10. शीर्ष 50 एनआईआरएफ रैंकिंग प्राप्त प्रबंध संस्थानों के लघु अवधि पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति (90% अथवा 1 लाख रु. में से जो भी कम हो),

जमीन स्तर पर पहुंच और अ.जा./अ.ज.जा उद्यमियों को इनके संपूर्ण व्यावसाय चक्र में पथ–प्रदर्शन सहायता उपलब्ध कराने के लिए, देश भर में 15 राष्ट्रीय अ.जा–अ.ज.जा हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) शुरू किए गए हैं जो बाज़ार संपर्क, बैंक ऋण सुविधा आदि के लिए पथ–प्रदर्शन सहायता प्रदान कर रहे हैं।

दिनांक 31.12.2021 तक एनएसएसएच के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान की गई कार्रवाई निम्नवत है:

- 495 अ.जा/अ.ज.जा प्रशिक्षुओं को क्षमता विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण।
- 433 अ.जा/अ.ज.जा इकाइयों को एनएसएसएच के एसएमएएस घटक के अंतर्गत 20 घरेलू प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु सुविधाएं।
- विभिन्न सीपीएसई के साथ 56 विशेष वीडीपी का संचालन जिनमें 1946 अ.जा./ अ.ज.जा उद्यमियों ने भागीदारी की।
- 888 अ.जा/अ.ज.जा इकाइयों को 47 ई–निविदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सहायता प्रदान की गई।
- एनएसएसएच पर 69 जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन जिनमें 2369 अ.जा/अ.ज.जा उद्यमियों ने भागीदारी की।

एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए 453 अ.जा/अ.ज.जा एमएसई और 2544 अ.जा–अ.ज.जा. उद्यमियों की "एमएसएमई मार्ट" बी2बी पोर्टल में नामांकन हेतु सहायता की गई।

वित्त वर्ष 2021–22 की शेष अवधि के दौरान अर्थात जनवरी से मार्च, 2022 तक, कोविड–19 संबंधी बाध्यताओं के मद्देनजर विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रमों, जागरुकता अभियानों, ई–निविदा कार्यशालाओं आदि का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा।

3.6 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरी)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सहयोग से जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (जेबीसीआरआई), वर्धा का पुनरुद्धार, अक्टूबर, 2008 में एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्र स्तरीय संस्थान के रूप में किया गया जिसे महात्मा गांधी औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) कहा गया।

3.6.1 उद्देश्य

इसके संस्थापन प्रलेख में यथा वर्णित इस संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. स्थायी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण की गति बढ़ाना ताकि केवीआई क्षेत्र मुख्य धारा के साथ सह–अस्तित्व में रहे।

ii. व्यवसायियों और विशेषज्ञों को ग्राम स्वराज की ओर आकर्षित करना।

iii. परंपरागत कारीगरों को सशक्त बनाना।

iv. प्रायोगिक अध्ययन/ क्षेत्रीय परीक्षणों के जरिए नवप्रवर्तन।

v. स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास।

3.6.2 कार्य

एमगिरी के कार्यकलाप इसके 6 प्रभागों द्वारा पूरे किए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख एक वरिष्ठ वैज्ञानिक/ प्रौद्योगिकीविद है।

i. रसायन उद्योग प्रभाग: इस प्रभाग का मुख्य फोकस, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खाद्यों और ग्रामीण रसायन उद्योगों के अन्य उत्पादों के क्षेत्र में गुणवत्ता बोध और सामंजस्य को बढ़ावा देना है। यह एक व्यापक गुणवत्ता परीक्षण सहायता भी उपलब्ध कराता है और इस क्षेत्र में कुटीर और लघु इकाइयों को सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्र लायक उपकरणों, तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है।

ii. खादी और वस्त्र प्रभाग: इस प्रभाग द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यकला में नई प्रौद्योगिकियां आरंभ करके और गुणवत्ता आश्वासन सहायता उपलब्ध कराकर खादी संस्थाओं में विनिर्मित उत्पादों की उत्पादकता, मूल्य वर्धन और गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों और पद्धतियों के लिए भी कार्य करता है।

iii. जैव प्रसंस्करण और हर्बल प्रभाग: एमगिरी के इस प्रभाग द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जैविक खादों, जैव–उर्वरकों और जैव–कीटनाशकों का उत्पादन और उपयोग सुसाध्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज और सरल गुणवत्ता आश्वासन पद्धतियां तैयार की गई हैं। यह अनुभाग 'पंचगव्य' और उनकी गुणवत्ता आश्वासन की प्रक्रिया तथा सुविधा का प्रयोग करके नए सूत्र विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रहा है।

iv. ग्रामीण ऊर्जा और अवसंरचना प्रभाग: इस प्रभाग को ग्रामीण उद्योगों की सुविधा के लिए ऊर्जा के सामान्यतः उपलब्ध नवीकरणयोग्य संसाधनों का उपयोग करके उपयोगकर्ता अनुकूल और किफायती प्रौद्योगिकियां विकसित

करने का अधिदेश है और यह प्रभाग परंपरागत उद्योगों की लेखा परीक्षा भी करता है ताकि इन्हें ऊर्जा दक्ष बनाया जा सके।

v. **ग्रामीण शिल्प और इंजीनियरिंग प्रभाग:** यह प्रभाग ग्रामीण कारीगरों के कौशलों, सृजनात्मकता और उत्पादकता को उन्नत करने में सहायता करने और उनके उत्पादों का मूल्य वर्धन तथा गुणवत्ता सुधार करके प्रोत्साहित करने के लिए है।

vi. **प्रबंधन एवं पद्धति प्रभाग:** यह प्रभाग ग्रामीण उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की दृष्टि से उनको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित समाधान उपलब्ध कराता है।

3.6.3 संगठन

एमगिरी में एक आम परिषद (जीसी) है, जिसमें अधिकतम 35 सदस्य हैं और जीसी के अध्यक्ष माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, भारत सरकार है और एक कार्यकारी परिषद (ईसी) है जिसमें अधिक से अधिक 15 सदस्य होते हैं और सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, अध्यक्ष होते हैं। इस संस्थान के निदेशक, जीसी तथा ईसी दोनों के सदस्य सचिव हैं।

3.6.4 वर्ष 2021–22 के मुख्य कार्यकलाप और उपलब्धियां

- संस्थान के कर्मचारियों ने वेबीनार और वर्चुअल मोड से वैज्ञानिक समुदाय और खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के बीच अनुसंधान कार्य, प्रौद्योगिकी प्रसार, प्रौद्योगिकी जागरुकता तथा ज्ञान साझा करने की प्रस्तुतियों में 14 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों में भागीदारी की है।
- चार (4) अनुसंधान दस्तावेज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित/प्रकाशन के लिए स्वीकार किए गए हैं।
- एमगिरी ने देश भर के विभिन्न आकांक्षी और मौजूदा उद्यमियों, एनजीओ प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय एजेंसियों, कारीगरों, छात्रों, किसानों और स्व–सहायता समूहों आदि के उद्यमिता विकास में 161 प्रशिक्षुओं को 18 सत्रों में और 77 प्रशिक्षुओं को 12 सत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया है ताकि उद्यम विकास और कौशल उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी, उत्पाद, प्रक्रिया और डिज़ाइन आदि का प्रसार किया जा सके।

वस्त्र विनिर्माण पर प्रशिक्षण

सैनिटाईज़र विनिर्माण पर प्रशिक्षण

- एमगिरी ने भारतीय मानकों के अनुसार उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और इसे बनाए रखने के लिए 34 विभिन्न उत्पाद सैंपलों के लिए खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों, उद्यमियों, छात्रों, किसानों आदि जैसी 34 एजेंसियों को गुणवत्ता प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया है।

- वर्ष 2021– 2022 की अवधि के दौरान, एमगिरी ने बहुत सी तकनीकों को अपनाया है जिनमें मूंगफली निकालने वाली मशीन, पोर्टेबल ऑरेंज ग्रेडर, सिंगल स्पिंडल वूल चरखा, हल्दी वॉशर, जिग्गर जॉली सह पॉटर चक्र, वैक्स थ्रेड उत्सारि मशीन, प्लांटरों की भिन्न रेंज की डिजायनिंग, फैशन आभूषण और विभिन्न सजावटी तकनीकों के उपयोग से टेराकोटा बटन और स्टोनवेयर मीडिया, पाचक पाउडर, सत्तू और स्वास्थयकर पेय जैसे बेर आधाररित खाद्य उत्पादन, गुण युक्त मोरिंगा पत्तियां, खजूर आधारित रोग प्रतिरोध क्षमता वर्धक, एल्कोहल रहित हैंड सेनिटाइज़र और उच्च गुणवत्ता का धुलाई साबुन शामिल हैं।

- ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के लिए मशीनों/उत्पादों/प्रक्रियाओं के विकासों में हल्का फाइबर चरखा, एमगिरी मॉडिफाइड एनएम चरखा, हल्दी पॉलिशर, सौर भाप कूलर, लीव्स साइक्लोन ड्रायर, कॉटन गिनिंग मशीन (डाउन साइज़), गैंग टर्न बुड लैथी, पैडल चलित ब्लंगर और हाइब्रिड मॉडल ब्लंगर, धोरखा कांस्य धातु क्राफ्ट हेतु बफिंग मशीन (एकल चरण एसी मोटर चलित), खादी परिधान की रंगाई हेतु प्रक्रिया को बेहतर बनाना, सोया आधारित मल्टीग्रेन मिल्क, तोफू और संबंधित उत्पाद, पंचगव्य आधारित विविध औषाधियुक्त रोग प्रतिरोध क्षमता वर्धक, पर्यावरण हर्बल फेसवॉश, पॉटरी अपशिष्ट के उपयोग और निपटान हेतु प्रक्रिया विकास, बायोडीज़ल से ग्लिसरिन शुद्धिकरण, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि हेतु जैविक सूक्ष्म–पोषकों का विकास और फलों और सब्जियों के लिए फोम मैट ड्राइंग प्रौद्योगिकी का कार्य प्रगति पर है।

- क्षेत्रीय प्रयोग और परीक्षण हेतु केवीआईसी 6 क्षेत्रों में विभिन्न खादी संस्थानों में दो नवीन विकसित मशीनें नामतः एमगिरी मॉडिफाइड एनएम चरखा और कम लागत हैंक डाइंग मशीन स्थापित की गइ है।

- एमगिरी ''आज़ादी का अमृत महोत्सव'' मना रहा है और इस अवसर पर अन्य कार्यक्रमों के साथ सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र में उद्यम और रोज़गार सृजन हेतु एमगिरी द्वारा विकसित उत्पादों, प्रक्रियाओं, मशीनों आदि के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए देश भर के 20 आकांक्षी जिलों में भावी उम्मीवारों के बीच प्रौद्योगिकी जागरुकता कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया है।

- एस एंड टी केवीआईसी और संतरविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड भोपाल से प्राप्त 8 बाह्य परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

- ग्रामीण उद्यमिता संवर्धन/ ग्रामोद्योगों के विकास, कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए एमगिरी रेडियो 90.4 एफएम (सामुदायिक रेडियो) के माध्यम से बहुत से जागरुकता कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया है जैसे कि लघु स्तर के व्यवसायों की स्थापना की सफलता की कहानियां, प्रेरणा हेतु महिलाओं और स्व–सहायता समूहों के नवप्रर्वतनयुक्त कार्य, ग्रामीणों के लिए उपयोगी सरकारी स्कीमें, बीमारियों और इलाज के बारे में सूचनाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सकों के साक्षात्कार, खेती से अतिरिक्त आय प्राप्त करने वाले सफल किसानों के साक्षात्कार, कोविड जागरुकता कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात आदि। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त एमगिरी रेडियों 90.4 एफएम अनजाने स्वतंत्रता सैनानियों द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष जो लोगों को पता

नहीं है उनको प्रदर्शित करने हेतु स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों के साक्षात्कारों का आयोजन करके भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह भी मना रहा है।

- एमगिरी ने अपने परिसर में कोरोना और स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित सुरक्षा उपायों के मद्देनज़र स्वच्छता कायम रखने सहित सैनिटाईज़र, फेस मॉस्कों के उपयोग, शारीरिक तापमान की जांच तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के उपाय किए हैं।

3.6.5 एमगिरी को बजटीय सहायता

***31.12021 तक जारी निधियां (रु. करोड़ में)**

वर्ष	बजट आबंटन (संशोधित अनुमान)	ज़ारी निधियां
2017-18	10.00	7.80
2018-19	10.00	8.89
2019-20	10.00	10.00
2020-21	11.00	6.18
2021-22	10.41	2.12*

**31.12.2021 तक जारी की गई निधियां*

3.7 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, (निम्समे) मूल रूप से तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन 1960 में नई दिल्ली में केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (सीआईईटीआई) के रूप में स्थापित किया गया था। यह संस्थान, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईटी) के नाम से एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1962 में हैदराबाद में स्थानांतरित किया गया था। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधिनियम के पश्चात, संस्थान ने अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित और अपनी संगठन संरचना को पुनः नामित किया। नये अधिनियम के अनुरूप, इस संस्थान को राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) के रूप में नया नाम दिया गया। वर्तमान में यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्व में एसएसआई एवं एआरआई मंत्रालय), भारत सरकार के तत्वावधान में एक संगठन है।

3.7.1 उद्देश्यः

- निम्समे का प्राथमिक उद्देश्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षक तैयार करना है। आज, प्रौद्योगिकीय विकास और सदैव बदलते बाजार परिदृश्य के साथ इस संगठन की भागीदारी में भी परिवर्तन हुआ है। केवल प्रशिक्षक होने से निम्समे ने अपने कार्याकलापों का दायरा बढ़ाकर परामर्श, अनुसंधान, विस्तार और सूचना सेवाओं का विस्तार किया है।
- वर्तमान के प्रौद्योगिकीय विकास और परिवर्तनशील बाज़ार परिदृश्य में, इस संगठन के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव आए हैं। निम्समें ने केवल प्रशिक्षक भर बने रहने के स्थान पर परामर्श, अनुसंधान, विस्तार और सूचना सेवाओं तक अपने कार्यक्षेत्र को विस्तृत कर लिया है।
- निम्समे का दीर्घकालीन मिशन निम्नलिखित को आगे बढ़ाना बनाना हैः
    - सूचना प्रौद्योगिकी में नये आयाम में प्रशिक्षण।
    - सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि के जरिए विषयगत मुद्दों को प्रमुखता से दर्शाना।
    - आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना।
    - ग्राहक संचालित दृष्टिकोण और नवप्रवर्तनकारी हस्तक्षेपों की ओर जाना।
    - कार्यक्रम मूल्यांकन।
    - अनुसंधान प्रकाशनों पर जोर देना।

3.7.2 कार्य

- निम्समे के कार्यों का केंद्रीय बिंदु उद्यम संवर्धन और उद्यमिता विकास होने की वजह से इस संस्थान की कवरेज निम्नलिखित पहलुओं की ओर अभिमुख हैः–
- उद्यम सृजन के लिए समर्थवान बनाना;
- उद्यमिता विकास और स्थायित्व के लिए क्षमता निर्माण;

- उद्यम जानकारी का सृजन, विकास और प्रसार;
- नीति निर्माण के लिए नैदानिक और विकास अध्ययन; और
- उद्यम सृजन के जरिए वंचितों को सशक्त बनाना।

3.7.3 संगठन

- भारत सरकार द्वारा गठित शासी परिषद के माध्यम से संस्थान के शीर्ष निकाय का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, भारत सरकार निम्समे की शासी परिषद और समिति के अध्यक्ष हैं। सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार समिति के उपाध्यक्ष और शासी परिषद के उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। नैमी कार्य और गतिविधियों को संस्थान के महानिदेशक द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- इस संस्थान के कार्यकलाप को उत्कृष्टता के चार विद्यालयों (उद्यम विकास; उद्यम प्रबंधन; उद्यमिता और विस्तार तथा उद्यम सूचना एवं संचार) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक विद्यालय में विषय संबंधी केंद्रित प्रकोष्ठ है। अकादमिक परिषद न्यूक्लियस समन्वय निकाय है जो प्रसंगाधीन मूल्यांकन और मूल्यांकन समाधान के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराके मात्रात्मक और गुणात्मक मानक के साथ अकादमिक कार्यकलाप और कार्यक्रम तैयार करता है।

3.7.4 प्रमुख कार्यकलाप और उपलब्धियां

➢ **नई पहलें**

- आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- हरित ऊर्जा पर राष्ट्रीय सम्मेलनः भविष्य के लिए एमएसएमई का सुदृढ़ीकरण

➢ वर्ष 2021–22 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान, संस्थान द्वारा संचालित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन नीचे सारणी में दिया गया है:

वर्ष 2021–22 के दौरान निम्समे का कार्यनिष्पादन (31.12.2021 तक)

क्र. सं.	कार्यक्रम	2021–22 (31.12.2021 तक)		2021–22 तक अनुमानित (जनवरी से मार्च 2022 तक)	
		कार्यक्रम	प्रशिक्षु	कार्यक्रम	प्रशिक्षु
(क)	**एटीआई स्कीम के अंतर्गत ईएसडीपी**	74	2220	-	-
(ख)	**गैर–एटीआई**				
1	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	2	23	-	-
2	राष्ट्रीय प्रायोजित कार्यक्रम	28	884	35	825
3	राष्ट्रीय घोषित कार्यक्रम	23	240	25	400

4	राष्ट्रीय सहयोगी कार्यक्रम	6	192	5	100
5	वेबीनार	41	2342	20	400
6	सेमिनार और कार्यशालाएं	5	98	2	100
	उप योग कुल (ख) गैर–एटीआई	**105**	**3779**	**87**	**1825**
	कुल योग (क+ख)	**179**	**5999**	**87**	**1825**

3.7.5 एटीआई स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों का स्व–रोज़गार और वेतन रोज़गार

वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक, संचालित किए गए कार्यक्रम, प्रशिक्षण प्राप्त भागीदार और स्वरोज़गार प्राप्त अथवा वेतन रोज़गार प्राप्त प्रशिक्षुओं की संख्या निम्नवत है:–

वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक स्वरोज़गार प्राप्त/ वेतन रोज़गार प्रशिक्षुओं का प्रतिशत

वर्ष	कार्यक्रम (अंकों में)	प्रशिक्षु (अंकों में)	उपलब्धि (सफलता दर)				
			वेतन रोजगार		स्वरोजगार		समग्र
			स.	%	स.	%	
2017-18	87	2610	328	12.56	498	19.08	31.64
2018-19	25	750	54	7.00	53	7.00	14.00
2019-20	53	1590	40	6.36	24	3.81	10.17
2020-21	77	2310	22	5.08	12	2.77	7.85

3.7.6 निम्समे ने विभिन्न विषयों पर प्रकाशन भी शुरू किए हैं। प्रकाशन का ब्यौरा निम्नवत है:–

क्र.सं.	प्रकाशन का नाम	लेखक	प्रकाशन वर्ष	भाषा	प्रायोजक
1	भारत के वित्तीय संस्थानों द्वारा एमएसएमई पर डिपस्टिक अध्ययन –प्रभाव और अंतर विश्लेषण	निम्समे	अगस्त 2021	अंग्रेजी	एमएसएमइ मंत्रालय
2	चयनित विकासशील राष्ट्रों में कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रति सरकार की नीतिगत पहलें	निम्समे	जुलाई 2021	अंग्रेजी	एएआरडीओ
3	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति हब कार्यक्रम पर अनुसंधान रिपोर्ट	निम्समे	जुलाई 2021	अंग्रेजी	एनएसएसएच
4	लघु उद्योग विकास, प्रबंधन और विस्तार जर्नल (एसइडीएमइ)	निम्समे	मार्च जून सितंबर दिसंबर 2021	अंग्रेजी	निम्समे
5	निम्समे समाचार बुलेटिन	निम्समे	मासिक	अंग्रेजी और हिंदी	निम्समे

4
अध्याय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों की प्रमुख स्कीमें

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों की प्रमुख स्कीमें

4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय लक्षित कई स्कीम संचालित करता है:

(क) ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना,

(ख) कौशल विकास प्रशिक्षण,

(ग) अवसंरचना विकास

(घ) विपणन सहायता,

(ङ) प्रौद्योगिकीय और गुणवत्ता उन्नयन एवं ,

(च) देश भर में एमएसएमई के लिए अन्य सेवाएं

सभी मुख्य स्कीमों का संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया गया है:

क. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण एवं वित्तीय सहायता

I.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
विवरण	केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित पूर्ववर्ती ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और जिला उद्योग केंद्रों द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के विलय के द्वारा, वर्ष 2008–09 (सितंबर, 2008) के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का शुभारंभ किया गया था। इस स्कीम का उद्देश्य नए स्व रोजगार के उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसका दूसरा उद्देश्य देश के पारंपरिक तथा भावी कारीगरों और ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े भाग को सतत और निरंतर रोजगार प्रदान करना है ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोका जा सके। इसका तीसरा उद्देश्य कारीगरों की मजदूरी अर्जन क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार के वृद्धि दर को बढ़ाने में योगदान देना है। यह स्कीम राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) कयर बोर्ड (कयर इकाइयों) तथा बैंकों के माध्यम से किया जाता है। *विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख रुपये है।*

<table>
<tr><td>अभिप्रेत लाभार्थी</td><td>पीएमईजीपी के अंतर्गत स्वीकृति के लिए केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक की उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। स्वयं सहायता समूह (गरीबी रेखा के नीचे मौजूद लोगों सहित बशर्ते उन्होंने किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत लाभ हासिल न किया हो), सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन सहकारी सोसाइटीज और चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसके लिए पात्र हैं।

वर्ष 2008–09 में इसके आरंभ से और 31.12.2021 तक, अनुमानित 60 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हुए 17,803 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी से लगभग 7.38 लाख सूक्ष्म उद्यमों की सहायता की गई है। पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित कुल इकाइयों में से, 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में हैं और 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में हैं। 50 प्रतिशत से अधिक इकाइयां महिलाओं, एससी और एसटी से संबंधित हैं। लगभग 14 प्रतिशत इकाइयां आकांक्षी जिलों में स्थापित की गई है।</td></tr>
<tr><td>श्रेणी–वार स्वंय योगदान और सब्सिडी दर</td><td>
<table>
<tr><th>पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी</th><th>लाभार्थी का स्वंय योगदान</th><th colspan="2">सब्सिडी दर (परियोजना लागत पर)</th></tr>
<tr><th>क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान)</th><th>(परियोजना लागत पर)</th><th>शहरी</th><th>ग्रामीण</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td>सामान्य श्रेणी</td><td>10%</td><td>15%</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>विशेष श्रेणी
एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/ महिलाएं/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगों/पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि)</td><td>05%</td><td>25%</td><td>35%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>हाल की उपलब्धियां</td><td>स्कीम प्रक्रिया को स्कोर कार्ड मॉडल पर आवेदनों के चयन, चयन को तेज करने और पीएमईजीपी के अंतर्गत इकाइयों की स्थापना में जिला स्तरीय कार्यबल समिति (डीएलटीएफसी) की भूमिका को समाप्त करके सरल किया गया है।

पीएमईजीपी लाभार्थियों को मार्गदर्शन और पथप्रदर्शन प्रदान करने के लिए सभी राज्यों में विपणन और तकनीकी विशेषज्ञ लगाने के लिए प्रावधान बनाया गया हैं।

1 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच के लिए जागरुकता अभियान विभिन्न तकनीकी संस्थानों/कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों आदि के लिए आउटरीच शुरू करना।

गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, निर्यात, प्रमाणिकरण आदि पर उन्नत प्रशिक्षण।

क्षेत्रीय भाषाओं में व्यापक प्रचार।

युवा और भावी उद्यमियों की जागरुकता के लिए प्रत्येक रविवार को पोर्टल के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए विभिन्न गतिविधियों पर साप्ताहिक वेबीनार।

अब तक 3 लाख से अधिक लोगों ने स्कीम का ज्ञान प्राप्त किया है।

www.geotag.kvic.gov.in नामक एक जियो–टैगिंग पोर्टल डिजाइन किया गया है। PMEGP के अंतर्गत स्थापित सभी सूक्ष्म–उद्यमों की इकाइयों की निगरानी और सरल स्थान सुविधा प्रदान करते हुए जियो–मैप किया जाएगा।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन</td><td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>संवितरित मार्जिन मनी (करोड़ रुपये में)</th><th>सहायता प्राप्त सूक्ष्म इकाइयां (संख्या)</th><th>सृजित अनुमानित रोजगार (संख्या)</th></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>2070.00</td><td>73,427</td><td>5,87,416</td></tr>
<tr><td>2019-20</td><td>1950.82</td><td>66,653</td><td>5,33,224</td></tr>
<tr><td>2020-21</td><td>2188.80</td><td>74,415</td><td>5,95,320</td></tr>
<tr><td>2021-22*</td><td>1633.48</td><td>52,994</td><td>4,23,952</td></tr>
</table>
*31.12.2021

विगत तीन वर्षों के दौरान, वर्षों से मार्जिन मनी सब्सिडी का संवितरण बढ़ रहा था। तथापि, वर्ष 2019–20 के दौरान कोविड–19 महामारी और परिणामस्वरूप लॉकडाउन के कारण संवितरण प्रभावित हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में, पीएमईजीपी ने 2,188 करोड़ रु. की सब्सिडी के वितरण के माध्यम से नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में 74,415 प्रार्थियों को सहायता और अनुमानित 5.7 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों को सृजित करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बैंकों ने लगभग 1 लाख आवेदनों को स्वीकृत किया है, जोकि पिछले वर्ष के 50 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष भर में कोविड चुनौतियों के बावजूद 2008–09 में इसकी शुरुआत से यह पीएमईजीपी का श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन रहा है।</td></tr>
<tr><td>कार्यान्वयन</td><td>एआरआई अनुभाग</td></tr>
<tr><td>वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान आबंटित निधियां</td><td>2500.00 करोड़ रू. (संशोधित अनुमान)</td></tr>
<tr><td>किया गया व्यय (31.12.2021 तक)</td><td>1785.00 करोड़ रू.</td></tr>
<tr><td colspan="2">II. एमएसई के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि (सीजीटीएमएसई)–एमएसएमई के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण का प्रावधान</td></tr>
<tr><td>विवरण</td><td>बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी सहित) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने के लिए गारंटी दी जाती हैं। इस स्कीम में प्रति उधारी इकाई 200 लाख रु. तक नये एवं विद्यमान सूक्ष्म और लघु उद्यमों को पात्र उधारदाता संस्थाओं द्वारा दी गई संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा (मियादी ऋण और/या कार्यशील पूँजी) में कवर होती है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए गारंटी कवर ऋण की मात्रा और लाभार्थी प्रकार के आधार पर 50% से 85% तक परिवर्तित होती है। न्यूनतम गारंटी शुल्क 1% प्रति वर्ष होने के साथ, बकाया ऋण राशि पर स्वीकृत ऋण सुविधा (खुदरा व्यापार के लिए 2%) की प्रतिवर्ष 1.80% तक की वार्षिक गारंटी शुल्क लिया जाता है।

स्थिति: 31 दिसम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार 2.90 लाख करोड़ रु. के गारंटी कवर के लिए संचयी 56.03 लाख प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।</td></tr>
</table>

स्कीम के प्रभाव	इस स्कीम ने विगत 21 वर्षों में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर किया है। लाभार्थियों ने सीजीटीएमएसई वित्त पोषण के आगामी अनुमोदन वर्षों में अपने कारोबार तथा रोजगार सृजन की वृद्धि का अनुभव किया। सीजीटीएमएसई वित्तपोषण ने एमएसई क्षेत्र – प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल उन्नयन, बाजार विकास, स्कीम की निरंतरता, आर्थिक प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव में छह मुख्य क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह स्कीम पूर्वोत्तर में विशेष ध्यान देने से देश भर में भौगोलिक दृष्टि से स्वयं को फैलाने में सफल रही है। स्कीम के लाभ 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों तक भी पहुँच गए हैं जिनमें एमएसई परिचालित हो रहे हैं। लाभार्थी केवल प्रमुख औद्योगिक हबों तक सीमित नहीं हैं परन्तु टियर 3 नगरों में भी फैले हुए हैं। सीजीटीएमएसई दावे निपटाने में बड़ी प्रभावी रही है जिनमें पहली किस्त के अधिकांश मामलें एक महीने के भीतर निपटाए गए। अद्यतन परिपत्रों के साथ–साथ स्कीमों का ब्योरा सीजीटीएमएसई की वेबसाइट www.cgtmse.in पर उपलब्ध है।
अभिप्रेत लाभार्थी	यह स्कीम नये एवं विद्यमान एमएसई पर लागू है।
आबंटित निधियां (2021–22)	शून्य जैसा कि 7500 करोड़ रु. का अनुमोदित संग्रह पहले ही प्राप्त किया जा चुका है।
किया गया व्यय (31.12.2021 तक)	7500 करोड़ रु. का संग्रह पहले ही प्राप्त किया जा चुका है।

ख. कौशल विकास और प्रशिक्षण स्कीम

II. नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)	
विवरण	**इस स्कीम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:** (i) नए रोजगार का सृजन और बेरोजगारी कम करना, (ii) भारत में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना, (iii) अधूरी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नवप्रवर्तन व्यवसाय समाधान के लिए सुविधा, और (iv) एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त करने के लिए नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना। **स्कीम के घटक हैं** (i) विभिन्न सरकारी/निजी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का एक डाटाबेस बनाना और बेहतरीन पद्धतियों तथा अनुभवों को साझा करने के लिए **प्रौद्योगिकी केंद्रों का एक नेटवर्क** स्थापित करना। (ii) इंक्यूबेट्स की मेंटरिंग और पथप्रदर्शन के लिए जरूरी अपेक्षित कुशल **मानव संसाधन** विकसित करना।

(iii) एनएसआईसी, केवीआईसी, कयर बोर्ड, कोई अन्य संस्थान/भारत सरकार एजेंसी/राज्य सरकार अथवा किसी योग्य निजी संस्थान के माध्यम से इंक्यूबेटीज को कौशल प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन सहायता प्रदान करने के लिए **आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटरों (एलबीआई)** की स्थापना।

(iv) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों अथवा संस्थाओं पात्र निजी संस्थाओं के अंतर्गत वर्तमान में **संचालित इंक्यूबेटरों (टीबीआई)** की स्थापना करना।

(v) तकनीकी/अनुसंधान संस्थानों, भारत सरकार के मंत्रालयों और प्राइवेट इंक्यूबेटर के माध्यम से **बिजनेस आइडियाज प्रोग्राम का इंक्यूबेशन (टीबीआई) और वाणिज्यीकरण।**

(vi) उन्नयन के लिए **बिजनेस एक्सीलरेटर** प्रोग्राम।

(vii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ **निधियों के कोष** को सृजित करने द्वारा **स्टार्ट–अप प्रोत्साहन** के लिए एक ढांचे की स्थापना करना, जिससे प्रारंभिक चरणों के उद्यमों और कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्ट–अप को वाणिज्यिक उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए वित्त पोषण सहायता प्रदान की जा सके।

एलबीआई के उद्देश्य हैं:

(क) बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करना ताकि पात्र युवाओं को विभिन्न कौशलों में पर्याप्त रूप से इंक्यूबेट किया जा सके और उन्हें अपना व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने का अवसर दिया जा सके।

(ख) युवाओं को उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ग) अपने व्यवसाय उद्यम स्थापित करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से वित्त पोषण के साथ मेंटरिंग और पथप्रदर्शन प्रदान करना।

(घ) नए निचले स्तर के प्रौद्योगिकी/आजीविका आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना।

टीबीआई के उद्देश्य हैं

(क) नवप्रवर्तन और प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन के माध्यम से विकास का संवर्धन करना,

(ख) लघु व्यवसाय विकास के लिए आर्थिक विकास रणनीतियों का समर्थन करना,

(ग) स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करना जबकि प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए भी तंत्र प्रदान कर रही है।।

	स्कीम में निम्नलिखित कार्यकलाप कवर किए जाते हैं: **क. आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर** एनएसआईसी, केवीआईसी, कयर बोर्ड या कोई अन्य संस्था या भारत/राज्य सरकार की अन्य संस्था या एजेंसी द्वारा आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर मात्र संयंत्र एवं मशीनरी के लिए एलबीआई स्थापित करना (एनएसआईसी) तथा अन्य के लिए 100 लाख रु. तथा पीपीपी के अंतर्गत पात्र एजेंसियों के लिए 50 लाख रु.) **ख. प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर** • मौजूदा इंक्यूबेटर के लिए सहायता (संयंत्र और मशीनरी के लिए 30 लाख रुपये) • नए इंक्यूबेटर की स्थापना (संयंत्र और मशीनरी के लिए 100 लाख रुपये) **स्थिति:** **31.12.2021 तक 102 एलबीआई और 22 टीबीआई को अनुमोदित किया गया, जिसमें 54 एलबीआई और 9 टीबीआई पहले से ही कार्यात्मक हैं।** • एलबीआई में 50,572 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें 14428 व्यक्तियों के पास स्व–रोजगार हैं और 8236 व्यक्तियों को अन्य इकाइयों में नियोजित किया गया है। • वर्ष 2021–22 में 5 एलबीआई अनुमोदन के लिए प्रस्तावित हैं।
अभिप्रेत लाभार्थी	मौजूदा इंक्यूबेशन केंद्र वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों और भारत सरकार/राज्य सरकारों के राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर के संस्थानों सहित के अंतर्गत कार्यरत हैं।
आबंटित निधियां (2021–22)	15.00 करोड़ रु.
किया गया व्यय 2021–22 (दिनांक 31–12–21 तक)	4.31 करोड़ रु.
II. उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	
विवरण	उद्यमिता विकास उद्यमियों के कौशल और ज्ञान को सुधारने की प्रक्रिया है जिसमें इससे संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय अवसरों को विकसित, प्रबंध और आयोजित करने की क्षमता को बढ़ाना है। एमएसएमई विकास आयुक्त कार्यालय ने ''एमएसएमई विकास'' क्षेत्र के अंतर्गत ''उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)'' का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों का नेतृत्व करने वाले युवा व्यक्तियों (पुरूष और महिलाओं) को प्रोत्साहित करना है। अंतिम लक्ष्य नए उद्यमों का संवर्धन, मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण और देश में उद्यमिता संस्कृति को समझना है। यह स्कीम (ईएसडीपी) पूरे देश में में कार्यान्वित की गई है।

<table>
<tr><td></td><td>स्कीम की गतिविधियां: ईएसडीपी स्कीम के अंतर्गत गतिविधियों/कार्यक्रम में निम्नलिखित मॉड्यूल शामिल हैं:
1. एक दिवसीय उद्यमिता जागरुकता कार्यक्रम (ईएपी)
2. छः सप्ताह का उद्यमिता–सह–कौशल विकास कार्यक्रम (ई–एसडीपी)
3. एक सप्ताह विकसित ई–एसडीपी (15वें वित्तीय चक्र के दौरान नया घटक जोड़ा गया है)
4. एक सप्ताह की अवधि का प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) और
5. विकसित एमडीपी (15वें वित्तीय चक्र के दौरान नया घटक जोड़ा गया है)
दिनांक 11.11.2021 को नए ईएसडीपी के एसएफसी को अनुमोदित किया गया है और संबंधित दिशा–निर्देश प्रक्रियाधीन हैं। ईएसडीपी स्कीम के बेहतर आउटरीच के लिए, स्कीम की गतिविधियों/कार्यक्रमों को एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रा कार्यालयों और केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/एजेंसियों के माध्यम से भी आयोजित किए जाते हैं।</td></tr>
<tr><td>कार्यक्रम/लाभार्थी वित्तीय वर्ष (2021–22) (31.12.2021 तक)</td><td><table><tr><th>ईएसडीपी के अंतर्गत पूरे किए गए कार्यक्रमों की संख्या</th><th>ईएसडीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या</th></tr><tr><td>315</td><td>15599</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>आबंटित निधियां (2021–22)</td><td>बजट अनुमान –10.00 करोड़ रु.
संशोधित अनुमान –10.00 करोड़ रु.</td></tr>
<tr><td>किया गया व्यय (31.12.2021 तक)</td><td>1.83 करोड़ रु.</td></tr>
</table>

ग. अवसंरचना विकास स्कीम –सहायता क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से सहायता

<table>
<tr><th colspan="2">I. परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की स्कीम (स्फूर्ति)</th></tr>
<tr><td>विवरण</td><td>इस स्कीम का उद्देश्य परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित करना है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उन्हें दीर्घकालीन बनाए रखने, सतत् रोजगार, ऐसे क्लस्टरों के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने, संबंधित क्लस्टरों के पारंपरिक कारीगरों को बेहतर कौशल से लैस करने, कारीगरों के लिए सामान्य सुविधाओं और बेहतर टूल्स तथा इक्विपमेंट का प्रावधान करने, स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्लस्टर शासन व्यवस्था को मजबूत करना और इनोवेटिव उत्पादों, बेहतर प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रक्रियाओं, बाजार आसूचना तथा सार्वजनिक–निजी भागीदारी के नए मॉडल बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है।</td></tr>
</table>

इस स्कीम में तीन प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हैं:

i. **सॉफ्ट इंटरवेंशन**– सामान्य जागरूकता बनाने, परामर्श, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए कार्यकलाप, एक्सपोजर दौरे, बाजार विकास पहलें, डिजाइन और उत्पाद विकास, आदि।

ii. **हार्ड इंटरवेंशन**–सामान्य सुविधा केंद्रों, कच्चे माल के भंडारों, उत्पादन अवसंरचना का उन्नयन, भंडारण सुविधा, टूल्स और प्रौद्योगिकी उन्नयन, आदि।

iii. **थिमेटिक इंटरवेंशन**–ब्रांड निर्माण, नई मीडिया मार्केटिंग, ई–कॉमर्स पहलें, अनुसंधान व विकास, आदि के लिए एक क्रॉस कटिंग बेसिस पर हस्तक्षेप।

किसी भी विशेष परियोजना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता सॉफ्ट, हार्ड और थिमैटिक इंटरवेंशन में सहायता करने के लिए अधिकतम 5 (पांच) करोड़ रुपये तक होगी।

क्लस्टरों का प्रकार	प्रति क्लस्टर बजट सीमा
नियमित क्लस्टर (500 कारीगर)	2.50 करोड़ रुपये
प्रमुख क्लस्टर (500 कारीगरों से अधिक)	5.00 करोड़ रुपये

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक सर्वोच्च समन्वय तथा निगरानी निकाय रूप में स्कीम स्टीरिंग समिति का गठन किया है। केवीआईसी, कयर बोर्ड, निम्समे (हैदराबाद),आईईडी (उड़ीसा), आईआईई (गुवाहाटी), आईएमईडीएफ (नई दिल्ली), जम्मू और कश्मीर केवीआईबी और निसबड (नोएडा) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां हैं। इसके अतिरिक्त, स्कीम की पहुँच को बढ़ाने के लिए फाउंडेशन फॉर एमएसएमई क्लस्टर (एफएमसी), नई दिल्ली, हस्तशिल्प विकास निगम परिषद (कोहैंड्स), नई दिल्ली और विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के अंतर्गत 18 टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्रों को वर्ष 2019–20 के दौरान स्कीम के तहत नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है। वर्ष 2020–21 में ट्राइफेड, उत्तर प्रदेश केवीआईबी, ईपीसीएच को भी नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

- वर्ष 2021–22 के दौरान नोडल एजेंसी के रूप में शामिल करने के लिए पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम (एनईएचएचडीसी) और निसार्ग कृषि उद्यमिता संस्था नामक दो और नोडल एजेंसियों को अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत 100 से अधिक तकनीकी एजेंसियों (टीए) और 400 से अधिक कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को शामिल किया गया है। प्रत्येक कलस्टर के पास नोडल एजेंसी, तकनीकी एजेंसी और कार्यान्वयन एजेंसी हैं।

स्थिति: परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) अंतर्गत, वर्ष 2015 से 30 नवम्बर, 2021 तक, 1106 करोड़ रु. के भारत सरकार के अनुदान के साथ 434 क्लस्टरों को अनुमोदित किया गया है जो लगभग 2.50 लाख कारीगरों को लाभान्वित करेंगे। इन क्लस्टरों में से 77 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुमोदित किया गया है। 434 क्लस्टरों में से 176 क्लस्टर क्रियात्मक है, जिसमें से 96 वर्ष 2020–21 में क्रियात्मक हो गए हैं।

	• जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक की अवधि के दौरान 103 स्फूर्ति क्लस्टरों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय ने सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना, मशीनरी की खरीद, विपणन पहलों, जागरूकता कार्यक्रमों इत्यादि जैसे सॉफ्ट इंटरवेंशन गतिविधियों का संचालन करने के लिए डीपीआर में निर्धारित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2021–22 के दौरान (31.12.2021 तक) 154.81 करोड़ रु. की राशि जारी की है।
अभिप्रेत लाभार्थी	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थानों और अर्ध–सरकारी संस्थानों, राज्य और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), क्लस्टर विशिष्ट एसपीवी गठित करते हुए निजी क्षेत्र, क्लस्टर विकास करने में विशेषज्ञता वाले कारपोरेट और कारपोरेट रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फाउंडेशन
आबंटित निधियां (2021–22)	170.00 करोड़ रु.
किया गया व्यय (2021–22) (31.12.2021 तक)	154.81 करोड़ रु.
II. सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी)	
उद्देश्य–	i. सामान्य मुद्दो के समाधान के माध्यम से एमएसएमई की सतत् सहायता। ii. सामान्य सहायतार्थ कार्य के लिए एमएसएमई का क्षमता निर्माण iii. औद्योगिक एस्टेट क्लस्टरों में अवसंरचना सुविधाओं का सृजन/उन्नयन। iv. सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना। v. उन्नत और सतत् विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का संवर्धन **सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)** : सामान्य उत्पादन/प्रसंस्करण केन्द्र/ उत्पाद क्षेत्र में (संतुलन/ सुधार/संशोधन के लिए जिन्हें व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता है। डिजाइन केन्द्रों, परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों, प्रवाहयुक्त उपचार संयंत्र, विपणन प्रदर्शन/बिक्री केन्द्र, सामान्य लॉजिस्टिक्स केन्द्र, सामान्य कच्चा माल बैंक/बिक्री डिपो इत्यादि जैसे सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) के रूप में वास्तविक ''संपत्तियों'' का सृजन करना। भारत सरकार का अनुदान अधिकतम 20.00 करोड़ रू. की परियोजना लागत का 70 प्रतिशत तक प्रतिबंधित होगा। भारत सरकार का अनुदान पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों, द्वीप प्रदेशों, आकांक्षी जिलो/एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों, (क) सूक्ष्म/गांवों (ख) महिला स्वामित्व (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों के 50 प्रतिशत से अधिक क्लस्टरों सहित में सीएफसी हेतु 90 प्रतिशत होगा। परियोजना लागत में भूमि की लागत (परियोजना) लागत की अधिकतम 25 प्रतिशत के अध्याधीन), निर्माण पूर्ववर्ती खर्चों, प्रारंभिक खर्चों, मशीनरी एवं उपकरण, विविध निर्धारित संपत्तियों, अवसंरचना सहायता जैसे जल आपूर्ति, बिजली और कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी शामिल है।

II. अवसंरचना विकासः नए/मौजूदा औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों में एमएसई के लिए प्रौद्योगिकीय बैकअप सेवाओं और सामान्य सेवा सुविधाओं, कच्चा माल, भण्डारण और विपणन आउटलेटों, बैंकों, सड़कों, जल निकासी और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं, दूरसंचार, जल, विद्युत वितरण नेटवर्क जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए परियोजना शामिल है। भारत सरकार की अनुदान (फ्लैटिड फैक्ट्री परिसर के लिए 15.00 करोड़ रू. एवं औद्योगिक संपदा के लिए 10.00 करोड़ रू.) परियोजना लागत का 60 प्रतिशत तक प्रतिबंधित होगा। भारत सरकार का पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों, द्वीप प्रदेशों, भावी जिलो/एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों औद्योगिक क्षेत्रों/संपदाओं (क) सूक्ष्म/गांवों (ख) महिला स्वामित्व, (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों/फ्लैटिड फैक्ट्री परिसरों सहित 50 प्रतिशत से अधिक में परियोजना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान होगा।

III. संघों द्वारा विपणन हब/ प्रदर्शनी केन्द्रः सूक्ष्म और लघु उद्यमों के उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन हेतु केन्द्रीय स्थानों पर विपणन हब्स/प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित करने के लिए संघों को भारत सरकार की सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार का अनुदान महिला उद्यमियों के संघों हेतु 80 प्रतिशत और एनएबीईटी (क्यूसीआई) से अधिक तथा स्वर्ण श्रेणी की बीएमओ रेटिंग सहित उत्पाद विशिष्ट संघों के लिए अधिकतम 10.00 करोड़ रू. की परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक प्रतिबंधित होगा।

IV. थिमेटिक हस्तक्षेपः

इस घटक में निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुमोदित/पूर्ण सीएफसी में थिमेटिक हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता शामिल होगीः

क. प्रशिक्षण कार्यक्रम

ख. प्रदर्शन दौरे

ग. सेवा प्रदाताओं के एक पेनल के माध्यम से व्यवसाय विकास सेवा (बीडीएस) प्रावधान का सुदृढीकरण।

घ. क्लस्टर मोड में व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने से संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप।

भारत सरकार का अनुदान अधिकतम 5 कार्यकलापों की कुल लागत प्रत्येक गतिविधि के लिए 2.00 लाख रू. से अधिक नहीं, का 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित होगा। प्रत्येक सीएफसी के लिए इस घटक के अंतर्गत कुल भारत सरकार का अधिकतम अनुदान 10.00 लाख रू. होगा। शेष लागत एसपीवी/राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

V. राज्य नवप्रवर्तनकारी क्लस्टर विकास कार्यक्रम को सहायताः

यह घटक मैचिंग शेयर आधार पर राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम की सीएफसी परियोजनाओं को सह–वित्त पोषण प्रदान करेगा। भारत सरकार की निधि राज्य सरकार के शेयर अथवा 5.00 करोड़

	रू. जो भी कम हो, के लिए सीमित होगी। भारत सरकार की सहायता पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों, द्वीप प्रदेशों, भावी जिलों/एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलो में राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के स्कीम दिशानिदेशों के अनुरूप जहां लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला स्वामित्व के उद्यमों की परियोजनाओं के लिए भी सीएफसी परियोजनाओं के संबंध में 5.00 करोड़ रू. से अधिक नहीं, परियोजना लागत में भारत सरकार की सहायता 90 प्रतिशत होगी।

उपलब्धि: वित्त वर्ष 2015–16 से 2021–22 के दौरान वर्ष–वार डाटा

वर्ष	अनुमोदित परियोजनाएं			पूर्ण परियोजनाएं			प्रयुक्त बजट (करोड़ रू. में)		
	सामान्य सुविधा केन्द्र	अवसंरचना विकास	कुल	सामान्य सुविधा	अवसंरचना विकास	कुल	अनुमानित बजट	संशोधित बजट	व्यय
2015-16	9	6	15	0	4	4	100.00	102.95	81.36
2016-17	6	3	9	5	5	10	135.00	123.00	121.68
2017-18	9	12	21	13	11	24	184.00	157.65	157.11
2018-19	11	26	36	17	11	28	279.00	173.40	172.73
2019-20	39	35	74	11	11	22	227.90	227.90	226.339
2020-21	26	42	68	8	12	20	390.69	116.28	116.28
2021-22 (31.12.21 की स्थिति के अनुसार)	11	8	19	3	2	5	156.50	0.00	68.31
कुल	**111**	**132**	**242**	**57**	**56**	**113**	**1473.09**	**901.18**	**943.809**

घ. विपणन सहायता स्कीम

I. एमपीडीए के अंतर्गत खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्कीम	
विवरण	सरकार ने पूर्ववर्ती छूट प्रणाली के बदले 01.04.2010 से एक लचीली, विकास प्रेरित और कारीगर उन्मुख बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम शुरू की है। कारीगर जैसे कि खादी के उत्पादन में लगे कत्तिनों (स्पिनर) और बुनकरों जैसे कारीगर को वर्तमान में एमएमडीए के अंतर्गत 30 प्रतिशत की दर से दी जाने वाली और खादी उत्पादन में लगे अन्य कारीगरों को 10 प्रतिशत दर से वित्तीय सहायता का भुगतान जारी रहेगा। तथापि, खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता मौजूदा 60 प्रतिशत (उत्पादक संस्थाओं के लिए 40 प्रतिशत और विक्रय संस्थाओं के लिए 210 प्रतिशत) से कम करके 30 प्रतिशत (उत्पादक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत और विक्रय संस्थानों के लिए 10 प्रतिशत) कर दी जाएगी। शेष 30 प्रतिशत घटक को प्रतिस्पर्धा शुरू करने, उद्यमिता प्रयास को प्रोत्साहित करने और बाजार संचालित सिद्धांत को आरंभ करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन संरचना के आधार पर संस्थाओं के बीच वितरित की जाएगी। मौजूदा संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) को निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसार वितरित की जाएगी:

	<table><tr><th>शेयर/प्रोत्साहन के अनुसार की प्रकृति</th><th>एमएमडीए के बीच मौजूदा शेयर</th><th>एमएमडीए के बीच संशोधित शेयर</th></tr><tr><td>कारीगरों का हिस्सा</td><td>40%</td><td>40%</td></tr><tr><td>उत्पादक संस्था का हिस्सा</td><td>40%</td><td>20%</td></tr><tr><td>विक्रय संस्था का हिस्सा</td><td>20%</td><td>10%</td></tr><tr><td>संस्था को प्रोत्साहन</td><td>0</td><td>30%</td></tr><tr><td>कुल</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table> एमडीए ग्राहकों आदि को प्रोत्साहन देने के अलावा बिक्री केंद्रों, उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए सहायता के प्रयोग हेतु संस्था का लचीलापन प्रदान करता है। उत्पादन पर बाजार विकास सहायता (खादी व पॉली) की मौजूदा स्कीम और ग्रामोद्योग अनुदान के प्रचार, विपणन और बाजार संवर्धन (निर्यात संवर्धन सहित) और अवसंरचना (विपणन परिसर/खादी प्लाजा के नए घटक सहित) के अतिरिक्त घटकों को मिलाकर इस स्कीम को एमपीडीए के रूप में संशोधित किया गया है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) के अंतर्गत, मूल्य–निर्धारण को लागत चार्ट से पूरी तरह अलग किया जाएगा और उत्पादों को उत्पादन के सभी चरणों पर बाजार मूल्यों पर बेचा जा सकता है। कारीगरों और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
अभिप्रेत लाभार्थी	वैध खादी प्रमाणपत्र वाले और ए+, ए, बी और सी के रूप में वर्गीकृत खादी संस्थान ही केवीआईसी से एमडीए अनुदान के लिए पात्र हैं।
आबंटित निधियां (2021–22)	बजट अनुमान 155.16 करोड़ रु
किया गया व्यय (31.12.2021 तक)	129.35 करोड़ रु.

ङ प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रतिस्पर्धात्मकता स्कीम

एमएसएमई चैंपियंस स्कीम (पूर्ववर्ती सीएलसीए–टीयूएस)

एमएसएमई मंत्रालय लीन विनिर्माण के माध्यम से अपव्यय में कमी हेतु डिजाइन सुधार के लिए सहायता, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जागरुकता निर्माण, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) स्कीम, डिजिटल एमएसएमई के माध्यम से एमएसएमई का डिजिटल सशक्तीकरण और व्यक्ति की अप्रयुक्त रचनात्मकता का संवर्धन और सहायता समस्त भारत में इंक्यूबेशन के माध्यम से विनिर्माण के साथ ही ज्ञान आधारित नवीनीकरण एमएसएमई में नवीनतम प्रौद्योगिकियों के अभिग्रहण को बढ़ावा देने के माद्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन के लिए ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीएलसीएस–टीयूएस) का कार्यान्वयन कर रहा है।

एमएसएमई चैंपियंस स्कीम पूर्ववर्ती प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (टीयूएस) के सभी 6 घटकों को मिलाकर स्थाई वित्त समिति स्कीम (एसएफसी) के माध्यम से तैयार की गई है। यह एक, एकल उद्देश्य के साथ विभिन्न स्कीमों और

हस्तक्षेपों को शामिल करके, तालमेल बनाके और अभिसारित करने का एक समग्र दृष्टिकोण है। इसका अंतिम उद्देश्य क्लस्टरों और उद्यमों को चुनना और उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपव्यय कम करना, व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मकता को तेज करना और उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच और उत्कृष्टता को आसान करना है। नई एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के अंतर्गत तीन नए घटक हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1. एमएसएमई–सतत (जेड)
2. एमएसएमई–प्रतिस्पर्धी (लीन)
3. नवप्रवर्तन (इंक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन और डिजिटल एमएसएमई के लिए)

डिजिटल एमएसएमई, एमएसएमई चैपियंस स्कीम के अन्य सभी घटकों के साथ आपस में जुड़ी होगी।

I. एमएसएमई सतत (जेड)	
विवरण	एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणीकरण एमएसएमई के बीच जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) प्रथाओं के बारे में जागरुकता सृजित करके उन्हें जेड प्रमाणीकरण के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करके साथ ही उन्हें एमएसएमई चैंपियंस बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक अभियान है। जेड प्रमाणीकरण के माध्यम से, एमएसएमई अपव्यय की बर्बादी को काफी हद तक कम कर सकता है, उत्पादकता बढ़ाना, पर्यावरण जागृति को बढ़ाना, ऊर्जा बचाव, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रयोग और अपने बाजारों का विस्तार आदि कर सकता है। एमएसएमई को उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य संस्कृति में श्रेष्ठ प्रथाओं को अनुग्रहीत करने, उत्पादों, प्रक्रियाओँ और प्रणाली आदि के मानकीकरण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। जेड प्रमाणीकरण का उद्देश्य केवल प्रमाणीकरण नहीं है, मूल्यांकन, मार्गदर्शन के माध्यम से संशोधन, पथप्रदर्शन, प्रबंधन और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
सहायता की प्रकृति	• जेड प्रमाणीकरण की लागत पर सब्सिडी • एमएसएमई कवच (बढ़ते हुए कोविड–19 से निपटने के लिए वॉश के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति) • परीक्षण/गुणवत्ता/उत्पाद प्रमाणीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, केंद्रीय/राज्य सरकारों/बैंकों आदि द्वारा श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन में वित्तीय सहायता।
स्थिति	कार्यक्रम के अंतर्गत 23948 एमएसएमई ने जेड प्रमाणीकरण के अंतर्गत पंजीकरण किया है, जिसमें से 503 एमएसएमई को प्रमाणित किया गया है।(कांस्य 131, चांदी:132, स्वर्ण:62, हीरा:4 कोई रेटिंग नही:174), 908 उद्योग जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जो 43552 भागीदारों को लाभान्वित करेंगे और 117 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत 3,173 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। *एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के अंतर्गत एसएफसी के माध्यम से अनुमोदित।*

अभिप्रेत लाभार्थी	यूएएम/ उद्यम पंजीकरण के साथ एमएसएमई विनिर्माण
कार्यान्वयन	विकास आयुक्त कार्यालय के माध्यम से
आबंटित निधियां (2021–22)	बजट अनुमान –16.00 करोड़ रु.
व्यय 2021–22 (30.12.2021 तक)	स्कीम की पुनसंरचना के कारण कोई व्यय नहीं।
II. एमएसएमई–प्रतिस्पर्धी (लीन)	
विवरण	एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम लीन उपकरणों और तकनीकों के कार्यान्वयन के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए एक व्यापक अभियान है। लीन उपकरण और तकनीकें एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को सुधारने के लिए परीक्षित और प्रमाणित पद्धति है।
सहायता की प्रकृति	एमएसएमई इकाइयों के समूहों को लीन उपकरणों/तकनीकों को ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता बुनियादी–निःशुल्क, मध्यवर्ती – 1,20,000/–, अग्रिम– 2,40,000/–
उपलब्धि/स्थिति	182 क्लस्टरों में लीन उपकरणों के इंटरवेंशनों में 5–10% के अवशेष को कम करके कार्यान्वित किया गया है।
अभिप्रेत लाभार्थी	यूएएम/उद्यम पंजीकरण के साथ एमएसएमई विनिर्माण के लिए
कार्यान्वयन	विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय
आबंटित निधियां (2021–22)	अनुमानित बजट–19.43 करोड़ रु.
व्यय (31.12.2021)	1.61 करोड़ रु.
III. **एमएसएमई–नवप्रवर्तन (इंक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन और डिजिटल एमएसएमई के लिए)** एमएसएमई नवप्रवर्तन स्कीम एमएसएमई मंत्रालय की इंक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर स्कीमों का मिश्रण होगा। ये पूर्ववर्ती तीन स्कीमें एकीकरणों और संयोजनों के साथ अलग कार्यक्षेत्रों में काम करेंगी। इन कार्यक्षेत्रों को बेहतर तालमेल और बेहतर दक्षता के लिए नवीन गतिविधियों का संवर्धन और प्रोत्साहन करने के लिए क्रमिक और सामान्तर रूप से एकल सूत्रीकरण में एकीकृत किया जाएगा।	

III. क एमएसएमई–नवप्रवर्तन (इंक्यूबेशन)	
विवरण	स्कीम का मुख्य उद्देश्य नववर्तनकारी एमएसएमई और विनिर्माण में नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ाना और सहायता देना जो अवधारणा स्तर के प्रमाण पर उनके विचारों के सत्यापन की मांग है। स्कीम उन समर्थकों के साथ सहयोग को भी समर्थन करती है जो एमएसएमई को डिजाइन, रणनीति और निष्पादन में उनको सहायता करके व्यवसाय के विस्तार में सलाह देंगे।
सहायता की प्रकृति	➢ व्यवसाय इंक्यूबेटरों (बीआई) के रूप में काम करने के लिए मेजबान संस्थानों (एचआई) को पात्र संस्थानों के रूप में मान्यता। ➢ मेजबान संस्थानों के माध्यम से जमा कराए गए इंक्यूबेटीज के विचारों का अनुमोदन ➢ 15 लाख रु. तक प्रति आईडिया की अधिकतम वित्तीय सहायता मेजबान संस्थान को प्रदान की जाएगी। मेजबान संस्थान एमएसएमई/अन्य से आईडियास को आमंत्रित कर सकता है और उचित गहन विचार–विमर्श के बाद चयनित आईडियास को विकास आयुक्त एमएसएमई की वेबसाइट www.msme.gov.in में एमआईएस पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकता है। ➢ मेजबान संस्थानों को संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तीय सहायता और व्यवसाय की स्थापना के लिए सीड सहायता निधि।
उपलब्धि/स्थिति	अनुमोदित मेजबान संस्थान की संख्या : 39 अनुमोदित आईडियास की संख्या : 87
अभिप्रेत लाभार्थी	यूएएम/उद्यम पंजीकरण के साथ एमएसएमई के विनिर्माण हेतु।
कार्यान्वयन	विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से।
आबंटित निधियां (2021–22)	अनुमानित बजट –23.16 करोड़ रु.
व्यय (31.12.2021)	1.52 करोड़ रु.
III. ख. एमएसएमई–नवप्रवर्तन (डिजाइन)	
विवरण	इस घटक का उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र और डिजाइन विशेषज्ञता/डिजाइन बंधुत्व को एक समान मंच पर लाना है। इसका उद्देश्य नए उत्पाद विकास, उनके निरंतर सुधार और मौजूदा/नए उत्पादों में मूल्य संवर्धन के लिए वास्तविक समय की डिजाइन समस्याओं पर विशेषज्ञ सलाह और लागत प्रभावी उपाय प्रदान करना है।
सहायता की प्रकृति	➢ किसी भी एमएसएमई की डिजाइन परियोजना के लिए डिजाइन स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई को वित्तीय सहायता। भारत सरकार द्वारा तीन चरणों में अधिकतम 40 लाख रु. तक की कुल परियोजना लागत का 75% ➢ कार्यान्वयन एजेंसी को 2.5 लाख रु. तक की छात्र परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता। 2 चरणों में कुल परियोजना का 75%

उपलब्धि/स्थिति	➢ वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान डिजाइन स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करने के लिए 6 आईआईटी (रुड़की, वाराणसी, रोपड, कानपुर, भुवनेश्वर, इंदौर) 14 एनआईटी (सिल्चर, नागपुर, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, जयपुर, भोपाल, त्रिचिनापल्ली, अगरतला, वारांगल, श्रीनगर, इलाहाबाद, रायपुर, कुरुक्षेत्र, सुरथकल) के साथ 20 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ➢ डिजाइन/छात्र परियोजनाओं की अनुमोदित संख्याः 47
अभिप्रेत लाभार्थी	यूएएम/उद्यम पंजीकरण के साथ एमएसएमई के विनिर्माण हेतु।
कार्यान्वयन	विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से।
आबंटित निधियां (2021–22)	अनुमानित बजटः 15.21 करोड़ रु.
व्यय (31.12.2021)	2.36 करोड़ रु.
III. ग. एमएसएमई–नवप्रवर्तन (आईपीआर)	
विवरण	स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित इंटरवेंशनों के साथ भारत में बौद्धिक संपदा संस्कृति को सुधारना है: • एमएसएमई के मध्य से बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की जागरुकता को बढ़ाना और भारतीय अर्थव्यवस्था में रचनात्मक बौद्धिक प्रयास को बढ़ावा देना है। • आईपीआर उपकरणों के व्यवसायीकरण और उनके प्रभावी उपयोग के लिए एमएसएमई द्वारा विकसित विचारों के संरक्षण, प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन और ज्ञान आधारित व्यवसाय रणनीतियों के लिए उपयुक्त उपाय करना।
सहायता की प्रकृति	➢ प्रदान की गई आईपीएफसी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता । ➢ पात्र आवेदकों को पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतकों (जीआई), डिजाइन, वित्तीय सहायता के पंजीकरण के लिए प्रतिपूर्ति। ➢ विकास आयुक्त एमएसएमई की वेबसाइट https://my.msme.gov.in/MyMsme/Reg/COM_IprReim.aspx में एमआईएस पोर्टल के माध्यम से पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतकों (जीआई), डिजाइन, वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदनों को जमा करना।
उपलब्धि/स्थिति	➢ आनुमोदित जागरुकता कार्यक्रमः 193 ➢ अनुमोदित बौद्धिक संपदा केंद्रों की संख्याः 28 ➢ पेटेंट/ट्रेडमार्क के लिए प्रतिपूर्ति की संख्याः 105
अभिप्रेत लाभार्थी	यूएएम/उद्यम पंजीकरण के साथ एमएसएमई के विनिर्माण हेतु।

कार्यान्वयन	विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से।
आबंटित निधियां (2021–22)	अनुमानित बजट–25.57 करोड़ रु.
व्यय (31.12.2021)	0.14 करोड़ रु.

च. देश भर में एमएसएमई के लिए अन्य स्कीमें

I. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हब	
विवरण	एनएसआईसी, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल से, 2016 में इसकी शुरुआत से राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य लोक प्रापण नीति के अनुसार सीपीएसई से 4 प्रतिशत अनिवार्य प्रापण को पूरा करके एससी–एसटी उद्यमियों को व्यवसायिक सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय एससी/एसटी हब के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन किया गया है: i) विशेष ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस), ii) कौशल/उद्यमिता विकास और टूल किटों के वितरण के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम, iii) विशेष विपणन सहायता स्कीम (स्मास), iv) सरकार समर्थित ई–कॉमर्स पोर्टलों (एमएसएमई मार्ट, जेम, ई–खादी, ट्रिफेड, ट्राइब्स इंडिया आदि) – प्रति वित्तीय वर्ष, 80 प्रतिशत या अधिकतम 25,000/– (लागू) करों के अतिरिक्त) जो भी कम हो v) जीएसटी सहित 100 रु. के टोकन भुगतान पर एकल ऋबदु पंजीकरण फीस के अंतर्गत पंजीकरण, vi) निर्यात संवर्धन परिषदों की सहायता शुल्क की प्रतिपूर्ति (80 प्रतिशत या 25,000/– जो भी कम हो), vii) बैंक ऋण प्रसंस्करण फीस की प्रतिपूर्ति (80 प्रतिशत अथवा 1 लाख रु., जो भी कम हो), viii) बैंक गारंटी निष्पादन (पीजीबी) पर बैंक शुल्कों की प्रतिपूर्ति (80 प्रतिशत अथवा 1 लाख रु., जो भी कम हो), ix) कच्चे माल/उत्पादों के परीक्षण शुल्कों की प्रतिपूर्ति (80 प्रतिशत अथवा 1 लाख रु., जो भी कम हो), x) शीर्ष 50 एनआईआरएफ रैंक वाले प्रबंधन संस्थानों के अल्पावधि कार्यक्रम शुल्कों की प्रतिपूर्ति (90 प्रतिशत अथवा 1 लाख रु., जो भी कम हो),

सहायता की प्रकृति	निम्नलिखित उप–स्कीमों के लिए एनएसएसएच के अंतर्गत वर्तमान में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है: • एक बिन्दु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस) • विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएएस) • विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) मौजूदा उद्यमियों की क्षमता निर्माण के लिए एससी/एसटी उद्यमियों को शीर्ष 50 एनआईआरएफ दर्जाप्राप्त प्रबंधन संस्थानों का लघु अवधि पाठ्यक्रम शुल्क • सफलतापूर्वक प्रशिक्षित एससी/एसटी उद्यमियों को प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा टूलकिट का वितरण। • एससी/एसटी एमएसई के लिए एनएबीएल और बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से लिया गया परीक्षण शुल्क। • सरकारी निविदाओं में भागीदारी के लिए एससी/एसटी एमएसई द्वारा प्राप्त बैंक गारंटी निष्पादन के लिए बैंक शुल्क। • बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क • एससी/एसटी एमएसई के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) द्वारा ली गई सदस्यता शुल्क।
स्थिति	• क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत 495 एससी/एसटी अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। • एसएसएसएच के स्मास घटक के अंतर्गत 2 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 433 एससी/एसटी इकाइयों को सुविधा दी गई। • विभिन्न सीपीएस के साथ 56 विशेष वीडीपी आयोजित किए गए जिसमें 1946 एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा भाग लिया गया। • 47 ई–टेंडरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 888 एससी/एसटी इकाइयों को सहायता दी गई। • एनएसएसएच पर 69 जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 2369 एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा भाग लिया गया। • एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए 453 एससी/एसटी एमएसई और बी2बी पोर्टल ''एमएसएमई मार्ट'' पर 2544 एससी–एसटी उद्यमियों को सहायता दी गई है।
आवेदन प्रक्रिया	**कौन आवेदन कर सकता है:** दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता प्राप्त करने के लिए एससी/एसटी उद्यमी पात्र है। **कैसे आवेदन करें:** इच्छुक एससी/एसटी उद्यमी निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार निकटतम एनएसआईसी शाखा कार्यालय/एनएसएसएच कार्यालय ऑनलाइन www.scsthub.in पर या निकटतम सीएससी–वीएलई पर आवेदन कर सकते हैं।

	किससे संपर्क करें: एनएसआईसी शाखा कार्यालय/एनएसएसएच कार्यालय/एनएसआईसी लि. एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली में एनएसएसएच प्रकोष्ठ संपर्क विवरण पर उपलब्ध है।)
अभिप्रेत लाभार्थी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी
आबंटित निधियां (2021–22)	अनुमानित बजट–150.00 करोड़ रु. संशोधित बजट– 120.00 करोड़ रु.
व्यय 2021–22	101.87 करोड़ रु. (13.01.2022 की स्थिति के अनुसार)
II. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए स्कीम।	
विवरण	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन' स्कीम के घटक के निम्नलिखित उप–घटक हैं: **1. नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों का आधुनिकीकरण।** **उद्देश्य**: स्कीम में नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रो के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता की परिकल्पना है।
	वित्तीय सहायता: वित्तीय सहायता की मात्रा मशीनरी/संयंत्र/भवनों की लागत के 90 प्रतिशत के बराबर होगी जो 10.00 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगी। भारत सरकार का निधि पोषण भूमि की लागत के प्रति स्वीकार्य नहीं होगी और भवन लागत की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत तक होगी। **2. नए और मौजूदा औद्योगिक संपदा का विकास।** **उद्देश्य**: नए और मौजूदा औद्योगिक संपदा के विकास के लिए वित्तीय सहायता। **वित्तीय सहायता**: नए और मौजूदा औद्योगिक संपदा के विकास के लिए बुनियादी संरचना सुविधाओं की लागत का 80 प्रतिशत स्वीकृत किया जाएगा जो 8.00 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगी। बुनियादी संरचना सुविधाओं में बिजली वितरण प्रणाली, जल, दूरसंचार, जल निकास और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, रोड, बैंक, भंडारण, विपणन आउटलेट इत्यादि शामिल होंगी। **3. अधिकारियों का क्षमता निर्माण** **उद्देश्य**: निम्समे, हैदराबाद एवं एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों और राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रतिष्ठित संगठनों जैसे एमएसएमई संस्थानों में तकनीकी प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा एमएसएमई के संवर्धन और विकास में लगे अधिकारियों का क्षमता निर्माण। **वित्तीय सहायता**: स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क का व्यय और अधिकारियों के बोर्डिंग/लाजिंग का खर्च भारत सरकार दवारा वहन किया जाएगा और सीधे प्रशिक्षण संस्थानो को (अधिकतम 77 दिन) भुगतान किया जाएगा। घरेलू प्रशिक्षण के लिए टीए/डीए का व्यय संबंधित विभागों/राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में पाठ्यक्रम फीस के अलावा विदेश

	यात्रा (इकोनॉमी क्लास सबसे छोटा मार्ग) के दौरान किया गया टीए/डीए का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा (दोनों पर 1.5 लाख रु. प्रति प्रतिभागी व्यय सीमा)। घरेलू क्षेत्र से संबंधित व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।
	4. अन्य गतिविधियां: **उद्देश्य:** अनुसंधान अध्ययन (मूल्यांकन अध्ययन सहित), संस्थानों को सुदृढ़ करने (केवल सॉफ्ट इंटरवेंशन) इत्यादि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए भी स्कीम फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ज्ञान और मानव पूँजी विकास, व्यापार विकास एवं वित्त, प्रौद्योगिकी, बुनियादी संरचना, बाजार और व्यापार नेटवर्क, इत्यादि –परिचालन सेवाओं की पहुँच जैसी मांग आधारित सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा। ये हनी, बांस, जैविक उत्पाद इत्यादि के क्षेत्रों में उद्यमों के विकास और संवर्धन के लिए राज्य सरकारों अथवा अन्य संगठनों द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई परियोजनाएं हो सकती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम में कार्य कर रहे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लिए आईटी मॉड्यूल भी विकसित किए जा सकते हैं।
	वित्तीय सहायता: डीपीआर में प्रत्येक घटक पर विस्तृत औचित्य के साथ प्रत्येक इस प्रकार का इंटरवेंशन 1.00 करोड़ रु. तक हो सकता है।
अभिप्रेत लाभार्थी	सभी एमएसएमई
आबंटित निधियां (2021–22)	बजट अनुमान – 20.00 करोड़ रु.
किया गया व्यय (31.12.2021)	17.93 करोड़ रु.
III. यूनीडो एमएसएमई मंत्रालय, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन का संवर्धन' पर जीईएफ–5 परियोजना	
पृष्ठभूमि:	यूनिडो, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन का संवर्धन' जीईएफ–5 परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के आरंभ से एमएसएमी के लिए बाजार वातावरण को विकसित और संवर्धित करना तथा क्लस्टरों में चिह्नित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाना है। कार्यक्रम सात क्षेत्रों (पल्प और पेपर, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, रासायनिक और डाई, फाउंड्री एंड फोर्जिंग, लौह और इस्पात) से 10 क्लस्टरों पर केंद्रित है। परियोजना के अंतर्गत भारत में ऊर्जा दक्षता के लिए 'वैश्विक पर्यावरण सुविधाओं' (जीईएफ), कार्यक्रम संबंधी मंचों के अंतर्गत और जिसमें कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के रूप में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो)और प्रमुख कार्यकारी एजेंसी के रूप में एमएसएमई मंत्रालय शामिल है। परियोजना के लिए प्रमुख कार्यकारी भागीदार ऊर्जा दक्षता सेवा लि. (ईईएसएल) है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास केंद्र (सिडबी) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीबीई) परियोजना के लिए मार्गदर्शक एजेंसियां हैं।

उद्देश्य:	परियोजना का उद्देश्य, एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता उपायों के प्रतिरूप को सुनिश्चित करने के लिए एक रिवोलविंग निधि तंत्र सृजित करने और बनाए रखने के लिए तथा ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ाने के लिए चिह्नित बाधाओं को दूर करके और परिणामस्वरूप भारत में एक स्वच्छ और अधिक प्रतिस्पर्धी एमएसएमई का संवर्धन करना है। यह परियोजना क्षेत्र विशिष्ट ऊर्जा दक्षता प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के आकार वर्धित करती है और इसका उद्देश्य तकनीकी जोखिमों में कमी (प्रौद्योगिकी के मानकीकरण और स्थानीयकरण) और वित्तपोषण के दबाव में कमी (बाजार एकत्रीकरण और नवप्रवर्तन ऊर्जा सेवा–आधारित वित्तपोषण मॉडल के माध्यम से) संयोजन के माध्यम से निवेश की सुविधा प्रदान करना है। परियोजना के निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य हैं;
	क. एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के कार्यान्वयन का संवर्धन करना; **ख.** एक तंत्र का सृजन और उसे बनाए रखना जो क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता उपायों के प्रतिरूप को सुनिश्चित करेगा; **ग.** समूह से राजस्व के एक भाग को विभाजित करके एक रिवोलिविंग निधि का सृजन करना, जो इस परियोजना की अवधि से परे गतिविधियों को बनाए रखेगा; और **घ.** ऊर्जा दक्षता उपायों को बढाने के लिए चिह्नित की गई बाधाओं को दूर करना और परिणामस्वरूप भारत में एक स्वच्छ और अधिक प्रतिस्पर्धी एमएसएमई उद्योग का संवर्धन करना।
ऊर्जा लक्ष्य:	कुल मिलाकर, परियोजना से 956,184 जीजे की प्रत्यक्ष वार्षिक ऊर्जा बचत की उम्मीद है। 10 वर्षों के जीवनभर के निवेश के साथ, जिसका अर्थ है 9561,838 जीजे में कुल 10 वर्षों की कमी। परियोजना में अंतर्गत, कॉर्बन–डाइ–ऑक्साइड उत्सर्जन में 86,000 टन प्रतिवर्ष की कमी का लक्ष्य है।
उपलब्धि:	➢ परियोजना के अंतर्गत, 10 क्लस्टरों के अंतर्गत 740 सर्वे किए गए हैं। इन क्लस्टरों के अंतर्गत, 100 बेसलाइन अध्ययनों और 90 विस्तृत ऊर्जा ऑडिट को पूरा किया गया है। ➢ कार्यक्रम ने अब तक सीधे 110 एमएसएमई इकाइयों को लाभांवित किया है जिसमें एमएसएमई इकाइयों, एमएसएमई प्रौद्योगिकी विनिर्माताओं और 19 प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं और अक्तूबर, 2021 तक 35 तकनीकी कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से 2500 एमएसएमई कार्मिकों की क्षमता का निर्माण किया है। परियोजना से 35 ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के अनुग्रहण द्वारा सीधे 470 एमएसएमई इकाइयों को लाभ होगा। अब तक, इस इंटरवेंशन के कारण, 50 एमएसएमई इकाइयों ने अपनी इकाइयों में इन ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन किया है। ➢ परियोजना उन ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों से संबंधित 100 स्थानीय सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) को भी विकसित करने की प्रक्रिया में है। ➢ यह 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के अवसरों को सृजित करने के पथ पर है।

	• अब तक कुल, 17 प्रौद्योगिकियों में चिह्नित क्लस्टरों में 31 एमएसएमई इकाइयों को कार्यान्वित किया गया है जिसके कारण प्रति वर्ष 3585.21 टन कॉर्बन–डाइ–ऑक्साइड की कमी और 697.906 मेगावाट बिजली 1203.7 टन कोयला, 234 मीट्रिक टन फर्नेस तेल और 25039 किलोलिटर पानी, 98512 एससीएम/वाई की प्राकृतिक गैस और 321 टन माल की प्रतिवर्ष की संयुक्त बचत हुई है। इस संदर्भ में आर्थिक रूप से मूल्य प्रतिवर्ष 155.66 लाख तक आँका जा सकता है।

5
अध्याय

पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, दिव्यांगजनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित गतिविधियां

माननीय मंत्री, श्री नारायण राणे पूर्वोत्तर एमएसएमई सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, दिव्यांगजनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित गतिविधियां

5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गतिविधियां

5.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल निधियों के 10 प्रतिशत निर्धारित करने की सरकार की नीति के अनुपालन में वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान (बीई) में 1608.61 करोड़ रु. का परिव्यय विशेष रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के लिए रखा गया था।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 (31.12.2021 तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजटीय परिव्यय और व्यय

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	पूर्वोत्तर क्षेत्र को 10 प्रतिशत बजट आवंटन	व्यय पूर्वोत्तर
2017-18	6481.96	643.85	590.36
2018-19	6552.61	670.05	671.85
2019-20	7011.29	755.26	720.55
2020-21	7572.20	758.93	482.07
2021-22	15699.65	1608.61	1016.03*

** (दिनांक 31.12.2021 तक संभावित व्यय)*

5.1.2 . 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन'

(प्रौद्योगिकी और उद्यम संसाधन केंद्र का एक घटक–टीईआरसी)

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन' स्कीम घटक में निम्नलिखित उप–घटक हैं: –

5.1.2.1 नए लघु मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों का आधुनिकीकरण

उद्देश्य: इस स्कीम में नए लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना करने और मौजूदा लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों का आधुनिकीकरण

करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है।

वित्तीय सहायता: वित्तीय अनुदान की मात्रा मशीनरी/ उपकरण/ भवन की लागत के 90 प्रतिशत के बराबर होगी जो 10.00 करोड़ रु. से अधिक नहीं हो सकती है। भारत सरकार की निधि भूमि की लागत के लिए स्वीकार्य नहीं होगी और भवन की लागत अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही होगी।

5.1.2.2 नई और मौजूदा औद्योगिक संपत्तियों का विकास

उद्देश्य: नई और मौजूदा औद्योगिक संपत्तियों का विकास

नई और मौजूदा औद्योगिक संपत्तियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता है। वित्तीय सहायता: नई और मौजूदा औद्योगिक संपत्तियों के विकास के लिए अवसंरचना सुविधाओं की 80% लागत स्वीकृत की जाएगी जो 8.00 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगी। अवसंरचना सुविधाओं में विद्युत वितरण प्रणाली, जल, दूरसंचार, जल निकास और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, सड़क, बैंक, भंडारण और विपणन आउटलेट आदि शामिल हैं।

5.1.2.3 अधिकारियों में क्षमता निर्माण

उद्देश्य: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का संवर्धन करने और इनके विकास में लगे अधिकारियों के क्षमता निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निम्समे, हैदराबाद और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र और विभिन्न प्रौद्योगिकी–प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु इनकी प्रतिनियुक्ति की जाती है।

वित्तीय सहायता: अधिकारियों का प्रशिक्षण शुल्क और भोजन तथा आवास व्यय इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और भुगतान प्रशिक्षण संस्थानों (अधिकतम 7 दिन) को सीधे किया जाएगा। घरेलु प्रशिक्षण के लिए यात्रा भत्ते/ महंगाई भत्ते का व्यय संबंधित विभागों/ राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में, भारत सरकार द्वारा पाठ्यक्रम शुल्क (दोनों पर व्यय सीमा प्रति भागीदार 1.5 लाख रु. हो) के अलावा केवल विदेश यात्रा (इकॉनमी श्रेणी के लघुतम मार्ग द्वारा) के दौरान हुए यात्रा भत्ते/ महंगाई भत्ते को वहन किया जाएगा। घरेलू क्षेत्र संबंधी व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

5.1.2.4 अन्य गतिविधियां:

उद्देश्य: इस स्कीम की निधियों को अनुसंधान अध्ययन (मूल्यांकन अध्ययन सहित), संस्थानों के सुदृढ़ीकरण आदि (केवल सॉफ्ट इंटरवेंशन) जैसी विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती हैं। इसमें मांग आधारित सेवाएं जैसे ज्ञान और मानव पूंजी विकास, व्यवस्था विकास और प्रचालनात्मक सेवाओं तक पहुंच, वित्त, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, बाज़ार और व्यवसाय नेटवर्क आदि– भी शामिल है।

ये शहद, बांस, जैविक उत्पादों आदि के क्षेत्र में उद्यमों का विकास और संवर्धन करने के लिए राज्य सरकारों अथवा अन्य संगठनों द्वारा तैयार विशेष रूप से डिजाइन की गई परियोजनाएं हो सकती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लिए आईटी मॉड्यूलों का भी विकास किया जा सकता है।

वित्तीय सहायता: इस प्रकार का प्रत्येक इंटवेशन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रत्येक घटक पर ब्यौरे–वार औचित्य के साथ 1.00 करोड़ रु. तक की राशि हो सकती है।

5.1.2.5 स्कीम घटक के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां:

- माननीय मुख्यमंत्री नागालैंड द्वारा दिनांक 08.12.2018 को सचिव (एमएसएमई) की उपस्थिति में नागालैंड टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (एनटीटीसी), दीमापुर और नागालैंड के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए भारत सरकार के अनुदान की 5.50 करोड़ रु. की पूर्ण और अंतिम किश्त मार्च 2019 में ज़ारी की गई। परियोजना पूरी हो गई है।

- टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (टीआरटीसी), अगरतला, त्रिपुरा की स्थापना की गई है और माननीय मुख्यमंत्री, त्रिपुरा ने दिनांक 29.12.2018 को माननीय एमएसएमई मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सचिव (एमएसएमई) की उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया। यह परियोजना पूर्ण हो गई है।

- टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (टीआरटीसी) तिनसुकिया, असम इस परियोजना का पहला चरण पूरा हो गया है। अंतिम भारत सरकार अनुदान मार्च, 2020 में ज़ारी किया गया है। मशीनरी और उपकरणों की संस्थापना की प्रक्रिया ज़ारी है और यह परियोजना कार्यान्वयाधीन है।

- स्किलपीडिया फांऊडेशन संसाधन विकास केंद्र, गंगटोक, सिक्किम की स्थापना और सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा हो गया है।

- वर्ष 2019–20 के दौरान "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन" स्कीम घटक की 5वीं और 6वीं पीएएमसी बैठक में कुल 17 नई परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया। इन परियोजनाओं में औद्योगिक अवसंरचना विकास परियोजनाएं, लघु प्रौद्योगिकी केंद्र और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। सभी परियोजनओं के लिए भारत सरकार के अनुदान की पहली किश्त ज़ारी की गई है और परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

- सिक्किम में बांस उत्पाद उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

- एनटीटीसी दीमापुर, नागालैंड में "कृषि आधारित ग्रामीण प्रौद्योगिकी और इन्क्यूबेशन केंद्र" की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्कम में एमएसएमई के संवर्धन में लगे अधिकारियों कर क्षमता निर्माण के उप–घटक के अंतर्गत कुल 18 परियोजनाओं (14–अंतर्राष्ट्रीय और 04– घरेलू) को अनुमोदित किया गया जिनमें से दो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षिक्षण कार्यक्रम अर्थात बैंकॉक, थाईलैंड और सिंगापुर पूरे हो गए हैं

- वर्ष 2020–21 के दौरान, "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्कम में एमएसएमई का संवर्धन" स्कीम घटक की 7वीं और 8वीं पीएएमसी बैठक में कुल 12 नई परियोजना अनुमोदित की गयी। इन प्रस्तावों में अन्य गतिविधियों के अंतर्गत औद्योगिक अवसंरचना विकास परियोजनाएं, लघु प्रौद्योगिकी केंद्र और परियोजनाएं शामिल हैं और पूर्व परियोजना गतिविधियां शुरू की गई हैं और भारत सरकार की पहली किश्त जारी की गई है।

- मिशन टिल्ला, धर्मनगर, उत्तरी त्रिपुरा में औद्योगिक परिसर के लिए अवसंरचना विकास परियोजना की स्थापना के लिए प्रस्ताव को 10.19 करोड़ रु. की परियोजना लागत के साथ दिनांक 06.03.2019 को आयोजित पीएएमएसी की छठी बैठक में अनुमोदित किया गया है, जिसमें से भारत सरकार की सहायता के रूप में 8.00 करोड़ रु. का सहायता अनुदान है। भारत सरकार की अंतिम किश्त जारी की गई है।

दिनांक 31.12.2021 तक के लिए वित्तीय उपलब्धियां:

अनुमानित बजट 2021–22	20.00 करोड़ रु.
अब तक का व्यय	12.98 करोड़ रु.
मार्च 2022 तक प्राप्त किया जा सकने वाला व्यय	20.0 करोड़ रु.

5.1.3 पूर्वोत्तर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग

5.1.3.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का गुवाहाटी में एक अंचल कार्यालय और पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजीकृत संस्थाओं, सहकारी समितियों और उद्यमियों के माध्यम से इस क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं

5.1.3.2 इन पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे ग्रामोद्योगों में फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, मिट्टी के बर्तनों, मधुमक्खी पालन, अनाज और दाल प्रसंस्करण, फाइबर, साबुन, कैन और बांस, बढ़ईगीरी और लोहारी खादी और पॉलीवस्त्र गतिविधियाँ शामिल हैं।

5.1.3.3 पूर्वोत्तर राज्यों में खादी और ग्रामोद्योग

वर्ष 2021–22 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खादी# का राज्य–वार वास्तविक कार्यनिष्पादन

क्र सं.	राज्य	दिनांक 31.12.2021 तक			दिनांक 31.03.2022 तक अपेक्षित		
		उत्पादन (लाख रु. में)	बिक्री (लाख रु. में)	संचयी रोजगार (संख्या)	उत्पादन (लाख रु. में)	बिक्री (लाख रु. में)	संचयी रोजगार (संख्या)
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.49	3.40	31	1.55	3.63	31
2.	असम	512.33	446.96	5144	538.25	478.69	5144
3.	मणिपुर	5.88	3.55	179	6.12	3.80	179
4.	मेघालय	9.65	5.94	59	9.84	6.23	59
5.	मिजोरम	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
6.	नागालैंड	10.96	40.44	295	11.40	43.31	295
7.	सिक्किम	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
8.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
कुल		**540.31**	**500.29**	**5708**	**567.16**	**535.66**	**5708**

 # पॉलीवस्त्र और सोलर वस्त्र सहित

5.1.3.4 वर्ष 2021–22 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ग्रामोद्योग का राज्य–वार वास्तविक कार्यनिष्पादन

क्र सं.	राज्य	दिनांक 31.12.2021 तक			दिनांक 31.03.2022 तक अपेक्षित		
		उत्पादन (लाख रु. में)	बिक्री (लाख रु. में)	संचयी रोजगार (संख्या)	उत्पादन (लाख रु. में)	बिक्री (लाख रु. में)	संचयी रोजगार (संख्या)
1.	अरुणाचल प्रदेश	10210.09	15766.04	0.24	14610.77	22571.97	0.24
2.	असम	124681.26	184481.15	6.08	218392.63	327056.74	6.43
3.	मणिपुर	53000.86	76693.30	1.40	91736.91	135014.98	1.57
4.	मेघालय	24059.41	34103.67	0.69	47439.68	69353.30	0.78
5.	मिजोरम	41911.41	66250.04	1.43	66660.91	105092.14	1.50
6.	नागालैंड	56047.92	77761.09	1.16	86790.55	122431.77	1.25
7.	सिक्किम	6502.54	9723.95	0.28	9419.03	14129.74	0.28
8.	त्रिपुरा	41153.33	60796.33	1.36	64043.37	95322.38	1.43
	कुल	**357566.82**	**525575.57**	**12.64**	**599093.85**	**890973.02**	**13.48**

5.1.4 पीएमईजीपी –पीएमईजीपी के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए केवीआईसी द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं।

5.1.4.1 वर्ष 2020–21 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 170.99 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी के उपयोग के माध्यम से कुल 7401 पीएमईजीपी परियोजनाओं की सहायता की गई। नई इकाइयों के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमईजीपी कार्यनिष्पादन निम्नलिखित है:

क्र स.	राज्य	आबंटित मार्जिन मनी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी# (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त इकाइयां (सं.)	अनुमानित सृजित रोजगार (संख्या)
1	सिक्किम	191.63	152.28	57	456
2	अरुणाचल प्रदेश	479.08	232.63	98	784
3	नागालैंड	4296.52	2045.47	740	5920
4	मणिपुर	5156.79	5899.03	1556	12448
5	मिजोरम	2893.48	1412.46	810	6480
6	त्रिपुरा	3072.38	1829.57	842	6736
7	मेघालय	3837.48	579.65	359	2872
8	असम	14589.04	4948.48	2939	23512
	कुल	**34516.4**	**17099.57**	**7401**	**59208**

 # पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

5.1.4.2 वर्ष 2021–22 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 73.13 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी सहित कुल 3,190 पीएमईजीपी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। वर्ष 2021–22 (31.12.2021) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमईजीपी कार्यनिष्पादन निम्नलिखित है:

क्र स.	राज्य	आबंटित मार्जिन मनी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी# (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त इकाइयां (सं.)	अनुमानित सृजित रोजगार (संख्या)
1	सिक्किम	240.52	52.53	24	192
2	अरुणाचल प्रदेश	675.7	336.62	86	688
3	नागालैंड	4453.49	1281.32	490	3920
4	मणिपुर	6928.56	1599.65	460	3680
5	मिजोरम	2984.23	398.05	189	1512
6	त्रिपुरा	3499.3	1058.65	453	3624
7	मेघालय	3928.23	323.94	206	1648
8	असम	14887.25	2262.59	1282	10256
	कुल	**37597.28**	**7313.25**	**3190**	**25520**

 # पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

5.1.4.3 पूर्वोत्तर में पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्य–वार सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यम (परियोजानाएं) (पीएमईजीपी की नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के लिए दूसरी किश्त)

राज्य	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (दिनांक 31.12.21 तक)
अरुणाचल प्रदेश	209	280	211	98	86
असम	2282	3737	2587	2939	1282
मणिपुर	600	1291	1173	1556	460
मेघालय	75	390	377	359	206
मिजोरम	249	1123	760	810	189
नागालैण्ड	930	1208	1109	740	490
सिक्किम	37	55	79	842	24
त्रिपुरा	1116	1179	963	57	453
कुल	**5498**	**9263**	**7259**	**7401**	**3190**

5.1.5 पूर्वोत्तर राज्यों में स्फूर्ति परियोजनाएं

वर्ष 2020–21 में 29.14 करोड़ रु. की भारत सरकार की सहायता से 4,126 कारीगरों को लाभांवित करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 9 क्लस्टर अनुमोदित किए गए हैं। के क्लस्टर बांस, कृषि–प्रसंस्करण, शहद और वस्त्र क्षेत्र आदि में हैं।

कुल 31 क्लस्टर पूर्वोत्तर राज्यों में पहले ही कार्यात्मक हो गए हैं।

5.1.6 पूर्वोत्तर में कयर बोर्ड

5.1.6.1 पूर्वोत्तर कयर एक्सपो 2021

बोर्ड ने 16 से 19 दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान कला क्षेत्र, गुवाहाटी में आजादी का अमृत महोत्सव के साथ संयोजन में कयर उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय अध्यक्ष, कयर बोर्ड की उपस्थिति में माननीय राज्य मंत्री, एमएसएमई, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मंत्री श्री चंद्र मोहन पटवारी, वाणिज्य और उद्योग, परिवहन, संसदीय कार्य, कौशल, रोजगार और उद्यमिता विकास, एक्ट ईजी पॉलिसी कार्य, असम सरकार और श्री टी.बी. बोरा, निदेशक बागवानी, असम सरकार द्वारा अनुग्रहीत किया गया। माननीय अध्यक्ष कयर बोर्ड द्वारा स्टॉल क्षेत्र का उद्घाटन किया गया और 28 स्टॉलों के सभी प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। वहां सीसीआरआई, एनसीटीडीसी, सीआईसीटी, गुवाहाटी शोरूम के स्टॉल थे। विभिन्न कयर विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं ने आयोजन के दौरान आबंटित स्टॉलों में अपने उत्पादों का भी प्रदर्शन किया। एक्सपो का विशेष आकर्षण 3डी होलोग्राफिक प्रदर्शन था जिसमें कयर बोर्ड के विभिन्न उत्पादों और पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। मशीनरी के साथ कयर उत्पादों की विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रदर्शन भी आयोजित किया गया।

5.1.7 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में एनएसआईसी

5.1.7.1 एनएसआईसी का गुवाहाटी में शाखा कार्यालय और इम्फाल (मणिपुर) में उप–कार्यालय है पूर्वोत्तर–क्षेत्र में एनएसआईसी द्वारा की गई गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

पूर्वोत्तर क्षेत्र ने माननीय केबिनेट मंत्री एमएसएमई की उपस्थिति में 250 से अधिक एससी/एसटी प्रतिभागियों के साथ अगस्त में एमएसएमई पूर्वोत्तर कॉन्कलेव की है।

- आईओसीएल, आरआईएलएल, पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे, बीसीपीएल, निप्को, एफसीआई के साथ विक्रेता विकास कार्यक्रम और जागरुकता कार्यक्रम और लघु उद्योग भारती, आईसीसी आदि सहित विभिन्न संघटनों

के साथ गतिविधियां की हैं। एससी/एसटी हब ने 500 प्रतिभागियों से अधिक के साथ 12 वेबीनार किए हैं।

- दिसम्बर, 2021 तक, तकनीकी इंक्यूबेशन केंद्र के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में कुल 580 भागीदारी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया/किया जा रहा है।
- दिसम्बर, 2021 तक, 6 घरेलु प्रदर्शनियों के माध्यम से एससी/एसटी प्रतिभागियों के लिए विशेष विपणन सहायता स्कीम (स्मास) के अंतर्गत कुल 175 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है।

5.2 महिलाओं के कल्याणर्थ गतिविधियां

5.2.1 एनएसएसओ के एनएसएस 73वें दौर के अनुसार देश में अनुमानित कुल 1,23,90,523 महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मौजूद हैं। चित्र 5–3 देश में पुरुष स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वितरण के प्रतिशत को दर्शाता है। 20 प्रतिशत से अधिक सूक्ष्म, लघु आर मध्यम उद्यमों का स्वामित्व महिलाओं के पास है।

5.2.2 मंत्रालय के संगठनों द्वारा संचालित स्कीमों/कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास में तेजी लाने के लिए आवश्यक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला/सुविधा प्रदान करना है। तथापि, कुछ स्कीम/कार्यक्रम व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुखी हैं। कई स्कीम ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को अतिरिक्त लाभ/रियायत/सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं के लिए रियायत संबंधी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.msme.gov.in में यथा उपलब्ध संबंधित स्कीम के दिशानिर्देशों में देखा जा सकता है।

स्वामियों के जेंडर अनुसार द्वारा एमएसएमई स्वामित्व का राज्य–वार वितरण (एनएसएस 73वां दौर)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष स्वामित्व वाले सभी एमएसएमई में राज्य का हिस्सा (%)	महिला स्वामित्व वाले सभी एमएसएमई में राज्य का हिस्सा (%)
1	पश्चिम बंगाल	5583138	2901324	8484462	11.52	23.42
2	तमिलनाडु	3441489	1285263	4726752	7.10	10.37
3	तेलंगाना	1459622	972424	2432046	3.01	7.85
4	कर्नाटक	2684469	936905	3621374	5.54	7.56
5	उत्तर प्रदेश	8010932	862796	8873728	16.53	6.96
6	आंध्र प्रदेश	2160318	838033	2998351	4.46	6.76
7	गुजरात	2375858	826640	3202499	4.90	6.67
8	महाराष्ट्र	3798339	801197	4599536	7.84	6.47
9	केरल	1647853	495962	2143816	3.40	4.00
10	राजस्थान	2261127	380007	2641134	4.67	3.07
11	मध्य प्रदेश	2275251	370427	2645678	4.70	2.99
12	झारखंड	1250953	310388	1561341	2.58	2.51
13	ओडिशा	1567395	295460	1862856	3.24	2.38
14	पंजाब	1183871	224185	1408056	2.44	1.81
15	बिहार	3239698	168347	3408044	6.69	1.36
16	हरियाणा	831645	98309	929953	1.72	0.79
17	दिल्ली	827234	86742	913977	1.71	0.70
18	मणिपुर	86383	86604	172987	0.18	0.70
19	जम्मू और कश्मीर	624056	74785	698841	1.29	0.60
20	छत्तीसगढ़	727203	71201	798403	1.50	0.57
21	असम	1128411	66665	1195076	2.33	0.54

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष स्वामित्व वाले सभी एमएसएमई में राज्य का हिस्सा (%)	महिला स्वामित्व वाले सभी एमएसएमई में राज्य का हिस्सा (%)
22	हिमाचल प्रदेश	329595	50368	379963	0.68	0.41
23	मेघालय	72191	39462	111653	0.15	0.32
24	त्रिपुरा	179169	28042	207212	0.37	0.23
25	पुडुचेरी	65350	27072	92422	0.13	0.22
26	उत्तराखंड	380000	20964	400964	0.78	0.17
27	नागालैंड	65778	20865	86643	0.14	0.17
28	मिजोरम	20439	13698	34137	0.04	0.11
29	गोवा	57133	10815	67948	0.12	0.09
30	अरुणाचल प्रदेश	16153	6274	22427	0.03	0.05
31	चंडीगढ़	44321	5560	49881	0.09	0.04
32	सिक्किम	20880	5036	25916	0.04	0.04
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14302	4026	18328	0.03	0.03
34	दादरा और नगर हवेली	12900	2629	15529	0.03	0.02
35	दमण और दीव	5880	1560	7441	0.01	0.01
36	लक्षद्वीप	1384	488	1872	0.00	0.00
	कुल	**48450722**	**12390523**	**60841245**	**100.00**	**100.00**

महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई में राज्यों का प्रतिशतता हिस्सा

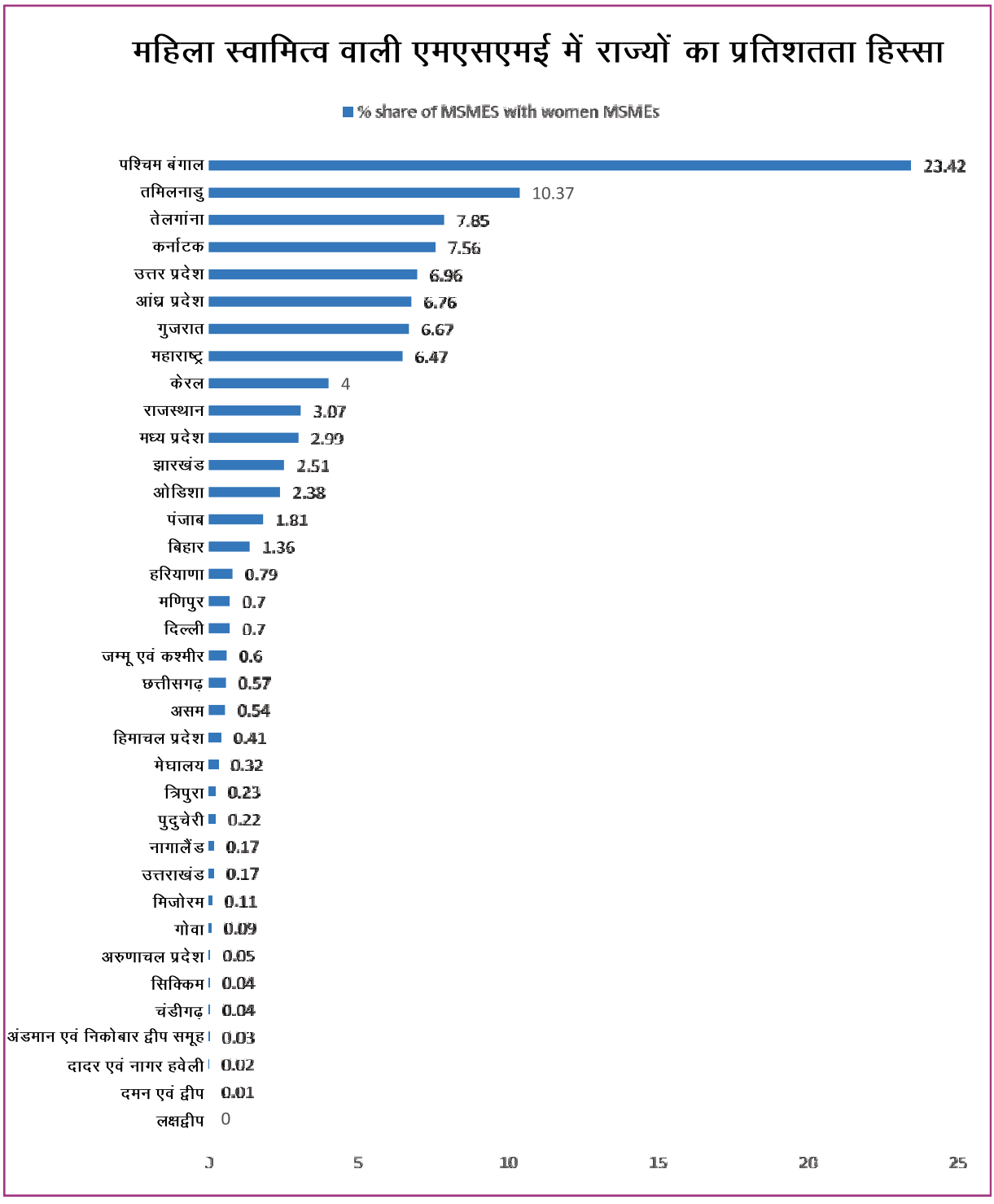

5.2.3 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को अधिक सब्सिडी दी जाती है। आरंभ से (अर्थात 2008–09 से 31.12.2021 तक) 2,22,457 परियोजनाओं को पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमियों को सहायता दी गई है।

विगत पांच वर्षों (2016–17 से 2020–21) और वर्तमान वर्ष 31.12.2021 के लिए महिला लाभार्थियों की संख्या पर संचित आंकड़े निम्नलिखित हैं:

(सूक्ष्म उद्यम/परियोजनाएः संख्या में) वर्ष	पी,मईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमी (लाभार्थी)
2016-17	14768
2017-18	15669
2018-19	25434
2019-20	24720
2020-21	27285
2021–22 (31.12.2021 तक)	20598
शुरुआत से कुल (31.12.2021 तक)	**222457**

5.3 दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

5.3.1 यह मंत्रालय उक्त विषय पर अनुदेशों के अनुसार आरक्षण रोस्टर का अनुरक्षण कर रहा है। मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई) द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के 100 पॉइन्ट रोस्टर से सृजित रिक्तियों को भरने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नियमित रूप से सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य सुविधाएं (जैसे वाहन भत्ता) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों को भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

5.3.2 एनएसआईसी और निम्समे उद्यमिता विकास के विभिन्न क्षेत्रों और संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आरक्षण/वरीयता प्रदान कर रहे हैं।

5.3.3 पीएमईजीपी –पीएमईजीपी के अंतर्गत दिव्यांग लाभार्थियों को विशेष दर्जा दिया गया है और ये सब्सिडी की ऊंची दर तथा कम व्यक्तिगत अंशदान के लिए पात्रता रखते हैं। इसके प्रारंभ से (अर्थात् वर्ष 2008–09 से 31.12.2021 तक), पीएमईजीपी के अंतर्गत कुल 4473 परियोजनाओं के माध्यम से दिव्यांग उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई है। विगत पांच वर्षों (2016–17 से 2020–21) और वर्तमान वर्ष 31.12.2021 तक के लिए दिव्यांग लाभार्थियों की संख्या पर संचित आंकड़े निम्नलिखित हैं:

वर्ष	पीएमईजीपी के अंतर्गत दिव्यांग उद्यमी (लाभार्थी)
2016-17	184
2017-18	44
2018-19	495
2019-20	414
2020-21	400
2021–22 (31.12.2021 तक)	214
कुल	**4473**

5.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

5.4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सामयिक विकास के संवर्धन के लिए आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में विश्व–भर में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार, भारत में भी, एमएसएमई ने देश में निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि, वर्ष 2020 की शुरुआत से संपूर्ण विश्व में कोविड–19 महामारी के प्रसार की वजह से व्यापार और अर्थव्यवस्था के बहुत से अन्य क्षेत्रों में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुईं। अंतराष्ट्रीय और वैश्विक बाज़ार में बनाए रखने के लिए एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने की जरुरत है और उन्हें निरंतर अद्यतन बनाए रखना होगा ताकि ये प्रौद्योगिकी में बदलाव, मांग में उतार–चढ़ाव, नए बाज़ारों के उभरने की चुनौतियां आदि का सामना कर सकें।

5.4.2 दक्षता और गतिशीलता से इस क्षेत्र पूर्व में प्रशंसनीय नवप्रवर्तन और समायोजन की क्षमता का प्रदर्शन किया है। तथापि, एमएसएमई राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन की वजह से बड़ी चुनौती का सामना कर रहीं हैं जिसे वायरस की रोकथाम के लिए लगाया गया है। वायरस की रोकथाम के लिए भारत में किए जा रहे निरंतर उपाय और आर्थिक वातावरण बनाए रखने के लिए एमएसएमई को बढ़ावा देने की भावी संभावनाएं आशाजनक प्रतीत होती हैं। एमएसएमई मंत्रालय और उसके संगठन अपनी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अद्यतन प्रौद्योगिकी, अनुभवों का साझा और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बेहतरीन प्रबंधन परम्पराओं का एक्सपोज देकर भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रयास को जारी रखते हुए, एमएसएमई मंत्रालय ने 19 देशों के साथ दीर्घ अवधि समझौता, समझौता ज्ञापन, संयुक्त कार्य–योजना की व्यवस्था की है। इन देशों में ट्यूनिसिया, रोमानिया, रवांडा, मेक्सिको, उजबेकिस्तान, लेसोथो, श्रीलंका, अल्जीरिया, सूडान, कोटे डी आई वरी, मिश्र, दक्षिण कोरिया गणराज्य, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, वियतनाम, मारीशस, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

5.4.3 आयोजित किए गए महत्वपूर्ण सम्मेलन/आयोजन और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधिमंडलों के साथ की गई बैठकें।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके अधीनस्थ संगठनों जैसे विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय और एनएसआईसी नियमित रूप से दोनों देशों के एमएसएमई के पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठकों का आयोजन करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के संबंध में आयोजित की गई ऐसी बैठकों/चर्चाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

- दिनांक 03.03.2021 को भारत और ब्राजील के बीच एक वर्चुअल जी2जी वेबीनार आयोजित किया गया। संयुक्त सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा भारत का नेतृत्व किया गया। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने संबंधित देशों में एमएसएमई के विकास पर उनकी नीतियों और प्रथाओं को साझा किया। भारत ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई)तथा ब्राजील के सेब्रे के बीच समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण की इच्छा भी जताई।
- दिनांक 27.04.2021 को भारत और अल्जीरिया के बीच एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने संबंधित देशों में एमएसएमई के विकास पर उनकी नीतियों और प्रथाओं को साझा किया, द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों और बी2बी सहयोग/वर्चुअल बैठकों के लिए संभावित क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया।

- दिनांक 5 मई, 2021 को भारत और ब्रजील के बीच दोनों पक्षों के तकनीकी क्षेत्रों के अधिकारियों सहित विकासशील एमएसएमई साझेदारी पर एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एमएसएमई के विकास पर अपनी नीतियों और अनुभवों का आदान–प्रदान किया और दोनों पक्षों के बीच बी2बी सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर विचार–विमर्श किया गया।

- दिनांक 11.05.2021 को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और सर्बिया के बीच एक बैठक आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने अपने संबंधित देशों में एमएसएमई के विकास पर उनकी नीतियों और कार्यक्रमों को साझा किया और बी2बी सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों और दौनों पक्षों की एमएसएमई बैठकों में विचारों का आदान–प्रदान किया गया।

- दिनांक 27.05.2021 को एमएसएमई पर भारत–मंगोलिया के बीच वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अपने संबंधित देशों में एमएसएमई के विकास पर अपनी नीतियों और अनुभवों को साझा किया, और दोनों देशों की एमएसएमई के बीच बी2बी सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर विचारों का आदान–प्रदान किया गया।

- दिनांक 09.06.2021 को भारत और साइरस ने एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने संबंधित देशों में एमएसएमई के विकास पर उनकी नीतियों और कार्यक्रमों को साझा किया और बी2बी सहयोग और दोनों पक्षों की एमएसएमई के बीच बैठकों के लिए संभावित क्षेत्रों पर विचारों का आदान–प्रदान किया गया।

- दिनांक 11.06.2021 को एमएसएमई पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में, दोनों पक्षों ने अपने संबंधित देशों में एमएसएमई के विकास पर अपनी नीतियों और अनुभवों को साझा किया और दोनों पक्षों की एमएसएमई के बीच बी2बी सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर विचारों का आदान–प्रदान किया गया। दक्षिणी अफ्रीकी प्रतिनिधि ने एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच गवर्मेंट टू गवर्मेंट समझौता ज्ञापन तलाशने का प्रस्ताव दिया।

- दिनांक 28 जून, 2021 को एमएसएमई मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान को स्वीकार करने के लिए " भारतीय एमएसएमई– अर्थव्यवस्था के विकास इंजन पर एक सम्मेलन(वर्चुअल मोड में) आयोजित किया गया।

- दिनांक 22 जुलाई, 2021 को (वर्चुअल मोड में) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ब्रिक्स एमएसएमई राउंडटेबल 2020–21 का नेतृत्व किया। राउंडटेबल ब्रिक्स देशों से वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा भागीदारी का साक्षी बना। राउंडटेबल में कोविड के बाद रोडमैप के वीजन और एमएसएमई के त्वरित विकास के लिए ब्रिक्स मंच के आपसी सहयोग का लाभ उठाने पर चर्चा की गई।

- दिनांक 12.08.2021 को एमएसएमई पर भारत और आयरलैंड के बीच एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने संबंधित देशों में एमएसएमई के विकास पर उनकी नीतियों और कार्यक्रमों को साझा किया और बी2बी सहयोग और दोनों पक्षों की एमएसएमई के बीच बैठकों के लिए संभावित क्षेत्रों पर विचारों का आदान–प्रदान किया गया।

- सूक्ष्म और मध्यम, आकार के उद्यमों (एसएमई) पर आईबीएसए की 6ठवीं त्रि–राष्ट्रीय वर्चुअल कॉफ्रेंस की राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), ब्राजील सूक्ष्म और लघु व्यवसाय सहायता सेवा (सेब्रे), लघु व्यवसाय विकास विभाग (डीएसबीडी) और लघु उद्यम विकास एजेंसी (एसईडीए), दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोग में 02 से 03 सितंबर, 2021 तक एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा का नेतृत्व किया गया। त्रि–राष्ट्रीय शिखर का विषय थाः– ''सतत जनसांख्यिकी के लिए समान आर्थिक अवसरों को सृजित करने में एसएमई के विकास की भूमिका''। सम्मेलन आईबीएसए देशों से वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा भागीदारी का साक्षी बना।

6
अध्याय

सामान्य सांविधिक उत्तरदायित्व

उप महानिदेशक (डीपीएस), दिनांक 30.10.2021 को सीपीओएल की तीसरी उप–समिति के उपाध्यक्ष से वार्षिक कार्यक्रम और अन्य दस्तावेज प्राप्त करते हुए।

सामान्य सांविधिक उत्तरदायित्व

6.1 राजभाषा

6.1.1 संघ सरकार की राजभाषा नीति का पालन करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। सरकार की नीति का उद्देश्य सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाना है। मंत्रालय में वर्ष के दौरान संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

6.1.2 सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति हुई है। मंत्रालय की एक पूर्ण कार्यशील वेबसाइट http://msme.gov.in हिंदी भाषा में है।

6.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज जैसे कि सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, निविदा फॉर्म एवं सूचना, संकल्प, नियम, ज्ञापन/कार्यालय ज्ञापन, प्रशासनिक रिपोर्ट और संसद के एक या दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जाने वाले सरकारी कागजात द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए। विभागीय प्रयोग के लिए सामान्य आदेश हिंदी में जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए।

6.1.4 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समीति की बैठक का आयोजन किया गया और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की संयुक्त सचिव (प्रभारी–हिंदी) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति पहले से ही गठित है। इस समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं तथा सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रयोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए गए हैं।

6.1.5 **हिंदी में पत्राचार:** 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकारों, केन्द्र राज्य प्रदेशों तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों को पत्र हिंदी में ही जारी किए गए। इसी प्रकार, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को हिंदी में पत्र भेजे गए। सितम्बर 2021 में समाप्त अवधि की तिमाही में 'क' क्षेत्र में लगभग 85 प्रतिशत, 'ख' क्षेत्र में 86 प्रतिशत और 'ग' क्षेत्र में 76 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया गया।

6.1.6 **निगरानी तथा निरीक्षण:** राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है। वर्ष के दौरान सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग और राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के 05 अनुभागों के साथ–साथ एमएसएमई मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों यथा: केवीआईसी मुख्यालय, मुंबई, एनएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय और एनएसआईसी जोनल कार्यालय, कयर बोर्ड शोरूम और बिक्री डिपो, मुंबई, एनएसआईसी मुख्यालय, दिल्ली, निम्समे, हैदराबाद, एनएसआईसी जोनल कार्यालय, हैदराबाद, केवीआईसी राज्य कार्यालय और कयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू, कयर बोर्ड मुख्यालय, कोच्चि, एनएसआईसी शाखा कार्यालय, कोच्चि इत्यादि का निरीक्षण किया गया।

6.1.7 **हिंदी माहः** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में 14 सितंबर 2021 से 13 अक्तूबर, 2021 तक हिंदी माह मनाया गया। सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने के उद्देश्य से हिंदी टंकण, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन, सामान्य हिन्दी, श्रुतलेख, राजभाषा प्रश्नोत्तरी, हिंदी भाषण, कविता पाठ और अनुभागों में हिंदी कार्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस अवधि के दौरान हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में बहुत से अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 14 सितम्बर को हिंदी दिवस, 2021 के अवसर पर माननीय मंत्री एमएसएमई के संदेश अनुपालन हेतु मंत्रालय सहित सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किए गए।

6.1.8 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग

6.1.8.1 **विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई)** : अवधि के दौरान विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय के हिंदी अनुभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों के साथ ही मुख्यालय में राजभाषा पर संसद समिति की सिफारिश पर माननीय राष्ट्रपति के राजभाषा अधिनियम, नियमों और आदेशों का निरंतर और सुचारु रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। यहां तक की कोविड–19 महामारी के दौरान सभी प्रपत्रों, रिपोर्टों, संसदीय प्रश्नों और धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी पेपरों को द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) में तैयार किया गया।

ध्यान देने योग्य है कि संसद की राजभाषा समिति (सीपीओएल) की तीसरी उप–समिति ने दिनांक 30.10.2021 को विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय और इसके क्षेत्र कार्यालय अर्थात दिनांक 21.09.2021 को एमएसएमई–विकास संस्थान, अहमदाबाद और 27.12.2021 को केंद्रीय फफुटवेयर प्रशिक्षण संस्थान, आगरा में राजभाषा की प्रगति और कार्यान्वयन का निरीक्षण किया। उक्त निरीक्षण में संबंधित सभी आवश्यक कार्य लगन और तत्परता के साथ पूरे किए गए।

हिंदी पखवाड़े के दौरान, 14 सितंबर से 30 सितंबर, 2021 के बीच हिंदी दिवस (14 सितंबर, 2021 को), कार्यशाला, कविता पाठ, आशुलिपि प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। प्रचार और विज्ञापन से संबंधित अनुवाद के लिए विशेष सहयोग किया गया। कोविड–19 महामारी के दौरान आईटी उपकरण काफी प्रसिद्ध रहे। इसलिए, यूनिकोड, ई–महाकोश, कंठस्थ तथा मंत्रा जैसे आईटी उपकरणों के माध्यम से मुख्यालय के अनुभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को सहायता प्रदान की गई।

6.1.8.2 **खादी और ग्रामोद्योग आयोगः** खादी और ग्रामोद्योग आयोग (मुख्यालय) मुम्बई में एक पूर्णकालीन हिंदी विभाग है जो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की राजभाषा नीति एवं उसके अनुपालन के लिए समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। 14 सितम्बर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों और निदेशालय मुख्यालयों का निरीक्षण किया गया। आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक और हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की गई। आयोग की वेबसाइट द्विभाषिक है। आयोग में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

6.1.8.3 **एमगिरिः** कार्यालय की गतिविधियों में हिंदी (राजभाषा) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विषयों पर जैसे कि कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, संस्थान की कार्यकारी समिति को त्रैमासिक बैठक में सरकारी संचार में

हिंदी के उपयोग की प्रगति, द्विभाषी में विज्ञापन आदि की भी समीक्षा की गई और इसे संतोषजनक पाया गया। संस्थान में 14–28 सितंबर, 2021 के दौरान हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जिसमें संस्थान के कर्मचारियों के बीच टिप्पण लेखन, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, पाठ, भाषण और हिंदी ज्ञान पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

6.1.8.4 **कयर बोर्ड:** कयर बोर्ड अपने सभी संस्थानों में संघ की राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। धारा 3(3) के अंतर्गत सभी दस्तावेजों को द्विभाषी जारी किया गया और नियम (5) के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए। त्रैमासिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई। सभी जगह कयर बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राजभाषा पर वर्चुअल हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 14 सितंबर, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। और विजेताओं को सम्मानित किया गया।

6.1.8.5 **एनएसआईसी:** एनएसआईसी लगातार सरकारी काम में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। एनएसआईसी में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक और हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है। वर्ष के दौरान 14 सितंबर, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

6.1.8.6 **निम्समे**

संस्थान में हिंदी दिवस 2021 के अवसर पर हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्थान में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

6.2 सतर्कता

6.2.1 मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं अन्वेषण एजेंसियों के परामर्श से सभी सतर्कता मामलों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।

6.2.2 मंत्रालय सेवारत अधिकारियों में व्यापक सतर्कता जागरूकता सृजित करने में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का कार्यान्वयन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, मंत्रालय/संबद्ध कार्यालय/संगठनों में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त संदर्भों/सतर्कता शिकायतों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया।

6.2.3 26 अक्तूबर, 2021 से नवम्बर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस अवधि के दौरान मंत्रालय में भ्रष्टाचार–विरोधी संबंधित मामलों पर कर्मचारियों के बीच जागरुकता फैलाने के लिए निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

6.2.4 सतर्कता प्रभाग मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों के कर्मचारियों द्वारा भेजी गई अपीलों के साथ–साथ इन संगठनों के कर्मियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों और मंत्रालय के अधिकारियों और सहायक निदेशकों, विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) के उच्च स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आदि पर लगाई गई शास्तियों का कार्य भी देखता है। सतर्कता प्रभाग ने स्पैरो https://sparrow.eoffice.gov.in की ऑनलाइन प्रणाली सहित

अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआरए) का रख–रखाव जैसे कार्य भी किए हैं। कर्मचारियों की वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न विवरण, बंधक पत्रों/विलेखों की सुरक्षित संरक्षा और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सतर्कता निकासी सहित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के अंतर्गत आने वाले सभी मामले।

6.2.5. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 27 शिकायतें प्राप्त हुई और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से, जहां लागू हो, परिसमापन/निपटान किया गया।

6.2.6. रिपोर्ट के अंतर्गत, 1 अनुशासनात्मक मामलों को सीसीएस (सीसीए) नियमों, 1965 के अंतर्गत जुर्माना लगाने के द्वारा निपटाया गया।

6.3 नागरिक घोषणापत्र

6.3.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए नागरिक/ग्राहक घोषणापत्र तैयार किया गया है और उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस घोषणापत्र में एमएसएमई मंत्रालय की घोषणा है जिसमें सामान्य तौर पर भारत के लोगों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का मिशन और वचनबद्धता शामिल है।

6.3.2 भूतल (द्वार संख्या 4 और 5 के बीच) निर्माण भवन, नई दिल्ली में स्थित मंत्रालय का सूचना तथा सुविधा काउंटर मंत्रालय तथा इसके संगठनों की सेवाओं तथा कार्यकलापों की सूचना प्रदान करता है। यह आवेदक से आरटीआई आवेदन के साथ–साथ शुल्क, यदि कोई हो, भी प्राप्त करता।

6.3.3 वार्षिक रिपोर्ट और स्व–रोजगार पर हैंडबुक प्रकाशित की गई है और संभावित उद्यमियों, नीति निर्माताओं और अन्य लोगों की सूचना के लिए उपलब्ध है। मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.msme.gov.in अपने संगठनों को सभी संगत सूचना एवं लिंक उपलब्ध कराती है।

6.3.4. मंत्रालय का विस्तृत नागरिक/ग्राहक घोषणापत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.3.5 **शिकायतें**: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएपीआरजी) ने लोक शिकायतों के लिए एक पोर्टल http://pgportal.gov.in तैयार किया है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज कर सकता है। डीएपीआरजी, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा राष्ट्रपति सचिवालय में प्राप्त सभी शिकायतें इस पोर्टल/सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों को अग्रेषित की जाती हैं। अन्य मंत्रालयों/अधीनस्थ संगठनों से संबंधित शिकायत ऑनलाइन हस्तांतरित की जा सकती है। एमएसएमई मंत्रालय, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा सभी 24 उत्तरदायित्व केन्द्रों को http://pgportal.gov.in पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठन शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्रालय ने मंत्रालय में प्राप्त अन्य शिकायतों तथा सुझावों का पता लगाने एवं निगरानी करने के लिए एमएसएमई इंटरनेट शिकायत निगरानी प्रणाली भी शुरू की है। सूचना और सुविधा काउंटर तथा शिकायत प्रकोष्ठ का पता, दूरभाष तथा फैक्स नंबर नीचे दिए गए हैं:

विवरण	बेवसाइट का पता	संगठन
1. शिकायत कक्ष अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, कमरा संख्या–716, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108 दूरभाष–संख्या–23061277 फैक्स नम्बर–23061804 2. सूचना एवं सुविधा काउंटर गेट संख्या–4, भूतल, निर्माण भवन,नई दिल्ली–110108 दूरभाष– 23062219	www.msme.gov.in	एमएसएमई मंत्रालय
	www.dcmsme.gov.in	विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई)
	www.nsic.co.in	एनएसआईसी, नई दिल्ली
	www.nimsme.org	निम्समे, हैदराबाद
	www.kvic.org.in	केवीआईसी, मुम्बई
	www.coirboard.gov.in	कयर बोर्ड, कोच्चि
	www.mgiri.org	एमगिरी, वर्धा

6.4 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक किसी भी कार्य दिवस पर गेट संख्या 4 और 5 के बीच निर्माण भवन, (विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय) नई दिल्ली स्थित लोक सूचना अधिकारी (आरटीआई) से संपर्क कर सकते हैं।

मंत्रालय और मंत्रालय के अधीन संगठनों के अन्य लोक प्राधिकरणों के संबंध में पूरी जानकारी नियमित रूप से मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी के विवरण संबंधित कार्यालय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

6.5 यौन उत्पीड़न का निवारण

6.5.1 कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण एवं समाधान) अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है।

6.5.2 वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान आंतरिक शिकायत समिति के पास कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया तथा आईसीसी के पास कोई मामला लंबित नहीं है।

6.5.3 शिकायतों को सीधे फाइल करने में केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को समर्थ करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन –इवग' (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक–बॉक्स) शुरू की गई है। इसका मंत्रालय द्वारा अपने कर्मचारियों तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक प्रचार किया गया है।

अनुबंध

I – VI

अनुबंध–I

1. वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान योजना आवंटन और व्यय (31.12.2021 तक)

(करोड़ रू. में)

मदें	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
एसएमई प्रभाग				
बजट अनुमान	170.29	213.99	223.72	221.10
संशोधित अनुमान	143.03	174.93	171.54	208.65
व्यय	135.61	136.08	169.68	109.11*
एआरआई प्रभाग				
बजट अनुमान	3308.24	3641.75	4066.94	2927.54
संशोधित अनुमान	3488.40	3714.43	2570.98	4202.73
व्यय	3577.98	3692.20	2872.76	2446.58*
विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय				
बजट अनुमान	3074.08	3155.55	3281.54	12551.01
संशोधित अनुमान	2921.18	3121.93	2921.70	11288.27
व्यय	2799.53	2889.25	2605.06	8206.03*
कुल बजट अनुमान	**6552.61**	**7011.29**	**7572.20**	**15699.65**
कुल संशोधित अनुमान	**6552.61**	**7011.29**	**5664.22**	**15699.65**
कुल व्यय	**6513.12**	**6717.53**	**5647.50**	**10761.72***

**(31.12.2021 तक संभावित व्यय)*

अनुबंध–II

2. सीएंडएजी पैराओं पर लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी नोट की स्थिति

क्र. सं.	रिपोर्ट सं. (रिपोर्ट के प्रस्तुत करने की तारीख)	पैरा सं.	पैरा का संक्षिप्त विषय	की गई कार्रवाई संबंधी नोट की स्थिति (एटीएन)
1.	2020 की दिनांक: 10	4.1 (अध्याय) –IV)	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालयः** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय और भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) ने 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट' (सीजीटीएमएसई/ ट्रस्ट) नामक एक न्यास की स्थापना (जुलाई 2000) की ताकि नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा किसी कोलेट्रल सुरक्षा और/अथवा तीसरे पक्ष की गारंटियों के बिना क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में गारंटी प्रदान की जा सके। सीजीटीएमएसई ने दो स्कीमों अर्थात (क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए सीजीएस–I); और (ख) गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (सीजीएस-II) का कार्यान्वयन किया। वर्ष 2015–16 से 2018–19 (30 सितम्बर 2018 तक) की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा के दायरे में गारंटी स्कीमों का प्रदर्शन शामिल था। 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार न्यास ने 29.79 लाख गारंटी जारी की थी जो 1,51,484 करोड़ रुपए की थी। दिनांक 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार न्यास की संग्रह निधि 6,914.91 करोड़ रुपए थी जिसमें से भारत सरकार ने 6,414.91 करोड़ रुपए (92.77 प्रतिशत) का योगदान दिया था और सिडबी ने 500 करोड़ रुपए (7.23 प्रतिशत) का योगदान दिया था। लेखापरीक्षा में उल्लेख की गई प्रमुख टिप्पणियां निम्नानुसार थीं:– • सीजीटीएमएसई/सरकार ने न्यास तथा विभिन्न प्रकार के सदस्य ऋणदाता संस्थानों के लिए अनुमोदित/ जारी गारंटियों, पूंजीगत पर्याप्तता, सॉल्वेंसी संबंधी आवश्यकताओं, एक्सपोजर उच्चतम सीमा तथा अनुसरण किए जाने वाले लेखांकन मानकों आदि हेतु न्यूनतम लिक्विडिटी आवश्यकता के संबंध में कोई मानक निर्धारित नहीं किए थे।	मंत्रालय द्वारा सीएंडएजी के कार्यालय को एटीएन भेजा जाएगा। सीएंडएजी कार्यालय से एटीएन जमा करने की तारीख को बढ़ाने के लिए समय मांगा गया है।

			• न्यास ने मंत्रालय के निदेशों (जनवरी 2017) का कार्यान्वयन नहीं किया तथा राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) की सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) के अंतर्गत गारंटी कवर के लिए पात्र संस्थानों हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए गारंटियां प्रदान करना जारी रखा। • न्यास ने गारंटी माध्यम की कार्यकुशलता के संबंध में एमएलआई में और अधिक विश्वास सृजित करने तथा एमएसई क्षेत्र को आद्योपांत व्यापक सहायता प्रदान करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ता कक आधार पर कायिक निधि पर बैंचमार्क लेवरेज नियत नहीं किया था। • गारंटियों के अनुमोदन की मौजूदा प्रणाली यह आश्वासन प्रदान करती है कि एमएलआई ने अपने ऋण प्राप्तकर्ताओं का केवल अनिवार्य ब्यौरा दायर किया था। यहां तक कि एमएलआई द्वारा दायर किए गए ब्यौरे की यथार्थता को सत्यापित करने के लिए मौजूदा प्रणाली/पोर्टल पर्याप्त नहीं थी । • एमएलआई ने गैर–अनिवार्य ब्यौरा दायर नहीं किया था तथा इसके अतिरिक्त भरे गए आंकड़े की गुणवत्ता भी बहुत खराब थी। एमएलआई द्वारा बहुत से क्षेत्रों को खाली छोड़ दिया गया था अथवा अधूरे आंकड़े भरे गए थे। • एमएलआई के निरीक्षण जारी की गई गारंटियों, रिपोर्ट किए गए एनपीए, एमएलआई द्वारा दायर किए गए दावों तथा पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्टों में पाई गई कमियों के अनुरूप नहीं थे।	

अनुबंध–III

3. केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या	अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष	विषय–वस्तु
1.	श्री के. थॉमस मरिंग, अवर सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली। फोन : 011–23063313 thomas.mk@nic.in	श्री आर.आर. मीणा, निदेशक, निर्माण भवन, नई दिल्ली Rajar.meena@nic.in	संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबधित सभी आरटीआई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों की विषय–वार सूची वेबसाइट www.msme.gov.in पर उपलब्ध है।
2.	श्री अनिल कुमार सिंह, सहायक निदेशक (ग्रेड–II), विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई), निर्माण भवन, नई दिल्ली।	डॉ ओ.पी. मेहता, निदेशक, विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई), निर्माण भवन, नई दिल्ली।	संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों में विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय से संबधित सभी आरटीआई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों की विषय–वार सूची वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है।
3.	ए.के. मिश्रा, महाप्रबंधक, एनएसआईसी लि., एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली–110020 011–26390190 akmishra@nsic.co.in	नवीन चोपड़ा, मुख्य महाप्रबंधक, एनएसआईसी लि.,एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली–110020 011–26920911, navinchopra@nsic.co.in	संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड से संबधित सभी आरटीआई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों की विषय–वार सूची वेबसाइट www.nsic.co.in पर उपलब्ध है।
4.	बी. प्रदीप कुमार, सहायक रजिस्टार,राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), युसुफगौडा, हैदराबाद– 500045 040–23633260, ar@nimsme.org	श्री संदीप भटनागर, निदेशक (विपणन और व्यवसाय विकास), राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्सबे), युसुफगौडा, हैदराबाद–500045 040–23633245	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान से संबंधित सभी मामलें। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों का ब्योरा वेबसाइट www.nimsme.org पर उपलब्ध है।
5.	श्री कृष्णपाल, सहायक निदेशक, केवीआईसी, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम) मुम्बई 022–26711037	श्री जी.गुरूप्रसन्ना, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई 022–26713538	संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबधित सभी आरटीआई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों की विषय–वार सूची वेबसाइट www.kvic.org.in पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या	अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष	विषय–वस्तु
6.	श्रीमती अनीता कुमारी एस, विपणन और प्रचार अधिकारी, कयर बोर्ड, कॅयर हाउस, एम.जी.रोड, कोच्चि– 682016 0484–2351807	के. रघुनंदन वी सी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कयर हाउस, एम.जी. रोड, कोच्चि–682016 0484–2351807	कयर बोर्ड से संबंधित सभी मामले। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों का ब्योरा वेबसाइट www.coirboard.gov.in पर उपलब्ध है।
7.	श्री एच.डी. सिन्नुर, पीएसओ के एंड टी, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, मगनवाडी, वर्धा – 442001 दूरभाष 07152–253512	डॉ. आर.के. गुप्ता, निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान, मगन वाडी, वर्धा–442001 07152–253512,13 director.mgiri@gmail. com	एमगिरि से संबंधित सभी मामले। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों का ब्योरा वेबसाइट www.mgiri.org पर उपलब्ध है।

अनुबंध–IV

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रलय और इसके सांविधिक निकायों के कार्यालयों के संपर्क पते

क्र. सं.	संगठन का नाम और पता	वेबसाइट	ई–मेल	दूरभाष	फैक्स
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रलय, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110 107	www.msme.gov.in	min-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
2	विकास आयुक्त कार्यालय, (एमएसएमई), 7 वीं मंजिल ए– ऋवग, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110108	www.dcmsme.gov.in; www.laghu-udyog.com; www.smallindustry.com	dc-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
3	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी),"ग्रामोदय'' 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम) ,मुंबई – 400056, महाराष्ट्र	www.kvic.org.in	kvichq@bom3.vsnl.net.in, ditkvic@bom3.vsnl.net.in, dit@kvic.gov.in	022-26714320-25/ 26716323/ 26712324/ 26713527-9/ 26711073/ 26713675	022-26711003
4	कयर बोर्ड, "कयर हाउस", एम.जी. रोड, एर्नाकुलम, को. च्चि–682016, केरल	www.coirboard.gov.in	info@coirboard.org coirboard@nic.in	0484-2351900 2351807, 2351788, 2351954, Toll Free – 1-800-4259091	0484-2370034 2354397
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी),, एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली 110020	www.nsic.co.in	info@nsic.co.in,	011-26926275 26910910 26926370 टोल फ्री 1-800-111955	011-26932075 26311109
6	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, (निम्समे) युसूफगौडा, हैदराबाद– 500 045	www.nimsme.org	registrar@nimsme.org	040-23608544-46 23608316-19	040-23608547 23608956 23541260
7	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, मगनवाड़ी, वर्धा–442001	www.mgiri.org	director.mgiri@gmail.com	0752-253512	0752-240328

अनुबंध–V

5. एमएसएमई विकास संस्थानों और शाखा एमएसएमई विकास संस्थानों की राज्य–वार सूची

क्र सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स स.	ई–मेल आईडी
1	अंडमान और निकोबार (संघ) राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	पोर्ट ब्लेयर	डॉलीगंज इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पो.ऑ. जंगल घाट, पोर्ट ब्लेयर–744103	03192-252308		brdcdi-pprt@dcmsme.gov.in
2	आंध्र प्रदेश	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	विशाखापटनम	एफ–19–22, ब्लॉक डी आईडीए, ऑटोनगर, विशाखापटनम –530012	0891-2517942 /2701061	0891-2517942	brdcdi-vish@dcmsme.gov.in
3	तेलंगाना	एमएसएमई–वि.सं.	हैदराबाद	नरसापुर क्रॉस रोड, बाला नगर, हैदराबाद–500 037	040-23078857	040-23078857	dcdi-hyd@dcmsme.gov.in
4	अरुणाचल प्रदेश	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	इटानगर	एपीआईडीएफसी बिल्डिंग, 'सी' सेक्टर, इटानगर –791111	0360-2291176	0360-2291176	brmsme.itan@gmail.com
5	असम	एमएसएमई–वि.सं.	गुवाहाटी	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एम.आर. डी. रोड़, पो.ऑ. बामुनीमैदान, गुवाहाटी–781021	0361-2550052, 2550298	0361-2550298	dcdi-guwahati@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	सिलचर	लिंक रोड़ प्वाइंट, एन.एस. एवेन्यू, सिलचर–788006	03842-247649	03842-241649	brdcdi-silc@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	दिफू (कर्बी एन्गालोंग)	सिविल हस्पताल के पीछे, नेहरू युवा केंद्र के पास, दिफू–782460	03761-272549	03671-272549	brmsmediphu@gmail.com
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	तेजपुर	दरांग कालेज रोड़, तेजपुर–784001	03712-221084	03712-221084	brdcdi-tezp@dcmsme.gov.in
6	बिहार	एमएसएमई–वि.सं.	मुजफ्फरपुर	संस्थान, गोशाला रोड़, पो.ऑ. रमना, मुजफ्फरपुर–842002.	0621-2282486 /2284425	0621-2282486	dcdi-mzfpur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	पटना	पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पटना –800013	0612-2262568	0612-2262719	dcdi-patna@dcmsme.gov.in
7	छत्तीसगढ़	एमएसएमई–वि.सं.	रायपुर	उरकुरा रेलवे स्टेशन के निकट, भानपुरी औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर (छत्तीसगढ़)–492001	0771-2427719	0771-2422312	dcdi-raipur@dcmsme.gov.in
8	दादरा और नगर हवेली (संघ) राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	सिलवासा	मासत औद्योगिक एस्टेट, सिल. वासा –396230	0260-2640933	0260-2640933	brdcdi-silv@dcmsme.gov.in
9	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	एमएसएमई–डीआई	नई दिल्ली	बाल सहयोग केंद्र, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली		011-23411950	Ramawatar.singh@nic.in
		एमएसएमई–वि. सं.	नई दिल्ली	शहीद कैप्टन गौड़ मार्ग, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट के सामने, नई दिल्ली–110 020.	011-26847223, 26838369,	011-26838016	dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in
10	गोवा	एमएसएमई–वि.सं.	मडगांव	कोंकण रेलवे स्टेशन के सामने (क्यूपेम रोड़), मडगांव–403 601.	0832-2705092	0832-2710525	dcdi-goa@dcmsme.gov.in

क्र सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स स.	ई–मेल आईडी
11	गुजरात	एमएसएमई–वि.सं.	अहमदाबाद	हरसिद्ध चैम्बर, चतुर्थ तल, आश्रम रोड, अहमदाबाद (गुजरात)–380014	079-27543147, 27544248	079-27540619	dcdi-ahmbad@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	राजकोट	तृतीय तल, एनेक्सी बिल्डिंग, अमृता (जसानी) बिल्डिंग परिसर, गिरनार सिनेमा के निकट, एमजी रोड़, राजकोट–360001	0281-2471045	0281-2471045	brdcdi-rajk@dcmsme.gov.in
12	हरियाणा	एमएसएमई–वि.सं.	करनाल	11–ए, औद्योगिक विकास कालोनी, आईटीआई के निकट, कुंजपुरा रोड़, करनाल–132 001.	0184-2208100/ 2208113	0184-2208114	dcdi-karnal@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	भिवानी	आईटीआई कैम्पस, हांसी रोड़, भिवानी –125021.	01664-243200	01664-243200	brdcdi-bhiw@dcmsme.gov.in
13	हिमाचल प्रदेश	एमएसएमई–वि.सं.	सोलन	इलेक्ट्रानिक काम्पलेक्स, चम्बाघाट, सोलन–173213.	01792-230265	01792-230766	dcdi-solan@dc-msme.gov.in
14	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	जम्मूतवी	इंडस्ट्रीयल एस्टेट डिगियाना, जम्मू तवी–180010	0191-2431077	0191-2431077	dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	जम्मू	36, बी/सी, गांधी नगर, जम्मू –180004.	0191-2431077	0191-2450035	dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
15	झारखंड	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	धनबाद	कटरास रोड़, मटकुरिया, धनबाद –826001.	0326-23063380	0326-23063380	brdcdi-dhan@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	रांची	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कोकर, रांची –834001	0651-2546133	0651-2546235	dcdi-ranchi@dcmsme.gov.in
16	कर्नाटक	एमएसएमई–वि.सं.	हुबली	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गोकुल रोड, हुबली –580 030	0836-2330389, 0836-2332334	0836-2330389	dcdi-hubli@dc-msme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	बेंगलुरू	राजाजी नगर, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, बंगलौर –560 010.	080-23151540, 080-23151581, 080-23151582	080-23144506	dcdi-bang@dc-msme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	मंगलौर	एल–11 इंडस्ट्रीयल एस्टेट, येय्याडी, मंगलौर –575005	0824-2217936		brdcdi-mang@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	गुलबर्गा	सी–122, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एम.एस. के. मिल रोड़, गुलबर्गा –585102.	08472-420944		bsjawalgi@yahoo. co.in
17	केरल	एमएसएमई–वि.सं.	त्रिशूर	कंजनी रोड़, अय्यानतोल, त्रिशूर –680003	0487-2360686/638/	0487-2360536/ 216	dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–टीआई	तिरूवला	मंजड़ी पीओ, तिरूवला, पठानमथिट्टा –689105	0469-2701336	0469-2701336	msmeti@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई टीआई/ टीएस	एट्टुमानूर	पो.बा.सं. 7, एट्टुमानूर , कोट्टयम–686631, केरल	0481-2535563	0481-2535523	msmeti-ettu@dcmsme.gov.in
18	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	एमएसएमई–न्यूक्लियस सैल	लक्षद्वीप	अमीनी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र –682552	04891-273345		brdcdi-laks@dcmsme.gov.in

क्र सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स स.	ई–मेल आईडी
19	मध्य प्रदेश	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	ग्वालियर	7, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, तानसेन रोड, ग्वालियर –474004	0751-2422590		brdcdi-gwal@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	रीवा	उद्योग विहार, चोरहट्टा, रीवा –486001.	0766-2222448		brdcdi-reva@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई– वि.सं.	इंदौर	10, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पोलो ग्राउंड, इंदौर –452015	0731-2421659 / 0731-2421037	0731-2420723	dcdi-indore@dcmsme.gov.in
20	महाराष्ट्र	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	औरंगाबाद	32–33, एमआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, चीकल थाना औरंगाबाद–431210.	0240-2485430	0240-2484204	brdcdi-aura@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई– वि.सं.	मुंबई	कुरिया अंधेरी रोड, साकीनाका, मुंबई –400072	91-22-28576090	91-22-28578092	dcdi-mumbai@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई– वि.सं.	नगपुर	ब्लॉक–सी, सीजीओ कॉम्पलेक्स, सेमिनारी हिल, नागपुर–440006	0712-2510352	0712-2511985	dcdi-nagpur@dcmsme.gov.in
21	मणिपुर	एमएसएमई– वि.सं.	इम्फाल	सी–17/18, तकयेलपट, इंडस्ट्रीयल एस्टेट इम्फाल–795 001	0385-2416220		dcdi-imphal@dcmsme.gov.in
22	मेघालय	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	तूरा	डकोपगरे टी वी टॉवर के निकट, तूरा – 794101	03651-222569	03651-222569	brdcdi-tura@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	शिलांग	बी.के. बजोरिया स्कूल के सामने, शिलांग –793001	0364-2223349	0364-2223349	brdcdi-shil@ dc-msme.gov.in
23	मिजोरम	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	आइजवाल	शाखा एमएसएमई–वि. सं., कालेज वेंग, हाउस नं. वी–37, टैक्सी स्टेंड के निकट, आइजवाल –796001	0389-2323448		brdcdi-aizw@dcmsme.gov.in
24	नागालैंड	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	दीमापुर	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, दीमा. पुर–795001	03862-248552	03862-248552	brdcdi-dima@dcmsme.gov.in
25	ओडिशा	एमएसएमई– वि.सं.	कटक	विकास सदन, कालेज स्क्वायर, कटक –753 003	0671-2548077	0671-2548006	dcdi-cuttack@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	रायगढ़	आर. के. नगर, रायगढ़ –765004	06852-222268	06856-235968	brdcdi-raya@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	राउरकेला	सी–9, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, राउरकेला–769004	0661-2507492	0661-2402492	brdcdi-rour@dcmsme.gov.in
26	पंजाब	एमएसएमई–वि.सं.	लुधियाना	प्रताप चौक के निकट, संगीत सिनेमा के सामने, औद्योगिक क्षेत्र–बी, लुधियाना –141003	0161-2531733, 734	0161-2533225	dcdi-ludhiana@dcmsme.gov.in
27	राजस्थान	एमएसएमई–वि.सं.	जयपुर	22 गोदम इंडस्ट्रीयल एस्टेट, जयपुर –302006.	0141-2210553, 2212098	0141-2210553	dcdi-jaipur@ dc-msme.gov.in
28	सिक्किम	एमएसएमई–वि.सं.	गंगटोक	तदोंग बाजार, एनएच –10, के के ऋसह बिऋल्डग, पीओ तदोंग, गंगटोक –737102	03592-231880	03592-231262	dcdi-gangtok@dcmsme.gov.in

क्र सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स स.	ई–मेल आईडी
29	तमिलनाडु	एमएसएमई–वि.सं.	चेन्नई	65/1, जी.एस.टी. रोड, गुइंडी, पो.बा. 3746, चेन्नई–600 032	044-22501011/12/13	044-22341014	dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	कोयम्बटूर	386, पटेल रोड, राम नगर, कोयम्बटूर	0422-2230426	0422-2233956	brdcdi-coim@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	तूतीकोरिन	सं. 6 जयराज रोड़, तूतीको. रिन 628003.	0461-2375345		dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
			तिरूनेलवेली	शेड नं. 7और 8 इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पेट्टई तिरूनेलवेली 627010	0462-2342137		brmsmedi-tin@gmail.com
30	त्रिपुरा	एमएसएमई–वि.सं.	अगरतला	एमएसएमई–वि.सं., इंद्रानगर (आईटीआई प्ले ग्राउंड के निकट), पो.ऑ. कुंजाबन, अगरतला – 7999006	0381-2326570		dcdi-agartala@dcmsme.gov.in
31	उ ार प्रदेश	एमएसएमई–वि.सं.	आगरा	34, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, नुनहाई, आगरा–282 006	0562-2280879/2280882	0562-2523247	dcdi-agra@dc-msme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	इलाहाबाद	ई–17/18, उद्योग नगर, नैनी, इलाहाबाद–211 009	0532-2697468	0532-2696809	dcdi-allbad@ dc-msme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	कानपुर	107, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कल्पी रोड, कानपुर–208 012.	0512-2295070 2295071, 2295073.	0512-2240143	dcdi-kanpur@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	वाराणसी	चांदपुर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, वाराणसी–221106.	0542-2370621	0542-2371320	brdcdi-vara@dcmsme.gov.in
32	उ ारांचल	एमएसएमई–वि.सं.	हल्द्वानी	खाम बंगला कैम्पस, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी –263 139.	05946-221053, 220853	05946-228353	dcdi-haldwani@dcmsme.gov.in
33	पश्चिम बंगाल	एमएसएमई–वि.सं.	कोलकाता	111 और 112, बी.टी. रोड, कोलकाता–700 108	033-25775531	033-25100524	dcdi-kolkata@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	सूरी (बीरभूम)	आर.एन. टैगोर रोड, पुलिस लाइन के निकट, पीओ–सूरी, जिला–बीरभूम, पश्चिम बंगाल–731101	03462-255402	03462-255402	brdcdi-birb@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	दुर्गापुर	आरए–39 (भूतल),, उर्वशी (फेज 22), बंगाल अम्बुजा, ताराशंकर सरणी, सिटी सेंटर, दुर्गापुर –713 216.	0343-2547129		brdcdi-durg@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	सिलिगुड़ी	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सेवोक रोड, सेकंड माइल, सिलिगुड़ी– 734 001.	0353-2542487		brdcdi-sili@ dc-msme.gov.in

अनुबंध–VI

6. संक्षिप्त

एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एएबीवाई	आम आदमी बीमा योजना
एआरआई	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग
एस्पायर	नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम
बीआई	व्यवसाय इंक्यूबेटर्स
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सीसीए	कार्बन क्रेडिट एकत्रीकरण केन्द्र
सीडीसी	सामान्य प्रदर्शन केन्द्र
सीएसओ	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीयूवाई	कॅयर उद्यमी योजना
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसी (एमएसएमई)	विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
डीआईसी	जिला उद्योग केन्द्र
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ईसी	आर्थिक गणना
ईईटी	ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी
ईएम–II	उद्यमी ज्ञापन भाग–II
ईएसडीपी	उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम

जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईपीएफसी	बौद्धिक संपदा अधिकार सुविधा केन्द्र
आइसेक	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र
केवीआईसी	खादी ग्रामोद्योग आयोग
एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एमएमडीए	संशोधित बाजार विकास सहायता
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्था
एमगिरी	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसई–सीडीपी	सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम स्कीम
एमएसएमईडी एक्ट	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम
एनबीएमएसएमई	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड
एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईडी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
निम्समे	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

एनएसआईसी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
पीएमएसी	परियोजना मॉनीटरिंग एवं सलाहकार समिति
पीएमईजीपी	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता परिषद्
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरईबीटीआई	ग्रामीण अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग
एससी	अनुसूचित जाति
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
स्फूर्ति	परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम
एसएमएएस	विशेष विपणन स्कीम
एसएमई	लघु और मध्यम उद्यम
एसपीवी	विशेष प्रयोजन साधन
एसएसपीआरएस	एकल बिंदु पंजीकरण सब्सिडी स्कीम
एसटी	अनुसूचित जनजाति
टीईक्यूयूपी	प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन
टीआरईएडी	व्यापार संबद्ध उद्यमिता सहायता एवं विकास
यूएएम	उद्योग आधार ज्ञापन

अपने सपनों के उद्यम
का निर्माण करें

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

www.msme.gov.in

@minmsme पर हमें फॉलो करें।